

**अध्याय ॥**

**आर्थिक, सामाजिक एवं सामान्य क्षेत्र**

**तथा सा.क्षे.उ.**



## अध्याय-II

### 2.1 परिचय

**2.1.1** रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के 48 विभागों के साथ 15 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा.क्ष.उ.) और इसके अंतर्गत 61 अन्य संस्थानों (स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों, आदि) के लेखापरीक्षा, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र में आती है। विभागों तथा संबंधित संस्थानों के विवरण **परिशिष्ट 2.1** में दिए गए हैं और **तालिका-2.1.1** में संक्षेपित हैं।

#### तालिका-2.1.1: लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विभागों और संस्थानों की सूची

क्रम. सं.	विभाग(गों) के नाम	संख्या		
		सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्ष.उ.)	अन्य संस्थाएँ (स्वायत्त निकाय/प्राधिकरण, आदि)	कुल
1.	लोक निर्माण विभाग	-	-	-
2.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग	-	-	-
3.	शहरी विकास	2	2	4
4.	ऊर्जा विभाग	4	1	5
5.	पर्यटन विभाग	1	1	2
6.	पुरातत्व विभाग	-	-	-
7.	दिल्ली अभिलेखागार	-	-	-
8.	कला, संस्कृति एवं भाषा	-	8	8
9.	व्यापार एवं कर विभाग	-	-	-
10.	राज्य उत्पाद शुल्क एवं व्यय	-	-	-
11.	वित्त विभाग	1	1	2
12.	योजना विभाग	-	-	-
13.	अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय	-	-	-
14.	गृह विभाग	-	-	-
15.	कानून, न्याय एवं विधायी मामलों के विभाग	-	1	1
16.	रजिस्ट्रार जनरल, दिल्ली उच्च न्यायालय	-	-	-
17.	अभियोजन निदेशालय	-	-	-
18.	सतर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधी निदेशालय	-	-	-
19.	राजस्व विभाग	-	-	-
20.	मुख्य निर्वाचन कार्यालय	-	-	-
21.	विधान सभा का सचिवालय	-	-	-
22.	सामान्य प्रशासन विभाग	-	-	-
23.	प्रशासनिक सुधार विभाग	-	-	-
24.	उपराज्यपाल का सचिवालय	-	-	-
25.	लोकायुक्त	-	-	-
26.	लोक शिकायत आयोग	-	-	-
27.	सूचना एवं प्रचार विभाग	-	-	-
28.	भूमि एवं भवन विभाग	-	-	-
29.	उद्योग विभाग	1	-	1
30.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	1	-	1
31.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	-	14	14
32.	समाज कल्याण	-	-	-
33.	महिला एवं बाल विकास विभाग	-	2	2
34.	अ.जा/अ.ज.जा/अ.सं. कल्याण विभाग	1	-	1
35.	शिक्षा	-	3	3
36.	उच्च शिक्षा	-	15	15

37.	प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा	-	6	6
38.	सेवा विभाग	1	-	1
39.	श्रम विभाग	-	2	2
40.	रोजगार निदेशालय	-	-	-
41.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों का विभाग	1	-	1
42.	विकास विभाग	-	1	1
43.	कृषि विपणन निदेशालय	-	-	-
44.	भार एवं मापन निदेशालय	-	-	-
45.	रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसाईटी	-	-	-
46.	वन एवं वन्य जीव विभाग	-	-	-
47.	पर्यावरण विभाग	-	2	2
48.	परिवहन विभाग	2	2	4
		15	61	76

### लेखापरीक्षा कवरेज

**2.1.2** वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली के कार्यालय ने रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के 48 विभागों के अधीन कुल 460 और 770 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में से 140 और 126 इकाईयों का अनुपालन लेखापरीक्षा किया। इस प्रतिवेदन में आठ विभागों से संबंधित चार पीए/एसएससीए और पाँच अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफों की लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

### लेखापरीक्षा प्रक्रिया और लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया

**2.1.3** लेखापरीक्षा लेखापरीक्षित इकाईयों/विभागों के लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर उनकी राय जानने के लिए चार चरण का अवसर प्रदान करता है, अर्थात्

**लेखापरीक्षा ज्ञापन:** क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख को लेखापरीक्षा ज्ञापन जारी किए जाते हैं जिसका जवाब लेखापरीक्षा के दौरान ही देना होता है।

**निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.):** यह लेखापरीक्षा पूर्ण होने के एक माह के भीतर जारी किया जाता है जिसका जवाब लेखापरीक्षित इकाई के प्रमुख द्वारा चार सप्ताह के भीतर देना होता है।

**मसौदा पैराग्राफ:** ये उन विभागों के प्रमुखों को जारी किए जाते हैं जिनके अधीन लेखापरीक्षित इकाईयाँ नि.एव म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किए जाने से पूर्व छः सप्ताह की अवधि के भीतर विभागीय राय प्रस्तुत करने के लिए कार्य करती हैं।

**बहिर्गमन सम्मेलन:** लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने से पूर्व विभागाध्यक्षों और राज्य सरकार को लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर सरकार/विभागीय विचार का अवसर दिया जाता है।

इन सभी चरणों में, लेखापरीक्षा लेखापरीक्षित इकाईयों/विभागों के प्रमुखों/राज्य सरकार को खण्डन और स्पष्टीकरण के लिए पूर्ण अवसर प्रदान करने का प्रयास करती है और केवल जब विभागीय जवाब प्राप्त नहीं होते हैं या आश्वस्त नहीं होते हैं, तो लेखापरीक्षा अवलोकनों को निरीक्षण प्रतिवेदन या नि.म.ले.प. के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रक्रिया को किया जाता है, जैसा कि मामला हो। हालाँकि, अधिकांश मामलों में लेखापरीक्षित संस्थाएँ समय पर तथा संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करती हैं जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

• **निरीक्षण प्रतिवेदनों के जवाब की स्थिति**

मार्च 2021 तक 48 विभागों से संबंधित 476 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) को जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा दर्शाती है कि 2423 निरीक्षण प्रतिवेदनों में निहित 11511 पैराग्राफ 31 मार्च 2021 तक आश्वस्त जवाबों के अभाव में निपटान के लिए बकाया थे।

बकाया नि.प्र. की स्थिति तालिका 2.1.2 में दी गई है

**तालिका- 2.1.2: 31 मार्च 2021 तक बकाया नि.प्र.और पैराग्राफ  
(31 मार्च 2021 तक जारी)**

क्र.स.	अवधि	बकाया नि.प्र.की सं. (प्रतिशत)	बकाया पैरा की सं. (प्रतिशत)
1	2020-21	123 (5.08)	1146 (9.96)
2	1 वर्ष से 3 वर्ष अधिक तक	529 (21.83)	3763 (32.69)
3	3 वर्ष से 5 वर्ष अधिक तक	376 (15.52)	1776 (15.43)
4	5 वर्ष से अधिक	1395 (57.57)	4826 (41.92)
<b>कुल</b>		<b>2423 (100)</b>	<b>11511 (100)</b>

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

2019-20 और 2020-21 के दौरान, विभागीय अधिकारियों के साथ तीन लेखापरीक्षा समिति की बैठकें हुईं जिसमें 2019-20 में केवल 10 पैराओं का निपटान किया गया।

• **वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किए गए लेखापरीक्षा पैराग्राफों के जवाब की स्थिति**

वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2019-21 के लिए, चार निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.ले.)/एसएससीए और पाँच अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफों से संबंधित प्रशासनिक विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर उनकी राय जानने के लिए अग्रेषित किए गए थे। चार नि.ले./एसएससीए और तीन अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफों के संबंध में सरकार के जवाब/प्रतिक्रियाएँ

प्राप्त हुए हैं। दो लेखापरीक्षा पैराग्राफों की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के संबंध में सरकार का जवाब अभी तक प्रतीक्षित है (मई 2022)।

### पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गई अनुवर्ति कार्रवाई

#### 2.1.4 पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल लेखापरीक्षा पैराग्राफों के बकाया जवाब

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में निपटाए गए मुद्दों के प्रति कार्यपालकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, प्रशासनिक विभागों को सभी लेखापरीक्षा पैराग्राफों और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल लेखापरीक्षाओं पर स्वप्रेरणा से एक्शन टेकेन नोट (एटीएन) जारी करना है, इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि क्या ये लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा के लिये गये हैं या नहीं। ये एटीएन लो.ले.स. को प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) दिल्ली द्वारा विधिवत् रूप से दिल्ली विधान सभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाना है।

प्राप्त नहीं हुए एटीएन की स्थिति तालिका- 2.1.3 में दी गई है।

#### तालिका 2.1.3: प्राप्त नहीं हुए एटीएन नोट्स (मई 2022 की स्थिति)

31 मार्च को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा.क्षे.उ./गैर.सा.क्षे.उ.)	राज्य विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन स्थानन की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में कुल निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.ले.प.) तथा अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ (अ.ले.प.पै.)		बि.ले.प./अ.ले.प.पै. की संख्या जिसके लिए एटीएन प्राप्त नहीं हुए	
		नि.ले.प.	अ.ले.प.	नि.ले.प.	अ.ले.प.
<b>ए. सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्र (गैर.-सा.क्षे.उ.)</b>					
2013	01.08.2014	05	10	1	4
2014	30.06.2015	05	15	1	3
2015	13.06.2016	04	17	2	3
2016	10.03.2017	05	15	2	0
2017	03.04.2018	03	13	2	5
<b>कुल</b>		<b>22</b>	<b>70</b>	<b>8</b>	<b>15</b>
<b>बी.सा.क्षे.उ.</b>					
2012	02.04.2013	1	3	0	3
2013	01.08.2014	1	7	0	1
2014	30.06.2015	1	2	0	2
2015	13.06.2016	1	6	1	4
2016	10.03.2017	1	6	1	3
2017	03.04.2018	1	8	1	5
2018	03.12.2019	1	2	1	2
<b>योग</b>		<b>7</b>	<b>34</b>	<b>4</b>	<b>20</b>
<b>कुल योग</b>		<b>29</b>	<b>104</b>	<b>12</b>	<b>35</b>

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

#### लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की चर्चा

वर्ष 2012-13 से 2017-18 के दौरान, इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में विभागों/स्वायत्त निकायों से संबधित 22 निष्पादन लेखापरीक्षा और 70

अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ प्रतिवेदित किए गए थे। इनमें से लो.ले.स. ने दो निष्पादन लेखापरीक्षा और पाँच अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफ (अ.ले.प.पै.) को चर्चा के लिए लिया था। 30 सितम्बर 2021 तक लो.ले.स. की चर्चा की स्थिति का विवरण तालिका-2.1.4 में दिया गया है।

**तालिका 2.1.4 : लो.ले.स. की चर्चा की स्थिति, रा.रा.क्षे.दिल्ली, विधान सभा**

स्थिति	वर्ष 2012-13 से 2018-19 के लिए सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र (गैर.-सा.क्षे.उ.) से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के नि.ले.प./अ.ले.प.
कुल लेखापरीक्षा पैराओं की संख्या	92 (22 नि.ले.प. +70 अ.ले.प.)
लो.ले.स. द्वारा चर्चा के लिए लिया गया	7 (2नि.ले.प. + 5 अ.ले.प.)
लो.ले.स. द्वारा की गई अनुशंसा	शून्य
प्राप्त एटीएन	शून्य
विभाग द्वारा की गई कार्रवाई	-

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

• **सार्वजनिक उपक्रम पर समिति (कोपू) द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की चर्चा**

2012-13 से 2018-19 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की 07 निष्पादन लेखापरीक्षा एवं 34 अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदित किया गया था। इनमें से, कोपू ने 02 निष्पादन लेखापरीक्षा और 05 अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफों को चर्चा के लिए लिया था। 30 सितम्बर 2021 तक कोपू चर्चा की स्थिति तालिका-2.1.5 में दी गई है।

**तालिका- 2.1.5: कोपू चर्चा की स्थिति, रा.रा.क्षे. दिल्ली, विधानसभा**

स्थिति	वर्ष 2012-13 से 2018-19 के लिए सा.क्षे.उ. से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के नि.ले.प./वि.ले.प./अ.ले.प.
कुल लेखापरीक्षा पैराओं की संख्या	41 (7 नि.ले.प. + 34 वि.ले.प.)
लिखित जवाब प्रस्तुत करने के लिए कोपू द्वारा लिया गया	7(2 नि.ले. + 5 वि.ले.)
कोपू द्वारा की गई अनुशंसा	शून्य
प्राप्त एटीएन	शून्य
विभाग द्वारा की गई कार्रवाई	-

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित सूचना

**राज्य विधान सभा में संस्थाओं की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखों को रखने/प्रस्तुत करने की स्थिति**

2.1.5 दो संस्थाओं की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पृ.ले.प.प्र.) के साथ वार्षिक प्रतिवेदनों/लेखों का विवरण जो अभी तक राज्य विधान सभा में रखा जाना है, तालिका - 2.1.6 में दर्शाया गया है।

### तालिका- 2.1.6: राज्य विधान सभा में अभी तक रखी जाने वाली पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र.सं.	संस्थाओं के नाम	जिस वर्ष तक सरकार को पृ.ले.प.प्र. जारी किया गया है।	जिस वर्ष तक विधान सभा में पृ.ले.प.प्र. रखा गया है
1	दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीइआरसी)	2020-21	2019-20
2	दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी)	2014-15	2003-04
3	दिल्ली वित्त निगम (डीएफसी)	2019-20	2014-15
4	दिल्ली राज्य विधि सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए)	2018-19	स्थिति की जानकारी नहीं है
5	दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी)	2019-20	2019-20
6	अम्बेडकर विश्वविद्यालय (एयू)	2019-20	2016-17
7	इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (आईआईआईटीडी)	2019-20	2019-20
8	गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीजीएसआईपीयू)	2018-19	2016-17
9	दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय (डीटीयू)	2019-20	2018-19
10	महिलाओं के लिए इंदिरा गाँधी दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय (आईजीडीटीयूडब्ल्यू)	2017-18	2017-18
11	नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एनएसयूटी)	2018-19	2008-09
12	दिल्ली भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (डीबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यूबी)	2016-17	2016-17
13	डीटीसी इपीएफ ट्रस्ट (डीटीसी इपीएफटी)	2019-20	2017-18

स्रोत: दिल्ली विधान सभा की वेबसाइट पर उपलब्ध विधान सभा सत्र के कार्यवृत्त

#### लेखापरीक्षा के आग्रह पर वसूली

2.1.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष, जिसमें राज्य सरकार के विभागों के लेखे का नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आने वाली वसूली शामिल है, पुष्टि के लिए विभिन्न विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) को भेजा जाता है और लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए आगे आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान, लेखापरीक्षा निष्कर्षों के विरुद्ध ₹ 15.51 करोड़ और ₹ 9.93 करोड़ की वसूली शामिल थी जिसे क्रमशः 185 और 101 मामलों में इंगित किया गया था, संबंधित डीडीओ ने 71 और 54 मामलों में ₹ 2.13 करोड़ और ₹ 2.3 करोड़ (पिछले वर्षों की वसूली सहित) की वसूली की थी।

#### 2.1.7 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा को जवाब प्रस्तुत न करना, राज्य संस्थाओं के वार्षिक लेखे तैयार करने में बकाया और राज्य विधानसभा में पृ.ले.प.प्र. के साथ वार्षिक प्रतिवेदन लेखे नहीं रखना सरकार में जवाबदेही और पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और इसलिए चिंता का कारण है।

## योजना विभाग

### 2.2 प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण

#### 2.2.1 प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का परिचय

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) 1 जनवरी 2013 को भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई एक प्रमुख सुधार पहल है, जिसका उद्देश्य प्रणाली में समयबद्धता, दक्षता, प्रभावशीलता और पारदर्शिता लाकर विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के लाभ और सब्सिडी को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित करना है।

भारत सरकार (भा.स.) द्वारा जारी डीबीटी भुगतान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार कार्यान्वयन विभागों द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाना है:

- विभाग योजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर (एस.एम.एस) में लाभार्थी की पहचान और उनका नामांकन,
- सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पर लाभार्थी का सत्यापन/पंजीकरण
- भुगतान फाइल निर्देश तैयार करना
- भुगतान फाइल का प्रसंस्करण करना और लाभार्थी को भुगतान करना

#### 2.2.2 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में डीबीटी की रूपरेखा

जनगणना 2011 के अनुसार, दिल्ली की आबादी 167.88 लाख है जिसमें से 16.96 लाख निवासी गरीबी रेखा के नीचे थे।

डीबीटी के अंतर्गत लाभ हस्तान्तरण की जानकारी एकत्र करने के लिए, एक राज्य डीबीटी पोर्टल (DBT.DELHI.GOV.IN) 23 अप्रैल 2018 को बनाया गया था और डीबीटी भारत पोर्टल (DBTBHARAT.GOV.IN) के साथ एकीकृत किया गया था। राज्य डीबीटी पोर्टल की मुख्य विशेषताएँ हैं: (i) डीबीटी योजनाओं का समेकित डैशबोर्ड, (ii) योजना एवं विभाग-वार प्रतिवेदन, (iii) डीबीटी के लिए लागू योजनाओं/सेवाओं के लिए प्रगति निगरानी प्रणाली, (iv) डीबीटी योजना कोड प्रबंधन।

डीबीटी पोर्टल (DBT.DELHI.GOV.IN) के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) ने 73 योजनाओं के लिए डीबीटी लागू किया है जिसमें 37 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस) और 36 राज्य प्रायोजित योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं को रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के 10 विभागों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

रा.रा.क्षे.दि.स. के योजना विभाग के तहत एक राज्य डीबीटी सैल (डीबीटी सैल) कार्य कर रहा था जो सभी विभागों के साथ उन योजनाओं और कार्यक्रमों की सूची तैयार करने में समन्वय करता है, जिन पर डीबीटी लागू हो सकता है। यदि यह पाया जाता है कि डीबीटी किसी भी योजना के लिए उपयोगी होगा, तो राज्य डीबीटी पोर्टल पर दिए गए/अपलोड किए गए प्रोफार्मा को भरने के पश्चात संबंधित विभाग द्वारा डीबीटी सैल को प्रस्तुत किया जाता है। डीबीटी सैल विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना को डीबीटी भारत पोर्टल पर अपलोड करता है ताकि योजना के लिए एक यूनिक कोड तैयार किया जा सके। इसके बाद, बनाए गए यूनिक कोड और बाकी सूचना प्रोफार्मा में स्टेट डीबीटी पोर्टल पर अपलोड की जाती है। इस तरह यह योजना संबंधित विभाग के लिए राज्य डीबीटी पोर्टल पर संचालित हो जाती है। प्रत्येक विभाग के लिए एक विभागीय उपयोगकर्ता बनाया जाता है और राज्य डीबीटी पोर्टल पर अपलोड की गई योजना तक पहुँचने के लिए यूजर-आईडी और पासवर्ड दिया जाता है।

डीबीटी सैल, डीबीटी ऑन-बोर्डिंग प्रक्रिया के संबंध में विभागों द्वारा की गई प्रगति की निगरानी करता है जैसे (i) लाभार्थी डेटाबेस डिजिटलीकरण, (ii) वैध आधार संख्या के साथ लाभार्थी डेटाबेस की सीडींग तथा (iii) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का उपयोग करके नकद लाभों का हस्तांतरण।

### 2.2.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की गई कि क्या-

- (i) डीबीटी के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रक्रिया री-इंजीनियरिंग की गई थी ताकि मध्यस्थ स्तर को कम किया जा सके तथा इच्छित लाभार्थियों को भुगतान में देरी, चोरी एवं दोहराव को कम किया जा सके;
- (ii) डीबीटी के प्रभावी प्रबंधन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे और संगठनात्मक ढांचे को स्थापित किया गया था।
- (iii) लाभार्थियों की पहचान पर्याप्त, पूर्ण प्रमाणित थी, और उन्होंने वास्तव में लाभ प्राप्त किया था, तथा
- (iv) पर्याप्त शिकायत निवारण तंत्र मौजूद था।

### 2.2.4 लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित से प्राप्त किए गए थे:

- (i) डीबीटी मिशन (भा.स.) द्वारा जारी दस्तावेज, परिपत्र, आदेश, निर्देश और अधिसूचना

- (ii) मानक संचालन प्रक्रियाएं, डीबीटी पर हैंडबुक और डीबीटी मिशन द्वारा राज्य डीबीटी सैल के लिए जारी दिशा-निर्देश
- (iii) चयनित योजनाओं के दिशा-निर्देश (वृद्धावस्था पेंशन योजना, संकटग्रस्त महिलाओं को पेंशन योजना, और क्रमशः समाज कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा शिक्षा निदेशालय को समान सब्सिडी योजना)।
- (iv) संबंधित विभागों द्वारा जारी दस्तावेज, परिपत्र, आदेश, निर्देश और अधिसूचना आदि।
- (v) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000।

### 2.2.5 लेखापरीक्षा का क्षेत्र और कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा के उद्देश्य से, कुल 73 डीबीटी योजनाओं में से तीन, जिनमें लाभ अंतरण की राशि सबसे अधिक थी, को नमूना-जाँच के लिए चुना गया था। ये योजनाएँ थीं -

- (i) समाज कल्याण विभाग (डीएसडब्ल्यू) की वृद्धावस्था पेंशन (ओएपी) योजना;
- (ii) महिला एवं बाल विकास विभाग (डीडब्ल्यूसीडी) की संकटग्रस्त महिलाओं के लिए दिल्ली पेंशन योजना (डीपीएसडब्ल्यूडी); तथा
- (iii) शिक्षा निदेशालय (शि.नि.) की वर्दी सब्सिडी।

निष्पादन लेखापरीक्षा में अप्रैल 2017 से मार्च 2021 तक की अवधि को सम्मिलित किया। लेखापरीक्षा में नमूना-जाँच के लिए चयनित तीन योजनाओं से संबंधित अभिलेखों की जाँच, लाभार्थियों का सर्वेक्षण, भौतिक सत्यापन और विभागों का दौरा शामिल था। लेखापरीक्षा ने रा.रा.क्षे. योजना विभाग जो कि रा.रा.क्षे. में डीबीटी के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी थी के अभिलेखों की भी जाँच की। लेखापरीक्षा ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) उपकरणों का उपयोग करते हुए तीन योजनाओं से संबंधित डेटाबेस के ई-डिस्ट्रिक्ट और एडुडेल पोर्टलों के आईडी नियंत्रणों की भी जाँच की।

विस्तृत जाँच एवं सर्वेक्षण के लिए समान सब्सिडी योजना, ओएपी योजना एवं डीपीएसडब्ल्यूडी के क्रमशः 269, 284 एवं 161 हितग्राहियों (चयनित जिलों<sup>1</sup> से तीन योजनाओं के कुल 2,73,459 लाभार्थियों में से:- समरूप अनुदान से

<sup>1</sup> पश्चिम बी, दक्षिण-पश्चिम ए और उत्तर-पूर्व के जिलों में समान सब्सिडी योजना के संबंध में दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम जिले ओएपी योजना के संबंध में तथा दक्षिण एवं पश्चिम जिले डीपीएसडब्ल्यूडी के संबंध में।

96,118, ओ.ए.पी. से 1,13,061 तथा डी.पी.एस.डब्ल्यू.डी. से 64,280) का चयन किया गया। लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, कार्यप्रणाली आदि को समझाने के लिए 17 अक्टूबर 2020 को हितधारकों के साथ एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रतिवेदन में निहित लेखापरीक्षा आपत्तियों पर चर्चा करने के लिए 21 दिसम्बर 2021 को एक बहिर्गमन सम्मेलन भी आयोजित किया गया।

### 2.2.6 तीन चयनित योजनाओं का संक्षिप्त परिचय

2017-18 से 2020-21 के दौरान वृद्धावस्था पेंशन योजना और डीपीएसएडब्ल्यूडी के अंतर्गत व्यय क्रमशः ₹ 4,760.17 करोड़ एवं ₹ 2,702.69 करोड़ थे जबकि 2017-18 से 2019-20 के दौरान समान सब्सिडी के अंतर्गत व्यय ₹ 724.83 करोड़ था। डीबीटी योजना के अंतर्गत इन तीनों योजनाओं पर व्यय कुल व्यय का 66 प्रतिशत (2018-20) था।

#### i. वृद्धावस्था पेंशन योजना

यह योजना समाज कल्याण विभाग (डीएसडब्ल्यू), रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा कार्यान्वित की जाती है। यह योजना 60 से 69 वर्ष तथा 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के पात्र व्यक्तियों को क्रमशः ₹ 2,000 और ₹ 2,500 की मासिक पेंशन 14 फरवरी 2017 से निर्धारित करती है।

लाभार्थियों के लिए पात्रता मानदंड हैं:

- आवेदन की तिथि से पहले दिल्ली में न्यूनतम पांच वर्ष का निवास;
- सभी स्रोतों से वार्षिक पारिवारिक आय<sup>2</sup> ₹ 1,00,000 से कम;
- आवेदक का रा.रा.क्षे. दिल्ली के किसी भी बैंक में 'एकल संचालित' खाता होना चाहिए; तथा
- इस प्रयोजन के लिए केंद्र सरकार/राज्य सरकार/अन्य सरकारी स्थानीय निकायों या किसी अन्य श्रोत से कोई पेंशन/वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए।

#### ii. संकटग्रस्त महिलाओं के लिए दिल्ली पेंशन योजना

महिला एवं बाल विकास विभाग (डीडब्ल्यूसीडी), रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा संकटग्रस्त महिलाओं के लिए दिल्ली पेंशन योजना को लागू किया गया है। यह योजना 3 मार्च 2017 से 18 वर्ष से अधिक आयु की एक महिला को ₹ 2500 की मासिक पेंशन निर्धारित करती है, जो विधवा, तलाकशुदा, अलग,

<sup>2</sup> आवेदक को आय के संबंध में एक स्व-घोषणा देनी होगी

परित्यक्त, निर्जन या बेसहारा हो। डीपीएसडब्ल्यूडी के अन्य पात्रता मानदंड, आय को छोड़कर ओएपी योजना के समान है। डीपीएसडब्ल्यूडी के तहत लाभ के लिए आवेदक की वार्षिक आय (वार्षिक परिवारिक आय के बदले में) सभी स्रोतों से ₹ 1,00,000 से कम होनी चाहिए।

उपरोक्त दोनों योजनाओं के लिए आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन और सहायक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां ई-डिस्ट्रिक्ट<sup>3</sup> में ऑन लाईन जमा करनी होती है। आवेदक स्वयं या कार्यान्वयन विभाग के जिला कार्यालयों के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट पर फार्म जमा कर सकता है। आवेदन की स्वीकृति के पश्चात् पेंशन/वित्तीय सहायता राशि पीएफएमएस के माध्यम से स्वीकृत लाभार्थियों को हस्तांतरित की जाती है।

### iii. वर्दी सब्सिडी योजना

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने शैक्षणिक वर्ष 2017-18 से वर्दी सब्सिडी योजना के भुगतान के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को अपनाया। दिल्ली के सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में नामांकित सभी छात्र वर्दी सब्सिडी के लिए पात्र हैं। 2017-18 से नर्सरी से कक्षा पांच तक के छात्रों के लिए ₹ 1100, छठी से आठवी के छात्रों के लिए ₹ 1400 और कक्षा नौवी से बारहवी के छात्रों के लिए ₹ 1500 की वर्दी सब्सिडी दर थी।

2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान वर्दी सब्सिडी योजना के अंतर्गत किया गया व्यय तालिका 2.2 में दिया गया है। वर्ष 2020-21 के दौरान वर्दी सब्सिडी वितरित नहीं की गई थी क्योंकि कोविड महामारी के कारण स्कूलों में काम नहीं हो रहा था।

### तालिका-2.2 : वर्दी सब्सिडी योजना के अंतर्गत व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सरकारी स्कूल	सहायता प्राप्त स्कूल	कुल
2017-18	217.97	15.64	233.61
2018-19	226.68	18.52	245.20
2019-20	227.89	18.13	246.02
कुल	672.54	52.29	724.83

स्रोत रा.रा.क्षे.दि.स. के अनुदानों के लिए मांग

किसी सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूल में छात्रों के प्रवेश/नामांकन पर छात्र का विवरण स्कूल के प्रमुख द्वारा एड्डेल वेबसाइट ([www.edudel.nic.in](http://www.edudel.nic.in)) पर उपलब्ध माइयूलर पर फीड किया जाता है जो स्वचालित रूप से छात्र का आईडी बनाता है। एड्डेल पर उपलब्ध छात्र विवरण बैचों में निकाले जाते हैं

<sup>3</sup> विभिन्न कल्याण सेवाओं के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. का वेब पोर्टल

और शि.नि. की योजना शाखा द्वारा भुगतान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी ली जाती है। तत्पश्चात् योजना शाखा द्वारा छात्र के विवरण पीएफएमएस के लाभार्थी डेटा पृष्ठ पर अपलोड किए जाते हैं। भुगतान किए जाने से पहले लाभार्थी के डेटा के विवरण की सत्यापन के लिए ई-मेल/परिपत्र के माध्यम से सभी स्कूलों को परिचालित किया जाता है। अनुमोदन दो चरणों में किया जाता है पहला निर्माता (सांख्यिकीय सहायक) लाभार्थी डेटा को पीएफएमएस पर अपलोड करता है और दूसरा चेकर (सांख्यिकी अधिकारी) भुगतान के लिए डेटा की जांच और अपलोड करता है।

डीबीटी भुगतानों के विस्तृत सत्यापन के लिए 23 सरकारी स्कूल और सात सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों का चयन, प्रत्येक श्रेणी के 'आधार' आधारित सहायता के अन्तर्गत भुगतान की गई सहायता का अधिकतम वितरण तथा तीन चयनित जिलों के प्रत्येक में से पाँच प्रतिशत स्कूलों का चुनाव करते हुए कुल सहायता तथा सहायता आधारित इसीएस के आधार पर किया गया था।

## लेखापरीक्षा निष्कर्ष

### 2.2.7 योजना विभाग

#### 2.2.7.1 क्षमता निर्माण में कमियां

भारत सरकार द्वारा जारी डीबीटी पर एसओपी में कहा गया है कि राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ केंद्र के साथ मिलकर काम करेगा और डीबीटी प्लेटफार्म पर लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया को अधिक विश्वसनीय, उपयोगकर्ता के अनुकूल और समयबद्ध बनाएगा। यह मुख्य रूप से विभिन्न योजनाओं में डीबीटी के कार्यान्वयन के समन्वय की दिशा में काम करेगा। प्रकोष्ठ एक नोडल बिंदु के रूप में डीबीटी से संबंधित सभी गतिविधियों और मामलों के लिए काम करेगा।

राज्य के कार्मिकों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करना राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी थी ताकि योजनाओं को प्रभावी ढंग से चलाया जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ ने डीबीटी योजनाओं को लागू करने वाले राज्य अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए कोई प्रशिक्षण या कार्यशाला/सेमिनार आयोजित नहीं किया। डीबीटी लागू करने वाले अधिकारियों के लिए यूजर मैनुअल/गाइड भी तैयार नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त डीबीटी पर एसओपी में सर्वोत्तम प्रथाओं पर बेंचमार्क अध्ययन आयोजित करने का प्रावधान है जिसके आधार पर राज्य के संचालन में उन अभ्यासों को शामिल करने के लिए एक रोडमैप विकसित किया जाना था। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य डीबीटी प्रकोष्ठ द्वारा राज्य

डीबीटी के प्रचालनों में शामिल करने हेतु कोई बेंचमार्क अध्ययन आयोजित नहीं किए गए थे और कोई रोडमैप विकसित नहीं किया गया था।

डीबीटी के सुचारु और सफल कार्यान्वयन हेतु आवश्यक प्रशिक्षण, बेंचमार्क अध्ययन और रोडमैप के अभाव में, डीबीटी योजनाओं को लागू करने वाले अधिकारी डीबीटी योजना को प्रभावी ढंग से प्रबंध करने की स्थिति में नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप लाभार्थियों की महत्वपूर्ण जानकारी, योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले अपात्र हितग्राही, लाभार्थियों का दोहरापन आदि का पता नहीं चला। इनकी चर्चा निम्नलिखित पैराग्राफों में की गई है:

### 2.2.7.2 कमजोर शिकायत निवारण तंत्र

डीबीटी के कार्यान्वयन के लिए एसओपी के अनुसार, राज्य, डीबीटी सैल को लाभार्थियों के बैंक खाते में सब्सिडी राशि प्राप्त करने में देरी, गलत या विलंबित फीडबैक, अंतिम लाभार्थी आदि द्वारा उचित और समयबद्ध तरीके से प्राप्त अधिकारों का गलत सेट जैसे विभिन्न मुद्दों से संबंधित लाभार्थियों की शिकायतों से निपटने के लिए विभिन्न स्तरों पर समर्पित निकायों का गठन करना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि लाभार्थियों/आवेदकों की शिकायत के निवारण के लिए डीबीटी प्रकोष्ठ ने कोई तंत्र स्थापित नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, सभी तीन चयनित योजनाओं में कमजोर शिकायत निवारण तंत्र पाया गया जैसे:

- (i) संकटग्रस्त महिलाओं के लिए दिल्ली पेंशन योजना, डीडब्ल्यूसीडी-शिकायत निवारण कोष्ठ (जीआरसी) के गठन के बाद छः महीने में (अक्टूबर 2020 से मार्च 2021) 1475 शिकायतें प्राप्त हुई थी। इन 1475 शिकायतों में से 665 शिकायतें अर्थात् 45 प्रतिशत 16 अप्रैल 2021 तक अनसुलझी रहीं। आगे यह देखा गया कि शिकायतों के समाधान के लिए तीन दिनों की समयसीमा के विरुद्ध 170 शिकायतें 100 दिनों से अधिक के बाद भी अनसुलझी रही।
- (ii) वृद्धवस्था पेंशन योजना, डीएसडब्ल्यू - एक समर्पित शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना नहीं की गई थी। अप्रैल 2017 से दिसंबर 2020 तक लोक शिकायत प्रबंधन प्रणाली (पीजीएमएस) और उपराज्यपाल (एलजी) लिसनिंग<sup>4</sup> के माध्यम से 1345 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 1331 शिकायतों (99 प्रतिशत) का निदान नहीं हुआ।

<sup>4</sup> एलजी का लिसनिंग पोस्ट एलजी के कार्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली एक सुविधा है जिसके माध्यम से सामान्य जनता टेलिफोन, वेबसाइट अथवा पत्रों के माध्यम से दर्ज कर सकता है।

(iii) वर्दी सब्सिडी, शि.नि.-डीबीटी मुद्दों से निपटने के लिए शि.नि. में कोई समर्पित शिकायत निवारण तंत्र मौजूद नहीं था। समान सब्सिडी से संबंधित सभी प्रकार की शिकायतों का विद्यालय के प्रमुख स्तर पर निराकरण किया गया। डीबीटी के एसओपी के अनुसार एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र के अभाव में शि.नि., स्कूल/जिला/मुख्यालय स्तर पर प्राप्त शिकायतों, समाधान और की गई कार्रवाई के निवारण के लिए संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं करा सका था। 256 छात्रों के लेखापरीक्षा सर्वेक्षण के दौरान, तीन छात्रों ने जवाब दिया कि उन्होंने स्कूल अधिकारियों से सब्सिडी न मिलने पर शिकायत की थी परंतु शिकायत का समाधान नहीं किया गया था।

### 2.2.7.3 डीबीटी सलाहकार बोर्ड के गठन में विलंब

डीबीटी मिशन, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार, प्रकोष्ठ के कार्यकारी निकाय को एक समग्र, एक बहुप्रक्रीय सलाहकार और विचार-विमर्श करने के लिए राज्य द्वारा एक डीबीटी सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए था। बोर्ड को तिमाही में एक बार या किसी अन्य नियमित अंतराल में, जैसा उचित समझा जाए बैठक करनी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि रा.रा.क्षे.दि.स. के डीबीटी सलाहकार बोर्ड में मुख्य सचिव, रा.रा.क्षे.दि.स. की अध्यक्षता में रा.रा.क्षे.दि.स. के विभिन्न विभागों के 23 सदस्य शामिल थे, जिसका गठन 8 फरवरी 2021 को किया गया था, अर्थात् डीबीटी के आरंभ के आठ साल बाद। जुलाई 2021 तक, सलाहकार बोर्ड द्वारा कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी, इसके परिणामस्वरूप, राज्य में डीबीटी का निष्पादन विशेषज्ञ सलाह और विचार-विमर्श से रहित था जो बोर्ड द्वारा प्रदान किया जाता।

### 2.2.8 संकटग्रस्त महिलाओं के लिए दिल्ली पेंशन योजना

#### 2.2.8.1 संभावित लाभार्थियों के बीच योजना के बारे में सूचना के प्रसार के प्रति उदासीन दृष्टिकोण

डीबीटी का एक मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों का सटीक लक्ष्य सुनिश्चित करना है। डीबीटी की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, संबंधित योजनाओं के लिए लाभार्थियों की पहचान करना संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है। अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि संभावित लाभार्थियों के बीच जागरूकता पैदा की जाए, जिससे वह लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकें।

लेखापरीक्षा में हालांकि पाया गया कि डीडब्ल्यूसीडी में न तो प्रिंट/रेडियो/डिजिटल साधनों के माध्यम से डीपीएसडब्ल्यूसी की योजना के विवरण का विज्ञापन किया और न ही कोई शिविर आयोजित किया, जिससे संभावित लाभार्थियों को लाभों के बारे में सूचित किया जा सके। डीडब्ल्यूसीडी के सिटीजन चार्टर में भी कमी थी क्योंकि सेवा मानकों और उपलब्ध उपचारों के बारे में अपेक्षित विवरण स्पष्ट नहीं किए गए थे। इसके अतिरिक्त, निगम ने वास्तविक निवासियों की संख्या का निर्धारण करने के लिए कोई कार्य नहीं किया।

इस प्रकार, सरकार ने संभावित लाभार्थियों के बीच योजना के बारे में सूचना के प्रसार के प्रति उदासीन दृष्टिकोण प्रदर्शित किया।

डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए शिविर आयोजित किए गए और जिला कार्यालयों में बैनर/पोस्टर प्रदर्शित किए गए। मुख्यालय में हेल्पडेस्क भी स्थापित किया गया है, उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कवरेज इन कार्यालयों में आने वाले लोगों तक ही सीमित था।

#### 2.2.8.2 लीगेसी लाभार्थियों का विवरण एसएमएस (ई-डिस्ट्रिक्ट) में माइग्रेट नहीं होने से पेंशन का अनियमित भुगतान

डीबीटी पोर्टल के तहत ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन शुरू होने से पहले डीपीएसडब्ल्यूडी के लिए (12 दिसंबर 2018 से), लाभार्थियों द्वारा ऑफलाइन (भौतिक) आवेदन जमा किए गए थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2021 तक डीपीएसडब्ल्यूडी के अंतर्गत कुल 3.32 लाख लाभार्थियों में से 2.67 लाख (80 प्रतिशत) ऑफलाइन/लीगेसी लाभार्थियों का विवरण ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर माइग्रेट नहीं किया गया था, लेकिन एमएस-एक्सेस डेटाबेस में रखा गया था जिसका उपयोग उनके बैंक खातों में पीएफएमएस द्वारा भुगतान जारी करने के लिए किया गया था। सरकार के लिए इन लीगेसी मामलों का विस्तृत विवरण ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर स्थानांतरित करना अनिवार्य था जिससे सभी लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान प्रसंस्करण के बाद एसएमएस के माध्यम से किया जा सके। इस प्रकार, सरकार द्वारा संकटग्रस्त महिलाओं के लिए दिल्ली पेंशन योजना के 80 प्रतिशत लाभार्थियों के विवरण का डिजिटलीकरण नहीं किया गया है।

इसके अतिरिक्त लीगेसी के मामलों को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में स्थानांतरित नहीं करने से सरकार ऑनलाइन आवेदनों के साथ पुराने/ऑफलाइन मामलों को क्रॉस-चेक करने के लिए एक स्वचालित प्रणाली से भी वंचित हो गई। दो चयनित जिलों (दक्षिण और पश्चिम जिलों) में अभिलेखों की जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि भौतिक आवेदन के आधार पर पेंशन प्राप्त करने वाले 45 लाभार्थियों

ने पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया था। उन्हें ऑनलाइन आवेदन के आधार पर भी पेंशन स्वीकृत की गई थी, साथ ही जिस अवधि के दौरान आवेदन लंबित थे, उस राशि के लिए बकाया राशि भी दी गई थी। यह दोहराव ऑफलाइन (लीगेसी) लाभार्थियों के विवरण को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में स्थानांतरित नहीं करने के कारण हुआ था। इन 45 लाभार्थियों को बकाया (ऑनलाइन) के साथ-साथ ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों आवेदनों के आधार पर पेंशन के अनियमित भुगतान के परिणामस्वरूप ₹ 8.08 लाख की पेंशन का अधिक भुगतान हुआ। ऑफलाइन लाभार्थियों की भारी संख्या को देखते हुए बड़ी संख्या में लाभार्थियों को अनियमित दोहरा भुगतान करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। सरकार को शीघ्रतिशीघ्र ऑफलाइन मामलों को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में मान्य और स्थानांतरित करने की आवश्यकता है, जिससे ऐसी अनियमितताओं से बचा जा सके।

लेखापरीक्षा ने विभाग द्वारा एम.एस.ए.एस में अनुरक्षित 126 चयनित ऑफलाइन (लीगेसी) मामलों के विवरण का भी सत्यापन किया, लेकिन नमूना जांच किए गए जिला कार्यालयों में 109 के संबंध में सहायक भौतिक अभिलेख (आवेदक और सहायक दस्तावेज) उपलब्ध नहीं कराए गए/पता लगाने योग्य नहीं थे। इस प्रकार, इन लीगेसी मामलों की वास्तविकता को सत्यापित नहीं किया जा सका और यह संदिग्ध है।

डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि लाभार्थी डेटा को एनएसएपी-पीपीएस पोर्टल पर डाला गया है और रोल आउट से पहले इसका परीक्षण किया जा रहा है।

### **2.2.8.3 एसएमएस में अपर्याप्त इनपुट सत्यापन के कारण लाभार्थियों का अविश्वसनीय विवरण**

इनपुट कंट्रोल वह एप्लिकेशन कंट्रोल है जो सत्यापन जांच, डुप्लीकेट जांच और अन्य संबंधित नियंत्रण द्वारा गलत डेटा प्रविष्टि के जोखिम को कम करता है। सिस्टम में डेटा इनपुट की सटीकता को सिस्टम में प्रस्तुत डेटा पर कई कंप्यूटरीकृत वैधता जांच लगाकर नियंत्रित किया जा सकता है। यह संभावित गलतियों का पता लगाने एवं उन्हें ठीक करने के लिए जल्दी से जल्दी अवसर प्रदान करता है।

संकटग्रस्त महिलाओं के लिए दिल्ली पेंशन योजना का प्रबंधन ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। आंकड़ों के विश्लेषण के दौरान, यह पाया गया कि ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में इनपुट सत्यापन की कमी थी। इसने अयोग्य लाभार्थियों को पेंशन की सुविधा प्रदान की, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:

- i. डीपीएसडब्ल्यूडी के लिए पात्रता मानदंड में से एक है 'आवेदक का दिल्ली के रा.रा.क्षे. में किसी भी बैंक में एकल संचालित खाता होना चाहिए'। यह आवेदन में दर्ज आई.एफ.एस.सी. के सत्यापन द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। हालांकि, लेखापरीक्षा ने ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के आंकड़ों में डीपीएसडब्ल्यूडी के 177 मामलों को देखा जहाँ पेंशन रा.रा.क्षे. दिल्ली से बाहर के बैंक खातों में जमा की गई थी, जो यह दर्शाता है कि इसके लिए सत्यापन जांच नहीं की गई थी।

डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि इसका दिल्ली के बाहर के खाते में क्रेडिट पर कोई नियंत्रण नहीं है क्योंकि आधार पर आधारित भुगतान प्रणाली आधार के साथ मैप किए गए अंतिम खाते में स्वचालित रूप से क्रेडिट कर देती है।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि यह सुनिश्चित करना डीडब्ल्यूसीडी की जिम्मेदारी है कि भुगतान दिल्ली में बैंक खातों में किये जाते हैं।

- ii. डीपीएसडब्ल्यूडी के लिए पात्रता मानदंड में से एक है, 'आवेदन की तारीख से पहले दिल्ली में न्यूनतम पांच साल का निवास'। तदनुसार, ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के लिए आवेदक को यह सूचित करने की आवश्यकता है कि क्या वह इस मानदंड को पूरा करता है। हालांकि, लेखापरीक्षा ने 306 मामले देखे जिनमें आवेदन स्वीकार कर लिया गया था और इस तथ्य के बावजूद मामला संसाधित किया गया था कि आवेदक ने निवास मानदंड की पूर्ति के विरुद्ध 'नहीं' का चयन किया था।

मामला सरकार को भेजा गया था, पर उत्तर प्रतीक्षित था (मई 2022)।

- iii. लेखापरीक्षा ने संकटग्रस्त महिलाओं के पेंशन के दो मामले देखे जिनमें भविष्य की तिथि पति की मृत्यु की तिथि के रूप में प्रस्तुत की गई थी। यह सत्यापन जांच की कमी या विफलता के कारण है क्योंकि 'पति की मृत्यु की तिथि' को भविष्य की तारीख के रूप में आवेदन जमा करते समय स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

जवाब में, महिला एवं बाल विकास विभाग ने कहा (अगस्त 2021) कि एक मामले में पति की मृत्यु की तारीख वास्तव में पेंशन के लिए आवेदन से पहले की थी जिसे अब ठीक कर दिया गया है। दूसरे मामले में पेंशन रोक दी गई है तथा पेंशन की वसूली और लाभार्थी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हालांकि, जवाब इनपुट डेटा के लिए सत्यापन जांच शुरू करने हेतु की गई कार्रवाई के संबंध में मौन है।

#### 2.2.8.4 एस.एम.एस. और पी.एफ.एम.एस के बीच अनुबंधन के अभाव के कारण शुरु से अंत तक डिजिटलीकरण की प्रक्रिया नहीं हुई

डीबीटी के उद्देश्यों में से एक प्रक्रिया शुरु से अंत तक डिजिटलीकरण था, अर्थात् योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन करने की तारीख से लेकर लाभों के वितरण किए जाने तक। डीबीटी भुगतानों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार भुगतान की शर्तों को संतोषजनक रूप से पूरा करने के बाद कार्यान्वयन विभाग एसएमएस या पीएफएमएस में सीधे भुगतान फाईल निर्देश उत्पन्न करेगा और भुगतान फाईल को पीएफएमएस (पूर्व के मामले में) पर भेजेगा तथा भुगतान प्रसंस्करण के लिए इसे अधिकृत करेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डीपीएसडब्ल्यू में, भुगतान फाईल निर्देश एसएमएस या पीएफएमएस में उत्पन्न नहीं हो रहे हैं। इसके बजाए, नए स्वीकृत ऑनलाइन मामलों का विवरण हर महीने ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से एक एक्सेल शीट में लिया जाता है और एम एस एक्सेस (मास्टर डाटाबेस) में मौजूदा मामलों (ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन) के साथ विलय कर दिया जाता है। इसके बाद, जिन लाभार्थियों को भुगतान जारी किया जाना है, उनकी एक संयुक्त सूची एक्सेल प्रारूप में मास्टर डेटाबेस से निकाली जाती है, जिसे भुगतान करने के लिए पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड किया जाता है।

डीडब्ल्यूसीडी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया डीबीटी ढांचे की भावना के अनुरूप नहीं थी जिससे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के एसएमएस/पीएफएमएस के माध्यम से लाभ का हस्तांतरण सीधे लाभार्थियों को किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा की राय में जब एक बार पात्र लाभार्थियों की अप-टू-डेट सूची ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में एसएमएस में बनाकर रखी जाती है, तब भुगतान फाईल निर्देश स्वचालित रूप से उत्पन्न होने चाहिए और भुगतान करने के लिए पीएफएमएस में भेज देने चाहिए। लाभार्थी डेटा की मैनुअल प्रोसेसिंग और पीएफएमएस को भुगतान के लिए लाभार्थी डेटा अपलोड करना एक एक्सेल शीट में आसानी से संशोधित/बनाया/हटाया जा सकता है।

मामला सरकार को भेजा गया, पर उत्तर प्रतिक्रिया था (मई 2022)

#### 2.2.8.5 पीएफएमएस में लाभार्थियों का एकाधिक पंजीकरण

डीबीटी के लिए एसओपी बैंक खाते/डाक खाते के सफल सत्यापन या भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम आधार मैपर पर आधार संख्या के सत्यापन के बाद पीएफएमएस में लाभार्थी के पंजीकरण की आवश्यकता होती है। पीएफएमएस पर सफलतापूर्वक पंजीकरण के बाद, यह प्रत्येक लाभार्थी को एक यूनिक लाभार्थी

कोड प्रदान करता है। पंजीकरण विफलता या एसएमएस में लाभार्थी के रिकॉर्ड को अद्यतन करने वाले मामलों को छोड़कर यह एक बार की प्रक्रिया है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि मार्च 2021 तक 5,52,055, लाभार्थी पीएफएमएस पर पंजीकृत थे। इनमें से 4,83,784 लाभार्थी 2,41,835 आधार संख्या का एक से अधिक बार उपयोग करके पंजीकृत थे। इस प्रकार पीएफएमएस पर पंजीकृत होने से पहले प्रत्येक लाभार्थी की विशिष्टता सुनिश्चित करने की प्रमाणिक प्रक्रिया अविश्वनीय थी।

#### 2.2.8.6 पेंशन की स्वीकृति में अनियमितताएं

एक आवेदक के द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से डीपीएसडब्ल्यूडी के लिए फार्म और सहायक दस्तावेज जमा करने के बाद विभाग आवेदनों की जांच करता है जिसमें आवेदकों द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों का सत्यापन शामिल होता है। लेखापरीक्षा ने पेंशन की स्वीकृति में विभिन्न मुद्दों का अवलोकन किया जैसा कि आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

##### (i) पेंशन की मंजूरी में विलंब

डीपीएसडब्ल्यूडी के लिए आवेदनों को आवेदन की तारीख से 45 दिनों के भीतर जिला अधिकारियों द्वारा मंजूरी के लिए संसाधित किया जाना आवश्यक था। हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि डीडब्ल्यूसीडी में 32,578 नमूना जांच किए गए मामलों (54.17 प्रतिशत) में आवेदनों के प्राप्त होने के 45 दिनों के बाद पेंशन स्वीकृति दी गई थी। विलंब 22 माह तक का था। पेंशन की स्वीकृति में विलंब डीबीटी योजना के मूल उद्देश्य के विरुद्ध है।

##### (ii) दस्तावेजों के सत्यापन के बिना पेंशन की स्वीकृति

आवेदकों द्वारा उनकी पात्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन के लिए कोई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) परिभाषित नहीं थी जैसे कि जारी करने वाले विभाग के पास पति की मृत्यु प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र आदि को सत्यापित करने के लिए कोई एसओपी नहीं थी।

लेखापरीक्षा ने डीपीएसडब्ल्यूडी के लिए 161 लाभार्थियों के आवेदन पत्र और सहायक दस्तावेज मांगे, जिनमें से केवल 52 आवेदन पत्र (ऑफलाइन और ऑनलाइन मामले) लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये 52 में से नौ मामलों में, जारीकर्ता विभाग की वेबसाइट पर पति के मृत्यु प्रमाणपत्र नहीं मिले। इन 161 लाभार्थियों का सर्वे करने पर पता चला कि चार लाभार्थियों के पति जीवित थे। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि विभाग ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को निष्ठापूर्वक सत्यापित नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप अपात्र

आवेदकों को पेंशन की स्वीकृति दी गई। दस्तावेजों के सत्यापन के अभाव में कई अपात्र लाभार्थियों के अस्तित्व की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसकी विस्तार से जांच की आवश्यकता है और इसके लिए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

डीडब्ल्यूसीडी ने इस तथ्य को स्वीकार किया और कहा (दिसंबर 2021) कि उसने सभी नगर निगमों से डिजिटल मोड के माध्यम से मृत्यु प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए एनआईसी के साथ मृत्यु का डेटा साझा करने का अनुरोध किया है।

#### 2.2.8.7 लाभार्थियों के खाते में भुगतानों के अंतरण में विलंब

डीपीएसडब्ल्यूडी में, मासिक पेंशन भुगतान लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित किया जाना है। ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से पात्र लाभार्थियों के डेटा को कैप्चर करने से लेकर पीएफएमएस पोर्टल पर भुगतान डेटा फाइल अपलोड करने तक की भुगतान प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के लिए निर्धारित समय-सीमा (27 सितंबर 2019) के अनुसार, पेंशन पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में प्रत्येक माह की 20 तारीख तक जमा की जानी चाहिए।

अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि फरवरी 2019 से अप्रैल 2019 तक के महीनों के लिए पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में 22 मई 2019 को जमा किया गया। इस प्रकार लाभार्थियों के खातों में भुगतान के हस्तांतरण में विलंब हुआ।

डीडब्ल्यूसीडी ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा (दिसंबर 2021) कि लीगेसी डाटा के अनुसार भुगतान की मैनुअल प्रक्रिया ई-डिस्ट्रिक्ट तथा गलत मामलों के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त किए गए आवेदनों के कारण विलंब हुआ था।

#### 2.2.8.8 डीडब्ल्यूसीडी द्वारा बड़ी संख्या में स्वयं चिन्हित अपात्र लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान किया जाना

लाभार्थियों की पात्रता का समय-समय पर मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि विभिन्न कारणों से लाभार्थी की स्थिति समय के साथ बदल सकती है। संकटग्रस्त महिलाओं के लिए दिल्ली पेंशन योजना नियम 2010, 12 (v) के अनुसार, योजना की समीक्षा और मूल्यांकन के साथ-साथ लाभार्थियों का सत्यापन हर तीन साल में किया जाना है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा किए गए (2018-19) 2,30,412 लाभार्थियों के एक सर्वेक्षण में 43,516 लाभार्थियों ने विभिन्न आधारों जैसे पुनर्विवाह, क्षेत्र परिवर्तन एवं डुप्लीकेट पेंशन आदि पर पात्रता मानदंड को पूरा नहीं किया था।

हालांकि, विभाग द्वारा अपात्र पाए गए इन लाभार्थियों से पेंशन का भुगतान रोकने और प्रभावी वसूली के लिए विभाग द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। इस मुद्दे को जीएनसीटीडी में उच्चतम स्तर पर गंभीर जांच की आवश्यकता और पेंशन के अनियमित भुगतान को रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय किए जाने चाहिए। बड़ी संख्या में अपात्र लाभार्थियों को ध्यान में रखते हुए चूक के लिए जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा द्वारा किए गए 161 चयनित मामलों के सर्वेक्षण के दौरान, दो मामलों में देखा गया कि लाभार्थी द्वारा दिल्ली से बाहर स्थानांतरित हुआ था जिसके कारण लाभार्थी पेंशन के लिए अपात्र थे और एक मामले में, लाभार्थी की मृत्यु हो गई थी। हालांकि, इन मामलों में पात्रता के आवधिक पुनर्निर्धारण के लिए तंत्र के अभाव के कारण पेंशन का भुगतान किया जा रहा था।

डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि उसने लाभार्थियों की पात्रता के आंकलन के लिए एक प्रस्ताव शुरू किया है।

#### **2.2.8.9 ओएपी और डीपीएसडब्ल्यूडी दोनों के अंतर्गत महिला लाभार्थियों को वित्तीय सहायता का अनियमित संवितरण**

डीबीटी योजनाओं में, लाभार्थियों के डेटाबेस को डिजिटाइज किया जाता है और इस प्रकार, कई योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की पहचान करने के लिए राज्य स्तर पर आसानी से विश्लेषण किया जा सकता है।

‘वृद्धावस्था पेंशन योजना’ और ‘संकटग्रस्त महिलाओं के लिए दिल्ली पेंशन योजना’ की पात्रता मानदंड लाभार्थियों को अन्य केंद्रीय/राज्य/यूएलबी आदि योजनाओं से इस उद्देश्य के लिए कोई अन्य पेंशन प्राप्त करने में रोकता है।

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2020-21 के लिए दो योजनाओं के डेटाबेस की तुलना की और पाया कि दोनों योजनाओं के तहत 1,423 लाभार्थियों को पेंशन प्राप्त हुई। इन 1,423 लाभार्थियों को ‘संकटग्रस्त महिलाओं के लिए दिल्ली पेंशन योजना’ और ‘वृद्धावस्था पेंशन योजना’ के तहत क्रमशः ₹ 4.05 करोड़ और ₹ 3.72 करोड़ मिले। हालांकि, सरकार ने कई भुगतानों की पहचान के लिए सरकार के तहत विभिन्न डीबीटी योजनाओं के तहत लाभार्थियों की तुलना करने के लिए कोई तंत्र तैयार नहीं किया है। यह एक गंभीर मामला है, सुधारात्मक कार्रवाई जल्द की जानी चाहिए। मुद्दे की विस्तृत जांच के आधार पर सम्बन्धित पदाधिकारी की जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए।

डीडब्ल्यूसीडी ने कहा (दिसंबर 2021) कि मामला सुलझा लिया जाएगा जब दोनों विभाग (डीएसडब्ल्यू तथा डीडब्ल्यूसीडी) में लाभार्थी डेटा एनएसएपी

पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। इसने 'लाभार्थियों' का डेटा एनएसएपी पोर्टल पर अपलोड कर दिया है और मामला, योजना विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स को प्रस्तुत किया जा रहा है।

## 2.2.9 वृद्धावस्था पेंशन योजना

### 2.2.9.1 संभावित लाभार्थियों के बीच योजना के बारे में जानकारी के प्रति उदासीन दृष्टिकोण

डीबीटी के मुख्य उद्देश्यों में से एक, लाभार्थियों का सटीक लक्ष्यीकरण सुनिश्चित करना है। डीबीटी की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार, संबंधित योजनाओं के लिए लाभार्थियों की पहचान की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की है। अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, यह सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि संभावित लाभार्थियों के बीच पर्याप्त जागरूकता पैदा की जाए, जिससे वे लाभ के लिए आवेदन कर सकें।

हालांकि यह देखा गया कि:

- (i) डीएसडब्ल्यू ने ओएपी योजना के लिए पात्र निवासियों की वास्तविक संख्या का आंकलन करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इसके अतिरिक्त, इसने इस योजना के तहत कवर किए जाने वाले लाभार्थियों की कुल संख्या को कम करने के लिए एक 'सीमा तैयार की है (वर्तमान में 5.30 लाख), जिसका आधार लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किया गया था। इस सीमा को योजना के लाभार्थियों की मौजूदा संख्या के अनुपात में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए कोटा में विभाजित किया गया है। यह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कोटा प्रणाली नए आवेदकों को अस्वीकार करती है, अन्यथा जो योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र है, यदि उनके निर्वाचन क्षेत्र का कोटा भरा हुआ है भले ही कुल रिक्तियां मौजूद हों। लाभार्थियों की कुल संख्या की सीमा उस योजना के मूल उद्देश्य के विरुद्ध है जो दिल्ली में सभी पात्र वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करने के लिए थी।
- (ii) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की सिटीजन चार्टर हैंडबुक के अनुसार, सिटीजन चार्टर में, प्रत्येक सेवा में, उपयोगकर्ता की पात्रता, मानकों का पालन न करने की स्थिति में उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध सेवा मानक और उपचार का उल्लेख किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि डीएसडब्ल्यू की वेबसाइट में 'सिटीजन चार्टर' लिंक मौजूद था,

डीएसडब्ल्यू द्वारा प्रचालित विभिन्न वित्तीय सहायता योजनाओं के विवरण दिए गए थे। ओएपीएस के संदर्भ में, यह उल्लेख किया गया था कि सामान्य तौर पर, आवेदनों की प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर आवेदनों का निपटान किया जाना था, जब तक कि परिस्थितियां अन्यथा निर्देशित न हो। पेंशन की मंजूरी में डीएसडब्ल्यू द्वारा लिए गए समय की, 'पेंशन की मंजूरी में अनियमितता' वाले पैरा में चर्चा की गई है। चार्टर में आवेदकों के लिए उपलब्ध निवारण तंत्र का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार, नागरिकों को समय पर लाभ प्राप्त करने एवं सशक्त बनाने के लिए आवश्यक और उपयोगी जानकारी देने के संबंध में सिटीजन चार्टर की कमी है।

- (iii) यह भी देखा गया कि वृद्धवस्था पेंशन योजना का प्रचार प्रिंट/रेडियो/डिजिटल माध्यम से नहीं किया गया था और न ही कोई शिविर आयोजित किया गया था, जिसमें संभावित लाभार्थियों को लाभों के बारे में सूचित किया जा सके और आवेदन जमा किए जा सकें।

इस प्रकार, सरकार ने न केवल संभावित लाभार्थियों के बीच योजनाओं के बारे में सूचनाओं के प्रसारण के प्रति उदासीन दृष्टिकोण दिखाया। अपितु, एक अवैज्ञानिक तरीके से लाभार्थियों की संख्या को भी सीमित कर दिया, क्योंकि वास्तविक संख्या की पहचान के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था।

कुल लाभार्थियों की संख्या में अधिकतम सीमा के मुद्दों के संबंध में डीएसडब्ल्यू ने उत्तर दिया (दिसंबर 2021) कि यह एक नीतिगत निर्णय है और लेखापरीक्षा की टिप्पणियों को भविष्य में नीति स्तर पर जहां तक संभव हो, फैक्टरिंग के लिए विधिवत नोट किया जाता है। योजनाओं को प्रचारित करने के संबंध में, डीएसडब्ल्यू ने कहा कि, योजना के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा और 2018-19 से 2020-21 के दौरान रिक्तियों की अनुपलब्धता के कारण प्रिंट/रेडियो में इस योजना का विज्ञापन नहीं किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जब भी कोई लाभार्थी मृत्यु, निवास स्थान बदलने आदि के कारण अपात्र हो जाता है तो लाभार्थियों की संख्या अधिकतम सीमा से नीचे जा सकती है और इन रिक्तियों के लिए नए लाभार्थियों को योजना के तहत कवर किया जा सकता है।

### 2.2.9.2 एसएमएस में स्थानांतरित नहीं किए गए लीगेसी लाभार्थियों का विवरण (ई-जिला पोर्टल)

ओएपी के लिए डीबीटी के तहत ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन शुरू होने से पहले, (7 जनवरी 2017 तक लाभार्थियों द्वारा ऑफलाइन (भौतिक) आवेदन जमा किए गए थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2021 तक कुल 5.69 लाख लाभार्थियों में से 4.52 लाख (79 प्रतिशत) ऑफलाइन/लीगेसी लाभार्थियों को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर स्थानांतरित नहीं किया गया था, लेकिन एमएस-एक्सेस डेटाबेस में बनाए रखा गया था, जिसका उपयोग पीएफएमएस के माध्यम से उनके बैंक खाते में भुगतान जारी करने के लिए किया गया था। इस प्रकार, सरकार के लिए इन लीगेसी मामलों को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर स्थानांतरित करना अनिवार्य था जिससे सभी लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान प्रसंस्करण के बाद एसएमएस के माध्यम से किया जा सके। इस प्रकार, सरकार द्वारा 'वृद्धावस्था पेंशन' के 79 प्रतिशत लाभार्थियों के विवरण का डिजिटलीकरण नहीं किया गया था।

लीगेसी मामलों को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर स्थानांतरित नहीं करने से सरकार ऑनलाइन आवेदकों के साथ लीगेसी/ऑफलाइन मामलों की जांच करने के लिए एक स्वचालित प्रणाली से भी वंचित हो गई। सरकार को जल्द से जल्द ऑफलाइन मामलों को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में मान्य और स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा ने ऑफलाइन आवेदनों (लीगेसी मामलों) के रिकॉर्ड भी मांगे, जिनका विवरण डीएसडब्ल्यू द्वारा एम एस-एक्सेस डेटाबेस में रखा गया था। हालांकि, चयनित जिला कार्यालयों ने उत्तर दिया है कि 247 चयनित ऑफलाइन लाभार्थियों (दक्षिण जिले से 114 और दक्षिण पश्चिम जिले से 133 में से 246 के सहायक भौतिक रिकॉर्ड (आवेदन और सहायक दस्तावेज) का पता लगाने योग्य नहीं थे। इस प्रकार, ऐसे लीगेसी मामलों की वास्तविकता लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित नहीं की जा सकी और संदिग्ध है।

डीएसडब्ल्यू ने उत्तर दिया (दिसंबर 2021) कि तकनीकी मामलों के कारण, लीगेसी डाटा का एकीकरण प्राप्त नहीं किया जा सका। विभाग ने आगे कहा कि इसने लीगेसी डेटा और ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल को एनएसएपी-पीपीएस पोर्टल के साथ एकीकृत कर दिया है, इसे आगे पीएफएमएस के साथ लिंक कर दिया गया है, इस प्रकार योजना के अंत तक डिजिटलीकरण को सक्षम किया जा रहा है।

### 2.2.9.3 एसएमएस में अपर्याप्त इनपुट सत्यापन के कारण लाभार्थियों का अविश्वसनीय विवरण

एसएमएस, जिसके माध्यम से लाभार्थियों का विवरण भरा जाता है, में पर्याप्त इनपुट सत्यापन जांच शामिल की जानी चाहिए। इनपुट का सत्यापन एक प्रारंभिक जांच है और उपयोगकर्ता के साथ इष्टतम/संतोषजनक बातचीत के लिए एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिससे आवेदक/विभाग के अधिकारी आवेदन भरते समय अमान्य डेटा का पता लगाकर, इसे तुरंत ठीक कर सकें। यदि यह सर्वर तक पहुंच जाता है फिर प्रसंस्करण या भुगतान के समय इसे खारिज कर दिया जाता है, तो इससे लाभार्थियों को लाभ प्रदान करने में अनुचित विलंब होगा। इनपुट सत्यापन की कमी और गलत आवेदन प्रसंस्करण के परिणामस्वरूप अपात्र लाभार्थियों का अनुमोदन भी हो सकता है और इस प्रकार, अनियमित भुगतान हो सकता है।

वृद्धावस्था पेंशन योजना का प्रबंधन ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। लाभार्थी डेटा के विश्लेषण के दौरान, यह पाया गया कि ई-जिला पोर्टल में इनपुट सत्यापन की कमी थी जैसा कि नीचे चर्चा की गई है:-

- (i) बैंक खाता विवरण (खाता संख्या और आईएफएससी) ओएपी के लिए आवेदन में भरी जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण प्रविष्टियों में से एक है, क्योंकि गलत खाता विवरण एक असफल लेनदेन और लाभार्थी को लाभ के हस्तांतरण में इन्कार/विलंब का कारण बनेगा। आईएफएससी (इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड) एक अल्फा-न्यूमेरिक कोड का प्रतिनिधित्व करता है जो विशिष्ट रूप से किसी भी आरबीई द्वारा विनियमित फंड ट्रांसफर सिस्टम में भाग लेने वाली बैंक शाखा की पहचान करता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट और लीगेसी डेटा से संकलित लाभार्थी डेटा में आईएफएससी कोड के लिए सत्यापन पर नियंत्रण नहीं था और 7518 मामले थे जिनमें आईएफएससी कोड अपूर्ण पाए गए थे।
- (ii) ओएपी के लिए पात्रता मानदंड में से एक यह है कि आवेदक का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के किसी भी बैंक में एकल-संचालित खाता होना चाहिए। रा.रा.क्षे. दिल्ली में बैंक खाते की आवश्यकता को आवेदन में दर्ज आईएफएससी कोड के सत्यापन द्वारा सत्यापित किया जा सकता है। हालांकि, लेखापरीक्षा ने ई-जिला आंकड़ों में 559 ओएपी मामलों में देखा जहां पेंशन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बाहर बैंक खाते में जमा की गई थी, यह दर्शाता है कि उपरोक्त सत्यापन को पोर्टल में शामिल नहीं किया गया था।

डीएसडब्ल्यू ने उत्तर दिया (दिसंबर 2021) कि सभी आईएफएससी कोड मैप किए जाने से पहले ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर मान्य है। जवाब लीगेसी/ऑफलाइन मामलों के आईएफएससी कोड के सत्यापन के बारे में मौन है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आईएफएससी कोड का सत्यापन उन सभी लाभार्थियों के लिए किया जाना चाहिए था, जिनमें लीगेसी लाभार्थी भी शामिल थे जिन्होंने भौतिक रूप से अपना विवरण प्रस्तुत किया था।

559 मामलों के संबंध में जहां पेंशन दिल्ली के बाहर स्थित बैंक खाते में जमा की जा रही थी, विभाग ने उत्तर दिया (दिसंबर 2021) कि यह आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) की विशेषता है कि डीबीटी प्रेषण स्वचालित रूप से एनपीसीआई पर आधार सहित मैप किए गए अंतिम खाते में जमा किए जाते हैं। इसलिए, जबकि सभी लाभार्थी अपने खाते दिल्ली में जमा करते हैं, भुगतान के समय, विभाग का दिल्ली से बाहर के खातों में क्रेडिट पर कोई नियंत्रण नहीं है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यह सुनिश्चित करना कार्यान्वयन विभाग की जिम्मेदारी है कि योजना की पात्रता मानदंड पूरी तरह से लाभार्थियों द्वारा मिले हैं।

#### **2.2.9.4 प्रक्रिया का शुरु से अंत तक डिजिटलीकरण न होने के कारण एसएमएस तथा पीएफएमएस के बीच लिंकेज का अभाव**

जैसा कि डीपीएसडब्ल्यूडी के मामले में पहले ही बताया जा चुका है, ओएपी योजना में भी, डीबीटी के पास एसओपी के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा था और नए स्वीकृत ऑनलाइन मामलों का विवरण ई-डिस्ट्रिक्ट से लेकर प्रत्येक माह एक्सेल शीट और एमएस-एक्सेस (मास्टर डाटाबेस) में ऑफलाइन मामलों के साथ विलय किया गया था। उसके बाद, लाभार्थियों की एक संयुक्त सूची जिनको भुगतान किया जाना था, एक्सेल प्रारूप में मास्टर डेटाबेस से निकाला गया जिसे भुगतान करने के लिए पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड किया गया। एक्सेल शीट के माध्यम से डेटा का स्थानांतरण जोखिमों से भरा होता है, क्योंकि लाभार्थी के विवरण को बिना लेखा सत्यापन के एक एक्सेल शीट से आसानी से संशोधित/बनाया/हटाया जा सकता है। आदर्श रूप से, लाभार्थियों के पुराने डेटा को एसएमएस में स्थानांतरित किया जाना चाहिए और भुगतान संबंधी डेटा को सीधे मैनुअल हस्तक्षेप के बिना स्थानांतरित करने के लिए एसएमएस को पीएफएमएस के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।

#### **2.2.9.5 पीएफएमएस में लाभार्थियों का एकाधिक पंजीकरण**

डीबीटी के लिए एसओपी को लाभार्थी की पहचान स्थापित करने के लिए यूआईडीएआई के बायो-मैट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके कार्यान्वयन

विभाग द्वारा लाभार्थियों की पहचान के साथ-साथ प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। लेखापरीक्षा ने देखा कि रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा ओएपी योजना में आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

पीएफएमएस पर सफलतापूर्वक पंजीकरण के बाद प्रत्येक लाभार्थी को एक यूनिट लाभार्थी कोड प्रदान करता है। लाभार्थी डेटा और पीएफएमएस में लाभार्थियों की पहचान करने के लिए सही लाभार्थी आई डी आवश्यक है जिसके बिना नकली लाभार्थियों को भुगतान या एक ही लाभार्थी को कई भुगतान की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

मार्च 2021 तक, ओएपी योजना के तहत पीएफएमएस पोर्टल पर पंजीकृत 7,68,522 लाभार्थी थे। हालांकि, मास्टर डेटाबेस में केवल 5,69,488 पंजीकृत लाभार्थी थे जो पीएफएमएस में एक ही लाभार्थी के कई पंजीकरण का संकेत देते थे। यह देखा गया कि ओएपी योजना में एक बार से अधिक, 2,15,560 अलग आधार नम्बरों को इस्तेमाल करते हुए 4,53,052 लाभार्थी पीएफएमएस में पंजीकृत पाए गए जो पीएफएमएस में पंजीकृत करने से पहले प्रत्येक लाभार्थी की विशिष्टता सुनिश्चित करने की अविश्वसनीय प्रमाणीकरण प्रक्रिया को दर्शाता है।

विभाग ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2021) कि लाभार्थियों को भुगतान के लिए पीएफएमएस पोर्टल पर प्रसंस्करण के बाद, लाभार्थी डेटा को पृथक कोड (केंद्रीय/राज्य कोड) पर पृथक समय पर पोर्ट किया गया था। इसके अतिरिक्त, लाभार्थी विवरण एईपीएस के साथ-साथ एनईएफटी भुगतान दोनों के लिए मान्य है, जिसके कारण लाभार्थी के लिए दो कोड उत्पन्न होते हैं। हालांकि प्रेषण के लिए केवल एक कोड का उपयोग किया जाता है, विशेषतः 'आधार' आधारित कोड। विभिन्न कोडों पर उत्पन्न पंजीकरण आई डी को हटाया नहीं जाता है क्योंकि भुगतान की स्थिति/पिछले लेनदेन को केवल विशिष्ट पीएफएमएस कोड के माध्यम से खोजा जा सकता है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा अनुरक्षित मास्टर डेटाबेस में 5.69 लाख लाभार्थी हैं और पीएफएमएस में 2 लाख अतिरिक्त लाभार्थी पंजीकृत पाए गए जो एक महत्वपूर्ण संख्या है। विभाग को पेंशन के भुगतान के तरीके (एईपीएस या एनईएफटी) के आधार पर लाभार्थियों की स्पष्ट रूप से पहचान करके एक ही लाभार्थी के एकाधिक पंजीकरण से बचने के लिए कदम उठाने चाहिए।

#### 2.2.9.6 पेंशन की स्वीकृति में अनियमितताएं

एक आवेदक द्वारा पेंशन योजना के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल द्वारा फार्म और सहायक दस्तावेज जमा करने के बाद, विभाग आवेदन की जांच करता है जिसमें आवेदक द्वारा जमा किए गए

दस्तावेजों का सत्यापन शामिल है। लेखापरीक्षा ने पेंशन की स्वीकृति में निम्नलिखित मुद्दे देखे:-

#### (i) पेंशन की मंजूरी में देरी और मनमानी

ओएपी के लिए आवेदनों को आवेदन की तारीख से 45 दिनों के भीतर जिला अधिकारी, समाज कल्याण विभाग द्वारा मंजूरी के लिए संसाधित किया जाना आवश्यक था।

हालांकि, डीएसडब्ल्यू के संबंध में ई-जिला पोर्टल के लाभार्थियों के डेटाबेस के विश्लेषण से स्वीकृति प्रक्रिया में निम्नलिखित अनियमितताओं का पता चला:

- क) 1,07,373 मामलों (91 प्रतिशत) में 45 दिनों के बाद ओएपी को मंजूरी दी गई थी। विलम्ब तीन वर्ष से अधिक का था।
- ख) अप्राप्य प्रश्नों या स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों के बावजूद 21,537 ओ ए पी आवेदकों को पेंशन स्वीकृत की गई थी। डेटाबेस में कोई सूचना नहीं थी कि क्या पेंशन जारी करने से पहले इन प्रश्नों/टिप्पणियों पर ध्यान दिया गया था।
- ग) 239 अस्वीकृत मामलों में आवेदन बिना कुछ कारण बताए खारिज कर दिए गए। आठ मामलों में आवेदन अनुमोदन हेतु लंबित थे परन्तु बिना कोई कारण बताए खारिज कर दिए गए।

पेंशन की मंजूरी में विलम्ब, प्रतिकूल टिप्पणियों के बावजूद पेंशन मंजूरी तथा बिना कारण बताये खारिज मामले, डीबीटी योजना के मुख्य उद्देश्य के विरुद्ध है तथा पेंशन की मंजूरी में मनमानी दर्शाता है। डी एस डब्ल्यू का जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

#### (ii) लाभार्थियों के खाते में भुगतानों के स्थानांतरण में विलंब

ओएपी योजना में, मासिक पेंशन भुगतान महीने के पांचवे दिन तक लाभार्थी के, खाते में स्थानांतरित किया जाना है। लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, समाज कल्याण विभाग ने निर्दिष्ट किया कि प्रत्येक महीने की भुगतान फाइलें प्रत्येक महीने के अंत तक अपलोड की जानी चाहिए जिससे अगले महीने के पांचवे दिन तक पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में भुगतान जमा किया जा सके।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पीएफएमएस डेटा की संवीक्षा और स्वीकृति फाइलों की नमूना जांच से पाया कि किसी भी माह के लिए व्यय स्वीकृति सामान्यतः अगले माह से प्राप्त होती है। परिणामस्वरूप, किसी विशेष माह से संबंधित

भुगतान फाइलें हमेशा अगले महीने में लोड की जाती हैं और भुगतान अगले महीने के अंत तक अपलोड किया जाता है। अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि भुगतान एक से 14 महीने तक के विलंब से संसाधित किए गए थे।

### 2.2.9.7 लाभार्थियों की पात्रता का आवधिक पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया

लाभार्थियों की पात्रता का समय-समय पर मूल्यांकन करने की आवश्यकता है क्योंकि विभिन्न कारणों से लाभार्थी की स्थिति समय के साथ बदल सकती है। वृद्धावस्था सहायता नियम, 2009 के नियम 11 (iii) में अनुबन्धित पुनरीक्षण तथा मूल्यांकन के साथ-साथ लाभार्थियों का सत्यापन प्रत्येक तीन वर्ष में किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त नियम 5 में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन के माध्यम से सभी लाभार्थियों के पांच प्रतिशत की नमूना जांच भी निर्धारित है। हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि आदेशों की अनुपालना नहीं की गई थी, क्योंकि आज तक ऐसी कोई समीक्षा नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा द्वारा किए गए लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान, 16 मामले देखे गए जहां लाभार्थी की मृत्यु हो गई थी, जिसमें पेंशन के भुगतान को बंद करने की आवश्यकता थी। हालांकि, पात्रता के आवधिक पुनर्निर्धारण के लिए तंत्र के अभाव के कारण इन लाभार्थियों के खातों में पेंशन का भुगतान किया जा रहा था। कुछ नमूना जांच किए गए मामलों के परिणाम दर्शाते हैं कि ऐसे अपात्र मामलों की संख्या मौजूदा लाभार्थियों की कुल आबादी में बहुत बड़ी होगी। यह विभाग की ओर से गंभीर चूक को दर्शाता है क्योंकि अपेक्षित आवधिक भौतिक सत्यापन न करने के परिणामस्वरूप ऐसे लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान हुआ, जो कि स्थिति में परिवर्तन के कारण अपात्र बन गए।

विभाग ने उत्तर दिया (दिसंबर 2021) कि उसने सभी लाभार्थियों के बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से उनके दरवाजे पर तीसरे पक्ष के सत्यापन के लिए एक प्रस्ताव शुरू किया है।

### 2.2.10 वर्दी सब्सिडी

#### 2.2.10.1 एसएमएस में अपर्याप्त इनपुट सत्यापन के कारण लाभार्थियों का अविश्वसनीय विवरण-एडुडेल

सिस्टम में डेटा इनपुट की सटीकता को सिस्टम में प्रस्तुत डेटा पर कई कम्प्यूटरीकृत वैधता जांच लगाकर नियंत्रित किया जा सकता है। यह संभावित गलतियों का पता लगाने और उन्हें ठीक करने के लिए जल्द से जल्द अवसर प्रदान करता है। छात्रों का विवरण स्कूल के आईटी सहायक/स्टाफ द्वारा

एड्डेल के छात्र मॉड्यूल पर फीड/अपलोड किया जाता है। इस संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि छात्र मॉड्यूल में स्कूलों द्वारा दर्ज किए गए छात्र डेटा के लिए कोई अंतर्निहित सत्यापन जांच नहीं है। उचित सत्यापन नियंत्रण के अभाव में, अपूर्ण या अमान्य डेटा दर्ज करने की गुंजाइश है।

2017-18 से 2020-21 की अवधि के लिए सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों के लाभार्थी डेटा की जांच की गई और यह पाया गया कि लाभार्थी डेटा में विसंगतियां थीं जो एड्डेल पोर्टल में इनपुट सत्यापन की कमी को दर्शाता है, जैसा कि आगामी पैराग्राफ में चर्चा की गई है:

**(i) अपूर्ण लाभार्थी डेटा**

लेखापरीक्षा ने देखा कि एड्डेल पोर्टल के छात्र डेटाबेस के रिकॉर्ड में बैंक खाता संख्या, आईएफएससी, आधार, संपर्क नंबर और पिता/माता का नाम जैसे प्रमुख क्षेत्र गायब थे। यह इंगित करता है कि कोई अंतर्निहित सत्यापन जांच नहीं थी क्योंकि पोर्टल को इन आवश्यक विवरणों के बिना छात्र आई डी बनाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। उन मामलों की संख्या जिनमें विवरण रिक्त/अनुपलब्ध हैं इस प्रकार है, जैसा कि तालिक-2.2.2 में दिया गया है।

**तालिक-2.2.2: अनुपलब्ध विवरण वाले मामलों की संख्या**

वर्ष	कुल लाभार्थी	रिक्त बैंक खाता	रिक्त आधार	रिक्त संपर्क सं.	रिक्त पिता/माता के नाम
2017-18	1752997	26214	35524	177161	शून्य
2018-19	1792871	23609	28078	178382	203
2019-20	1796231	34526	31288	187744	205
2020-21	1832377	84247	40068	15598	02

**(ii) लाभार्थी डेटा में एक से अधिक छात्रों के प्रति वही बैंक खाता संख्या**

डीबीटी के दिशानिर्देशों के अनुसार, डीबीटी के कार्यान्वयन के लिए एक पूर्व-आवश्यकता लाभार्थियों के व्यक्तिगत बैंक खाते खोलना है क्योंकि वित्तीय लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाना है।

लाभार्थी डेटा के विश्लेषण से पता चला कि वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के दौरान क्रमशः 9752, 10662, 12223 और 22270 छात्र दर्ज थे बिना यूनिक बैंक खाता संख्या के अर्थात् एक ही बैंक खाते से कई छात्र के लिंक थे (परिशिष्ट 2.2)। इन मामलों के भुगतान के विवरण का लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषण किया गया था और इसे पैरा 2.2.10.4 में प्रतिवेदित किया गया है।

**(iii) एक से अधिक छात्रों के लिए एक ही आधार संख्या**

2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए लाभार्थी के आंकड़ों में, लेखापरीक्षा ने छः उदाहरणों का उल्लेख किया जहां एक ही आधार संख्या दो छात्रों द्वारा साझा

की गई थी। वर्ष 2020-21 के छात्र डेटा में पूर्ण आधार संख्या नहीं थी इसलिए लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर पाई कि आधार संख्या है या नहीं।

**(iv) लाभार्थी डेटा में समान छात्र विवरण**

छात्र डेटा के विश्लेषण से पता चला कि ऐसे मामले थे जहां छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और छात्र की जन्म तिथि दो से तीन छात्रों द्वारा साझा की गई थी, कुल मिलाकर 2855<sup>5</sup> छात्र रिकार्ड थे। साथ ही, चार छात्रों का उपरोक्त विवरण समान था। इसी प्रकार, 1094<sup>6</sup> छात्र अभिलेखों में एक ही छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और संपर्क नंबर दो से तीन बार दोहराया गया था। इसके परिणामस्वरूप एक ही छात्र को एक से अधिक बार लाभ प्राप्त हो सकता है।

**(v) स्कूल रिकॉर्डों की तुलना में चयनित नमूनों के लाभार्थी डेटा में कमियां**

लेखापरीक्षा ने 269 चयनित लाभार्थियों के संबंध में स्कूल अभिलेखों के साथ आंकड़ों को सत्यापित करने का प्रयास किया। हालांकि, लेखापरीक्षा केवल 228 विद्यार्थियों के संबंध में लाभार्थी डेटा का सत्यापन कर सकी क्योंकि विद्यालयों में शेष चयनित विद्यार्थियों के अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए। चार मामलों में, लाभार्थी डेटा में उल्लिखित आधार संख्या स्कूल रिकार्ड के अनुसार आधार संख्या से मेल नहीं खाती। 16 मामलों में लाभार्थी डेटा में बैंक खाता संख्या बैंक पासबुक/स्कूल रिकार्ड के अनुसार बैंक खाता संख्या से मेल नहीं खाती।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है, कि एडुडेल के पास डुप्लीकेट बैंक खाता संख्या और आधार संख्या को समाप्त करने और नामांकन डेटा कैप्चर करते समय रिक्त रिकार्ड की जांच करने की लिए पर्याप्त इनपुट नियंत्रण और सत्यापन जांच नहीं थी। यह दर्शाता है कि गलत डेटा प्रविष्टि को समाप्त करने के लिए डेटा सफाई अभ्यास नहीं किया गया तथा अपात्र लाभार्थियों को लाभ दिया गया था। यह स्कूल स्तर पर डेटा अपलोड करने से पहले अभिलेखों के सत्यापन के समय मैनुअल जांच और नियंत्रण की अपर्याप्तता को दर्शाता है।

शि.नि. ने उत्तर दिया (जनवरी 2022) कि शिक्षा का अधिकार, अधिनियम के अनुसार, कक्षा आठवीं तक प्रवेश आयु उपयुक्त कक्षा में बिना किसी प्रमाण पत्र/दस्तावेजों जैसे उम्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र आदि के लिए जोर दिए बिना किया जाना चाहिए। इससे शि.नि. के भीतर, स्कूलों में कई पंजीकरण हुए। हालांकि, चूंकि शि.नि. इन तथ्यों से अवगत था इसलिए उसे भुगतान के लिए

<sup>5</sup>  $5 \times 3 + 1420 \times 2 = 2855$

<sup>6</sup>  $2 \times 3 + 544 \times 2 = 1095$

प्रसंस्करण से पहले डुप्लीकेट मामलों को हटाने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए थे।

### 2.2.10.2 लाभार्थी डाटा गलत/अपूर्ण होने के कारण सब्सिडी के भुगतान में अनियमितताएं

#### (i) ₹ 42.64 करोड़ की रियायत राशि का अनियमित भुगतान।

सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले सभी छात्र डीबीटी के माध्यम से एक समान सब्सिडी पाने के पात्र हैं। शि.नि. ने सूचित किया कि पीएफएमएस को भुगतान के लिए अपलोड करने से पहले सभी छात्रों के नाम काट दिए गए हैं या जिनके स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं, उन्हें नामांकन डेटा से हटा दिया गया है। वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान शि.नि. के अनुसार कुल 53,42,099 नामांकित छात्रों में से वर्तमान स्थिति में 4,49,356 छात्र (आठ प्रतिशत) का नाम कटा हुआ दिखाया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि इस अवधि के दौरान इन 4,49,356 छात्रों में से 2,93,493 छात्रों को वर्दी रियायत भुगतान दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप तालिका 2.2.3 में दिए गए विवरण के अनुसार ₹ 42.64 करोड़ की वर्दी सब्सिडी का अनियमित भुगतान हुआ।

#### तालिका-2.2.3: वर्दी सब्सिडी के अनियमित भुगतान का विवरण

वर्ष	कुल दाखिले	वर्ष के दौरान स्कूल छोड़ गए छात्रों की संख्या	कुल छात्रों की संख्या जिन्हें सब्सिडी प्राप्त हुई	छात्रों की संख्या जो पढ़ नहीं रहे थे भुगतान किया गया	छात्रों को भुगतान की गई वर्दी सब्सिडी की राशि जो स्कूल रोल पर नहीं थी
2017-18	1752997	146415	1298512*	84528	122766800
2018-19	1792871	155662	1720794	112777	163680100
2019-20	1796231	147279	1712199	96188	139958400
	<b>5342099</b>	<b>449356</b>	<b>4731505</b>	<b>293493</b>	<b>426405300</b>

\* 401768 छात्रों का भुगतान शामिल नहीं है, जोकि डीबीटी द्वारा प्रसंस्करित नहीं थे, परन्तु जिला/स्कूल स्तर पर भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि चयनित 30 स्कूलों से संबंधित 15,186 मामलों में से 938 में भुगतान की दिनांक से पूर्व स्कूल से नाम काटे गए छात्रों के नाम पर भुगतान किए गए थे। 51 छात्रों को नाम काटने के बाद तीन से छः महीने भुगतान किया गया था। तीन छात्रों को उनके नाम काटे जाने के बाद छः से 12 महीने का भुगतान किया गया था और चार छात्रों को उनके नाम स्कूल रोल के काट दिए जाने के बाद एक वर्ष से अधिक का भुगतान किया गया था। यह दर्शाता है कि लाभार्थी डेटा समय पर अद्यतन नहीं किया गया था और शि.नि. ने पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान करने से पहले लाभार्थियों की सटीकता सुनिश्चित नहीं की जिसके परिणामस्वरूप

अयोग्य लाभार्थियों को भुगतान हुआ। यह एक गंभीर अनियमितता है तथा रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा जाँच पड़ताल करने की आवश्यकता है तथा संबंधित पदासीन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

शि.नि. ने उत्तर दिया (जनवरी 2022) कि डीबीटी के हस्तांतरण की तिथि को नामांकन की स्थिति से ध्यान में रखा जाता है। छात्र बाद में स्कूल छोड़ देते हैं इसलिए सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है और छात्र से वसूली संभव नहीं है।

जवाब सही नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां प्रसंस्करित भुगतान के लिए प्रयोग में लाए जा रहे लाभार्थी डाटा पर आधारित है जो यह दर्शाती है कि इन छात्रों का स्कूल रोल से नाम काट दिया गया था।

#### (ii) गलत/अपूर्ण लाभार्थी डेटा के कारण योजना के पात्र लाभार्थी छूट गए

वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए पीएफएमएस के माध्यम से किए गए सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों के शि.नि. की वर्दी सब्सिडी योजना के असफल/त्रुटिपूर्ण भुगतान मामलों के विश्लेषण से पता चला कि परिशिष्ट 2.3 में विवरण के अनुसार 32,86,161 छात्रों में से 70,581 छात्र (2.15 प्रतिशत) गलत/अमान्य/अपूर्ण बैंक खाता विवरण डुप्लीकेट खाता संख्या, आधार नहीं जोड़ना, नेटवर्क विफलता आदि जैसे विभिन्न कारणों से वर्ष 2018-20 के लिए वर्दी हेतु नकद सब्सिडी प्राप्त नहीं कर सका।

शि.नि. ने कहा (मार्च 2021/जनवरी 2022) कि छात्र डेटा में भुगतान की विफलता/त्रुटि को स्कूल और छात्र स्तर पर छात्र विवरण जैसे बैंक खातों के विवरण/आधार आदि के अद्यतन/सुधार के लिए सभी स्कूलों में परिचालित किया जाता है। अगले बैच में विफल मामलों पर आगे विचार किया गया था। आगे कहा गया कि स्कूल को आधार नंबर और बैंक खाता प्रस्तुत की जिम्मेदारी माता-पिता/छात्रों पर है और प्रवेश प्रक्रिया के अनुसार, आधार और बैंक खाता विवरण प्रदान करना स्वैच्छिक है। हालांकि शि.नि. ने बैंक खाता खोलने के लिए स्कूलों में शिविर आयोजित किए।

तथ्य यह है कि शैक्षणिक वर्ष के अंत तक भी 70,581 छात्रों को वर्दी सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई।

#### 2.2.10.3 एडुडेल पोर्टल और पीएफएमएस के बीच लींकेज के अभाव के कारण शुरू से अंत तक डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया नहीं

डीबीटी के उद्देश्यों में से एक योजना लाभ के लिए आवेदन की तारीख से लेकर लाभ वितरण की योजना तक शुरू से अंत तक डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया थी। इसके लिए आवश्यक था कि प्रक्रिया में कोई मानवीय हस्तक्षेप न

हो। हालांकि, वर्दी सब्सिडी योजना में, प्रत्येक वर्ष 16 लाख से अधिक लाभार्थियों का विवरण भुगतान के लिए एडुडेल से पीएफएमएस में अपलोड किया जाता है। आदर्श रूप से, भुगतान संबंधी डेटा को सीधे मैनुअल हस्तक्षेप के बिना स्थानांतरित करने के लिए एसएमएस को पीएफएमएस के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।

**(i) पीएफएमएस में लाभार्थियों के एकाधिक पंजीकरण**

डीबीटी के लिए एसओपी में व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए यू आई डी ए आई के बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करके कार्यान्वयन विभाग द्वारा लाभार्थियों की पहचान और नामांकन की आवश्यकता होती है। हालांकि, एडुडेल में डेटा दर्ज करने से पहले स्कूल अधिकारियों द्वारा आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। लाभार्थियों के सफल पंजीकरण के बाद, लाभार्थी डेटा एडुडेल से पीएफएमएस में अपलोड किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 1,079 छात्रों (2,158 भुगतान मामलों) को पीएफएमएस का उपयोग करते हुए आधार भुगतान ब्रिज सिस्टम के माध्यम से दो बार वर्दी सब्सिडी का भुगतान किया गया था। 1,073 छात्रों के मामलों में बैंक खातों की विवरण भी समान पाया गया। लेकिन अलग-अलग छात्र आईडी या शून्य छात्र आई डी के साथ सभी मामलों में, छात्रों का नाम भी एक जैसा पाया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 15.23 लाख का अनियमित/अधिक भुगतान हुआ। जैसा कि तालिका 2.2.4 में विवरण दिया गया है।

**तालिका- 2.2.4: वर्दी सब्सिडी के अनियमित/अधिक भुगतान का विवरण**

वर्ष	भुगतान का तरीका	दोहरे भुगतान मामलों की संख्या	अधिक भुगतान की संख्या	अधिक भुगतान की गई कुल राशि
2019-20	एपीबीएस	1908	102@1100, 374@1400 & 478@1500	1352800
2018-19	एपीबीएस	220	23@1100, 64@1400 & 23@1500	149400
2017-18	एपीबीएस	30	03@1100, 03@1400 & 09@1500	21000
		<b>2158</b>		<b>1523200</b>

इसने इस तथ्य की भी पुष्टि की कि आधार का उपयोग पीएफएमएस में एक विशिष्ट पहचानकर्ता के रूप में नहीं किया जा रहा था, जिसके कारण पीएफएमएस में लाभार्थी को पंजीकृत करने के लिए एक ही आधार को कई बार उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। विभाग को मामले की जांच करने और ऐसे सभी अनियमित भुगतानों की वसूली की आवश्यकता है।

शि.नि. ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया (जनवरी 2022) और कहा कि सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल के बच्चों को वर्दी सब्सिडी का भुगतान पीएफएमएस में विभिन्न योजना नामों के तहत किया जाता है और कुछ छात्रों

को सरकारी और सहायता प्राप्त दोनों स्कूलों में प्रवेश मिला, जिसकी जाँच नहीं की गई थी। इसमें आगे कहा कि इस संबंध में स्कूलों को निर्देश जारी किए जाएंगे।

(ii) एक ही छात्र आईडी के प्रति कई छात्रों को सब्सिडी का अधिक भुगतान छात्र आईडी एक विशिष्ट छात्र की पहचान करने के लिए लाभार्थी डेटा में फील्ड है। डीबीटी दिशानिर्देशों के अनुसार, शि.नि. की यह जिम्मेदारी थी कि एक ही छात्र को कई भुगतानों से बचाने के लिए डुप्लीकेशन अभ्यास को कार्यान्वित करने से रोके। भुगतान डेटा से यह देखा गया कि वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान 6,115 छात्र आईडी (12,232 मामले) के मामले में एक ही छात्र आईडी के प्रति एक से अधिक बार भुगतान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 85.78 लाख का अधिक भुगतान हुआ। जैसा कि तालिका 2.2.5 में वर्णित है:

तालिका 2.2.5: अधिक भुगतान का विवरण

क्रम सं.	वर्ष	दोहरी आई डी वाले छात्रों के मामलों की सं.	प्रत्येक बार एपीबीएस द्वारा	प्रत्येक बार एनईएफटी द्वारा	एक बार एपीबीएस तथा एक बार एनईएफटी	अधिक भुगतान किए गए मामलों की सं.	कुल अधिक भुगतान
1	2017-18	74 (37x 2)	74 (37x 2)	--	--	26 @1400 11 @1500	52900
2	2018-19	5416 (2708x2)	3096 (1548x2)	656 (328x2)	1664 (832x2)	243 @1100 1520 @1400 945 @1500	3812800
3	2019-20	6742 (3368x2 + 2x3)	40 (20x2)	6662 (3328x2+2x3)	40 (20x2)	11 @1100 3349 @1400 8 @1500 2 @2800	4712700
<b>कुल</b>							<b>85,78,400</b>

शि.नि. को यह सुनिश्चित करने के लिए मैनुअल नियंत्रण और प्रक्रियाएं रखनी चाहिए थी कि पीएफएमएस भुगतान शुरू करने से पहले लाभार्थी डेटा में छात्र आईडी को दोहराया नहीं गया। एक ही छात्र आईडी के एवज में एक वर्ष में कई भुगतान जारी करने की सरकार द्वारा जांच की जानी चाहिए। सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए तथा मामले में जिम्मेदारी तय की जाने की आवश्यकता है।

शि.नि. ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया (जनवरी 2022)। इसमें कहा गया कि सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल के बच्चों वर्दी सब्सिडी का भुगतान पीएफएमएस में विभिन्न योजनाओं के नाम से किया जाता है और कुछ छात्रों को सरकारी और सहायता प्राप्त दोनों स्कूलों में प्रवेश मिल जाता है, जिसकी जांच नहीं की जा सकी। शि.नि. ने यह भी कहा कि इस संबंध में स्कूलों को निर्देश जारी किए जाएंगे।

#### 2.2.10.4 वर्दी सब्सिडी प्रदान करने के लिए डीबीटी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए लाभार्थी विशिष्ट बैंक खाता सुनिश्चित नहीं किया गया

डीबीटी के दिशानिर्देशों के अनुसार, डीबीटी के कार्यान्वयन के लिए पूर्व-आवश्यकता, लाभार्थियों के व्यक्तिगत बैंक खाते खोलना है, क्योंकि वित्तीय लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाता है।

(i) साधारणतयः साल में एकबार वर्दी सब्सिडी का भुगतान किया जाता है। पीएफएमएस का उपयोग करते हुए एनईएफटी के माध्यम से किए गए डीबीटी भुगतान में, यह देखा गया कि 22,069 मामलों (2019-20 में 18,165 और 2018-19 में 3,904) थे, जहां एक ही आईएफएससी कोड के साथ एक ही बैंक खाते में एक से अधिक बार भुगतान किया गया था। उन मामलों को छोड़कर जिनमें समान छात्र आईडी है और जिनका उल्लेख पैरा 2.2.10.3 (ii) के तहत किया गया है, 19537 मामलों (2019-20 में 10264 और 2018-19 में 3273) में बैंक खातों में डुप्लिकेट भुगतान थे। इसके परिणामस्वरूप 1.40 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

(ii) दो सहायता प्राप्त स्कूलों (आईडी 2127103 तथा आईडी 1924118), के संबंध में 1032 प्रकरणों में संबंधित विद्यालयों के बैंक खातों में वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 के लिए वर्दी अनुदान राशि का भुगतान जारी किया गया। यह एक गंभीर हानि है। तथा विस्तृत जांच की आवश्यकता है। यह पूरी तरह से डीबीटी का भावना के विरुद्ध था जबकि डीबीटी ने नहीं किया।

(iii) यह भी देखा गया कि सरकारी स्कूल (आईडी 1923019) के 55 छात्र के संबंध में वर्ष 2018-19 में एक ही बैंक खाते से सहायता का भुगतान किया गया इसी प्रकार, दो अन्य बैंक खातों में वर्ष 2019-20 के दौरान 52 तथा 30 छात्रों (कई स्कूलों के छात्रों) के संबंध में सहायता राशि जमा की गई थी। एक ही बैंक खाते में विभिन्न भुगतानों के विवरण को संलग्नक 2.4 में दिया गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर शि.नि. ने स्कूल आई डी- 1923019 में एक ही बैंक खाते में 55 छात्रों की वर्दी सब्सिडी के भुगतान की पुष्टि (जनवरी 2022) की और सूचित किया कि 54 अन्य के संबंध में अधिक भुगतान प्राप्त करने वाले माता-पिता/छात्रों से वसूली की गई। शि.नि. ने आगे उत्तर दिया कि आईडी-2127103 और 1924118 वाले स्कूल धर्मार्थ समितियों द्वारा चलाए जा रहे हैं और अपने अनाथ/निराश्रित बच्चों को स्कूल वर्दी, किताबें, जूते, भोजन, कपड़े और बोर्डिंग आदि जैसी सभी सुविधाएं निःशुल्क प्रदान कर रहे हैं। इसलिए, छात्रों के संबंध में वर्दी सब्सिडी स्कूल आई डी 2127103 और 1924118 के

मामले में संस्थानों के दो बैंक खातों में की गई थी क्योंकि छात्रों के सभी खर्चों को संस्थान द्वारा वहन किया जाना था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डीबीटी दिशानिर्देशों के अनुसार लाभ को व्यक्तिगत लाभार्थी के बैंक खाते में जमा करना अनिवार्य था और यदि इस प्रक्रिया से विचलन आवश्यक और उचित था, तो आवश्यक अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी से होना चाहिए। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि इस प्रकार का अनुमोदन लिया गया था या नहीं।

यह इंगित करता है कि शि.नि. ने डीबीटी की भावना के विरुद्ध काम किया क्योंकि डीबीटी लाभार्थी के बजाय स्कूल खाते में क्रेडिट करने से योजना के दिशा निर्देशों का धोर उल्लंघन हुआ। यह भी बताता है कि एक ही बैंक खाते में कई भुगतानों को रोकने के लिए डीओई के पास एड्डेसल में अंतर्निहित नियंत्रण नहीं है। रा.रा.क्षे.दि.स. को योजना दिशा निर्देशों के उल्लंघन के कारणों का पता लगाना चाहिए तथा जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

#### 2.2.10.5 लाभार्थियों के खाते में भुगतान के अंतरण में विलंब

समान सब्सिडी योजना में प्रतिवर्ष सब्सिडी राशि अंतरित की जाती है। नए दाखिले को छोड़कर प्रति वर्ष सब्सिडी ट्रांसफर करने की समय सीमा अप्रैल से मई है। नए प्रवेश छात्रों के लिए सितंबर के अंत तक सब्सिडी हस्तांतरित की जानी थी। सब्सिडी के भुगतान में देरी का विवरण तालिका 2.2.6 में दिया गया है।

तालिका 2.2.6: वर्दी सब्सिडी के भुगतान में विलंब

वर्ष	भुगतान मामलों की कुल सं.	भुगतानों की अवधि			
		अप्रैल-जून	जुलाई-सितम्बर	अक्टूबर-दिसंबर	जनवरी-मार्च
2019-20	1712199	716151	840195	128941	26912
2018-19	1720794	1268344	119904	47906	284640
2017-18	1298512 <sup>7</sup>	934463	286341	0	0

तालिका 2.2.6 से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2018-19 के 3,32,546 मामलों (19.32 प्रतिशत) के संबंध में तथा वर्ष 2019-20 के 1,55,853 मामलों (9.10 प्रतिशत) के संबंध में, शैक्षणिक वर्ष के आरंभ से छः महीनों के बाद भुगतान किया गया था। उपरोक्त के अतिरिक्त 2018-19 के लिए 791 सरकारी स्कूल के छात्रों को वर्दी सब्सिडी का भुगतान अप्रैल 2019 में अर्थात् शैक्षणिक वर्ष के समाप्त होने के बाद किया गया था। भुगतान में अनुचित विलम्ब डीबीटी योजना के मुख्य उद्देश्य के विरुद्ध है।

<sup>7</sup> वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 56.04 करोड़ की राशि के 4,01,768 छात्रों को वर्दी सब्सिडी डीबीटी के माध्यम से वितरित नहीं की गई थी और इसलिए लेखापरीक्षा के दौरान जांच नहीं की गई।

### 2.2.11 निष्कर्ष

डीबीटी योजनाओं के बारे में जनता के बीच पर्याप्त जागरूकता पैदा करने और सूचना प्रसार का अभाव था और सरकार ने स्वयं भी ओएपी तथा डीपीएसडब्ल्यू योजनाओं के लाभार्थियों की पात्र संख्या का आंकलन नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, सरकार ने ओएपी योजना में लाभार्थियों की संख्या को सीमित कर दिया था, जो पात्र लाभार्थियों को लाभ से वंचित कर सकता है।

डीबीटी योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में, लीगेसी (ऑफलाइन) लाभार्थियों से संबंधित विवरण एसएमएस, अर्थात् ई-डिस्ट्रिक्ट में स्थानांतरित नहीं किए गए थे। इससे लाभार्थियों को दोहरा लाभ मिला। क्योंकि विभाग लीगेसी लाभार्थियों के संबंध में भौतिक अभिलेख भी उपलब्ध कराने में विफल रहा, जिसके कारण, लीगेसी लाभार्थियों की वास्तविकता, जो ओएपी तथा डीपीएसडब्ल्यूडी योजना के 79 प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों के लिए जिम्मेदार थी, सत्यापित नहीं की जा सकी और संदिग्ध थी।

एसएमएस में इनपुट जांच पर्याप्त नहीं थी क्योंकि सिस्टम द्वारा अमान्य डेटा (जैसे संख्यात्मक, आईएफएससी) के कई मामलों को स्वीकार किया गया था। इसके अतिरिक्त एसएमएस (ई-डिस्ट्रिक्ट और एडुडेल) और पेमेंट पोर्टल (पीएफएमएस) को एकीकृत नहीं किया गया था, जिससे मैनुअल हस्तक्षेप और डेटा के हेरफेर की गुंजाइश बची थी। लेखापरीक्षा में लाभार्थियों के मास्टर डेटाबेस तथा भुगतान डेटाबेस जैसे पीएफएमएस में लाभार्थियों के एकाधिक पंजीकरण के बीच व्यापक भिन्नताएं देखी गईं। परिणामस्वरूप, योजनाओं के लाभ अपात्र लाभार्थियों को प्राप्त हुए। जैसा कि नमूना जांच मामलों में देखा गया, लाभार्थियों के विवरण के गैर डिजिटাইजेशन के परिणामस्वरूप डीपीएसडब्ल्यूडी तथा ओएपी योजना दोनों के अंतर्गत लाभार्थियों को भुगतान हुआ। निधियों के अप्रबंधन के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाना चाहिए जैसा कि अनियमितताओं में सामने आया है। यह नमूना निष्कर्ष होगा, अनियमित भुगतान की निहितार्थ राशि बहुत अधिक होगी। जिसकी सरकार द्वारा जाँच की जानी चाहिए और गंभीर चूक के लिए जिम्मेदारी तय करना आवश्यक है।

पात्रता के समर्थन में आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन के लिए एक एसओपी का अभाव है। साथ ही लाभार्थी की पात्रता के आवधिक पुनर्मूल्यांकन की कोई व्यवस्था नहीं है। जिसके कारण लाभार्थी विवाह, मृत्यु अन्य योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने आदि के कारण अपात्र हो जाते हैं, और लाभ प्राप्त करते रहते हैं। सरकार ने इस आशय के अपने स्वयं के निष्कर्षों के बावजूद पेंशन को रोकने या अतिरिक्त भुगतान की वसूली के लिए कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं

की, जो इन योजनाओं के लिए वास्तविक जरूरतमंदों को लक्षित करने के लिए अनिच्छा और इरादे की कमी को दर्शाता है।

वर्दी योजना का कार्यान्वयन में गंभीर अनियमितताएं जैसे कई छात्रों के प्रति एक बैंक खाता, स्कूल रोल से निकाले जाने के बाद छात्रों के रियायत की बड़ी राशि का भुगतान, एक ही छात्र आईडी के प्रति रियायत का अधिक भुगतान, स्कूल खाते को रियायत का भुगतान आदि पर रा.रा.क्षे.दि.स. के विशेष ध्यान देने योग्य है, जिसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

प्रसंस्करण में देरी और लाभार्थियों को भुगतान के बाद के क्रेडिट से संबंधित विभिन्न मामलों को संबोधित करने के लिए कार्यान्वयन विभागों में कोई निगरानी प्रणाली नहीं थी। विभाग स्तर पर योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने और लाभार्थियों की शिकायत को दूर करने के लिए डीबीटी प्रकोष्ठ द्वारा कमजोर निगरानी की जा रही है। लाभार्थियों की शिकायतों से निपटने में कार्यान्वयन विभागों की मौजूदा शिकायत निवारण प्रणाली अप्रभावी थी। वास्तविक लाभार्थियों की पहचान के अभाव में, लाभ प्रदान करने में देरी और समय पर शिकायतों को दूर करने के लिए उचित तंत्र की अनुपस्थिति में डीबीटी के लाभ अधिकतर रा.रा.क्षे.दि.स. में कागजों पर ही रह गए।

### 2.2.12 अनुशंसाएं

सरकार कर सकती है -

- डीबीटी प्रक्रिया का शुरू से अंत तक डिजिटलीकरण सुनिश्चित करें।
- अपात्र लाभार्थियों का पता लगाने के लिए समय समय पर डेटा को हटाएँ।
- ओएपी और डीपीएसडब्ल्यूडी के तहत लाभार्थियों की वास्तविक संख्या का ऑकलन करने और योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना ताकि, लाभ सभी योग्य व्यक्तियों तक पहुँच सकें।
- सॉफ्टवेयर में निर्मित पर्याप्त सत्यापन नियंत्रण सुनिश्चित करें ताकि सिस्टम में अनिवार्य डेटा इनपुट चरण में ही मान्य हो।
- लाभार्थियों की पहचान में मध्यस्थता की जाँच पर दस्तावेजों के सत्यापन के लिए एक उचित एसओपी विकसित करना।
- झूठे ओर डुप्लीकेट दावों के खिलाफ कार्रवाई करें। ताकि दावों की सीमा को देखते हुए लाभ सर्वाधिक योग्य व्यक्तियों तक पहुँच सके।
- लीकेज को रोकने के लिए निगरानी प्रणाली को मजबूत करना और यह सुनिश्चित करना कि लाभ सभी प्रमाणिक और पात्र छात्रों तक पहुँच सके।

- समर्पित शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करें और डीबीटी के माध्यम से लाभों को समय पर जमा करने में देरी के लिए जिम्मेदारी तय करें।
- डीबीटी योजना को वास्तविक अर्थों में लागू करें। जैसा कि परिकल्पित है जिसमें वित्तीय लाभ सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में मध्यस्थ एजेंसी के बिना स्थानांतरित किया जाता है।

## गृह विभाग

### 2.3 ₹ 4.02 करोड़ की निधियों का अवरोधन तथा ₹ 70.41 लाख का परिहार्य व्यय

फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी द्वारा भूमि के एक भूखण्ड का अधिग्रहण, जो आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता था, के परिणामस्वरूप भूमि की खरीद पर किया गया ₹ 4.02 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ तथा इस भूमि के किराए पर ₹ 70.41 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (फो.सा.लेबो.) में जांच के लिए उच्च लंबित मामलों को हल करने के लिए गृह विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) से अनुरोध किया कि वह तीन क्षेत्रीय फॉरेंसिक लेबोरेटरियों की स्थापना हेतु पूर्वी, दक्षिण तथा पश्चिम दिल्ली प्रत्येक में 10,000 वर्ग मीटर माप की उचित भूमि के उपयुक्त भूखण्ड के सुझाव दे (अप्रैल 2013)। दि.वि.प्रा. द्वारा 5,425 वर्ग.मी. माप का भूमि का एक टुकड़ा क्षेत्रीय फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की स्थापना के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को आवंटित किया गया (मार्च 2014)। यह भूमि सतत लीज़ होल्ड आधार पर ₹ 4.02 करोड़ के प्रीमियम पर ₹ 10.06 लाख के वार्षिक भूमि किराए के साथ आवंटित की गई थी। आवंटन की शर्तों के अनुसार, भूमि का कब्जा लेने के दो वर्ष के भीतर भवन का निर्माण कार्य पूरा करना था।

यद्यपि, भूखण्ड का आकार आवश्यकता से काफी कम था, फिर भी, फो.सा.लेबो. ने भूमि का कब्जा ले लिया (अगस्त 2014)। बाद में फो.सा.लेबो. ने पहले से आवंटित भूखण्ड के आकार को अपर्याप्त बताते हुए दि.वि.प्रा. को आवंटित भूमि के बगल में 6,467 वर्ग.मी. का एक अन्य भूखण्ड के आवंटन का प्रस्ताव रखा (जनवरी 2015)। अप्रैल 2015 से मई 2016 के दौरान फो.सा.लेबो. द्वारा कई अनुस्मारकों के जरिए भूमि के अतिरिक्त टुकड़े के आवंटन के मामले को आगे बढ़ाने के बावजूद दि.वि.प्रा. से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

मई 2016 में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन में यह कहा गया कि रोहिणी में फो.सा.लेबो. कॉम्प्लेक्स में विद्यमान गेस्ट हाऊस तथा

भूतल पार्किंग के स्थान पर एक और 12 मंजिला इमारत को समायोजित करने के लिए पर्याप्त फ्लोर एरिया अनुपात (एफ.ए.आर.) है जो अतिरिक्त लैबों को समायोजित कर सकता है। तत्पश्चात, विभाग ने निर्णय लिया (जनवरी 2017) कि 5,425 व.मी. आवंटित भूमि की अब फो.सा.लैबो. के लिए आवश्यकता नहीं थी तथा उक्त भूमि को अस्पताल, स्कूल एवं अन्य प्रयोग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.), रा.रा.क्षे.दि.स. को हस्तांतरित किया जाना था। हालांकि भूमि के उपयोग करने अथवा पट्टाकार अर्थात् दि.वि.प्रा. को भूमि वापिस करने के लिए कोई और प्रयास नहीं किए गए। इसकी बजाए, फो.सा.लैबो. ₹ 10.06 लाख के वार्षिक जमीनी किराये का भुगतान जारी रखा।

इस प्रकार, भूमि के भूखण्ड का अधिग्रहण जो क्षेत्रीय फॉरेंसिक लैबोरेटरी की स्थापना हेतु अपेक्षित आकार का नहीं था तथा उसका निपटान करने की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 4.02 करोड़ की निधियाँ सात वर्षों से अधिक के लिए अवरुद्ध हो गईं। भूखण्ड का रखना, जिसकी आवश्यकता भी नहीं थी, के परिणामस्वरूप दि.वि.प्रा. को देय जमीनी किराए के कारण ₹ 70.41 लाख का परिहार्य व्यय हुआ। इसमें से ₹ 40.24 लाख जमीनी किराए पर व्यय 2017-18 से 2020-21 की अवधि तक था, अर्थात् यह तय करने के बाद कि भूमि की आवश्यकता नहीं है।

मामला सितम्बर 2021 में सरकार को भेजा गया था, जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

## सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग

### 2.4 ₹ 81.56 लाख का निष्फल व्यय

कार्यों के आवंटन से पूर्व सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा बाधा मुक्त स्थलों को सुनिश्चित करने में विफलता के फलस्वरूप तीन कार्यों को बंद कर दिया गया जिससे इन कार्यों पर किया गया ₹ 81.56 लाख का व्यय निष्फल हो गया।

के.लो.नि.वि. की नियम पुस्तिका के खंड-II के पैरा 4.2 में कहा गया है कि साइट की उपलब्धता कार्य की योजना और डिजाइनिंग चरण में ही सुनिश्चित की जानी चाहिए तथा विस्तृत अनुमान एवं ड्राइंग और डिजाइन चरण की तैयारी भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होने के बाद ही की जानी चाहिए। इसके बाद, पैरा 3.3(2) में प्रावधान है कि आवश्यक साइट और स्थलाकृतिक विवरण, तकनीकी व्यवहार्यता आदि का पूरी तरह से पता लगाने के बाद, अनुमान, ग्राहक विभाग को भेजे जाने चाहिए। यदि साइट सर्वेक्षण आवश्यक है, तो प्रस्तावित कार्य के लिए भूमि की उपयुक्तता और उपलब्धता का

आकलन करने के उद्देश्य से ग्राहक को एक छोटा अनुमान भेजा जा सकता है। पूर्व सर्वेक्षण के माध्यम से निविदा आमंत्रण सूचना के अनुमोदन से पहले बाधा मुक्त स्थल उपलब्ध कराना विभाग का दायित्व है। अधीक्षण अभियंता, आईएफसीडी-IV, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग (आईएफसीडी) ने भी निर्देश दिया था (अप्रैल 2016) कि कार्य सौंपने से पहले कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करे कि साइट किसी भी अतिक्रमण, विवाद, अदालती मामलों और अन्य बाधाओं आदि से मुक्त हो ताकि बाद के चरण में अवार्ड किये गये कार्य को वापिस लेने/रद्द करने से बचा जा सके।

लेखापरीक्षा ने देखा कि तीन कार्यों में, आईएफसीडी ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि निर्माण शुरू करने से पहले साइट अतिक्रमण से मुक्त है जैसा कि अनुवर्ती पैराग्राफों में उल्लिखित है।

(i) नजफगढ़ नाले<sup>8</sup> के बाईं ओर 3,500 मीटर (मी.) चारदीवारी का निर्माण अप्रैल 2016 में ₹ 177.11 लाख की निविदा लागत पर सौंपा गया था। शुरू करने और पूरा करने की निर्धारित तिथि क्रमशः 26 अप्रैल 2016 और 25 अप्रैल 2017 थी। खुदाई कार्य पूरा होने के बाद ग्रामीणों द्वारा उत्पन्न की गई बाधा के कारण केवल 426 मीटर दीवार पूरी करने के बाद कार्य को रोक दिया गया था। दि.ज.बो. ने 3,500 मीटर में से 300 मीटर की लंबाई के लिए चारदीवारी का निर्माण किया है। शेष 2,774 मीटर लंबाई की चारदीवारी का निर्माण नहीं किया जा सका क्योंकि आई.एफ.सी.डी. के रिकॉर्ड को 1970 से अद्यतन नहीं किया गया था और भूमि का सीमांकन राजस्व विभाग द्वारा नहीं किया गया था। राजस्व विभाग के साथ इस मुद्दे को उठाने के बावजूद सीमांकन नहीं किया गया था और ₹ 38.93 लाख के व्यय के बाद नवम्बर 2017 में काम को रोक दिया गया था।

(ii) वसंत कुंज एंकलेव के खसरा सं. 1012/2 से 1921 तक रिज भूमि को कवर करने वाली चारदीवारी के निर्माण का कार्य ₹ 30.37 लाख की लागत पर दिया गया (मार्च 2015), जिसे 6 अगस्त 2015 तक पूरा किया जाना था। 50 प्रतिशत कार्य निष्पादित होने के बाद सीमांकित भूमि की अनुपलब्धता के कारण कार्य 23 नवम्बर 2015 से रूका हुआ था। यद्यपि, फरवरी 2017 में भूमि का सीमांकन हो गया था पर कार्य पूरा नहीं किया जा सका क्योंकि इसमें कुछ घरों को ध्वस्त करने की आवश्यकता थी, जो संभव नहीं था। आईएफसीडी ने अंततः दिसम्बर 2017 में काम बंद कर दिया, जो 23 नवम्बर 2015 से प्रभावी था तथा ठेकादार को काम के पूर्ण भाग के लिए ₹ 17.00 लाख का भुगतान किया गया था।

<sup>8</sup> गोयल आउटफॉल से ककरौला गांव पूल तक

(iii) दि.वि.प्रा. की भूमि पर नसीरपुर नाले को रेलवे लाइन तक बढ़ाने का कार्य ₹ 33.77 लाख की लागत से 17 जून 2014 तक पूरा करने का कार्य सौंपा गया था। ठेकेदार ने काम शुरू किया, लेकिन रेलवे विभाग के फील्ड स्टाफ ने एजेंसी को नाले का काम करने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि काम रेलवे लाइन के पास था। आइएफसीडी ने अंततः मई 2016 से पूर्वव्यापी प्रभाव से काम को बंद कर दिया (जुलाई 2016)। हांलाकि, तब तक ठेकेदार ने 68 प्रतिशत काम पूरा कर लिया था और उसे 25.63 लाख का भुगतान कर दिया गया था (अगस्त 2016)।

इस प्रकार, एनआईटी की तैयारी से पहले उपरोक्त तीन कार्यों हेतु अतिक्रमण/बाधा मुक्त स्थल सुनिश्चित करने में आइएफसीडी की विफलता के परिणामस्वरूप कार्यों को बंद कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 81.56 लाख का निष्फल व्यय हुआ।

आइएफसीडी ने जवाब दिया (अक्टूबर 2021) कि पहले मामले में, ग्रामीणों द्वारा बनाई गई बाधा के कारण काम रोका गया था। जवाब को इस तथ्य के आलोक में देखे जाने की आवश्यकता है कि आइएफसीडी के अभिलेख, 1970 से अद्यतन नहीं किए गए थे और सीमांकन की आवश्यकता थी। रिज भूमि की चारदीवारी के निर्माण के मामले में, आइएफसीडी ने कहा कि साइट आंशिक रूप से वन विभाग के स्वामित्व वाली भूमि पर स्थित निजी घर की भूमि के कुछ हिस्से के कारण सीमांकित की गई थी, जो कि ग्राहक विभाग था और आइएफसीडी का अतिक्रमण की बात पर कोई अधिकार नहीं था। जवाब स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि आइएफसीडी ने एनआईटी जारी करने से पहले बाधामुक्त साइट सुनिश्चित नहीं की थी। जहां तक नसीरपुर नाली के विस्तार से संबंधित कार्य के संबंध में कहा गया, कि रेलवे विभाग ने ठेकेदार को कार्य निष्पादित करने की अनुमति नहीं दी, यद्यपि टीएसी की बैठक में रेलवे के प्रतिनिधि उपस्थित थे, जहां उक्त योजना को मंजूरी दी गई थी। हालाँकि, जवाब के समर्थन में बैठक का प्रावधान नहीं किया गया था, जिसके अभाव में यह स्पष्ट नहीं है कि क्या रेलवे शुरू में परियोजना के लिए सहमत था।

## समाज कल्याण विभाग

### 2.5 “दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन” पर अनुपालना लेखापरीक्षा

#### 2.5.1 परिचय

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 राज्य को अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर दिव्यांगता से प्रभावित लोगों के लिए शिक्षा, काम और सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार हासिल करने के लिए प्रभावी प्रावधान करने का अधिदेश देता है। इसके अलावा, भारत दिव्यांगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2006 का एक हस्ताक्षरकर्ता है और 01 अक्टूबर 2007 को इसकी पुष्टि की गई है। उक्त सम्मेलन में निर्धारित सिद्धांतों को प्रभावी बनाने के लिए, भारत सरकार (भा.स.) ने पहले के “दिव्यांग अधिनियम, 1995” को निरस्त कर ‘दिव्यांगों के अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम) को अधिनियमित किया जो 19 अप्रैल 2017 से प्रभावी हुआ। नया अधिनियम पहली बार दिव्यांगता के अर्थ को परिभाषित करने का प्रावधान करता है और नियम 18 (1) के अधीन फॉर्म VI, दिव्यांगता की मान्यता प्राप्त श्रेणियों को सात से 21<sup>9</sup> तक विस्तारित करता है। इससे दिव्यांगजनों<sup>10</sup> (दि.ज.) को विभिन्न अधिकार और हक मिले। इन अधिकारों और हकों में समानता और गैर-भेदभाव, सामुदायिक जीवन, क्रूरता और अमानवीय व्यवहार से सुरक्षा, न्याय तक पहुंच आदि शामिल हैं। यह अधिनियम सरकारों को दिव्यांगों के प्रभावी सशक्तिकरण और समावेश के लिए सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास, मनोरंजन, कौशल विकास आदि के लिए आवश्यक उपाय करने/योजना एवं कार्यक्रम बनाने के लिए भी अधिदेशित करता है। सरकार द्वारा वित्त पोषित सभी शैक्षणिक संस्थान द्वारा दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करना है। तत्पश्चात्, अधिनियम की धारा 100(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिव्यांग के अधिकार नियम, 2017 तैयार किया गया है। (जून 2017)। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) ने अधिनियम की धारा 101 की उप-धारा

<sup>9</sup> 1. लोकोमोटर दिव्यांगता 2. कुष्ठ रोग के ठीक व्यक्ति 3. सेरेब्रल पाल्सी 4. बौनापन 5. मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी 6. एसिड अटैक पीडित 7. अंधापन 8. कम दृष्टि 9. बधिर 10. सुनने में कठिनाई 11. भाषण एवं भाषा दिव्यांगता 12. बौद्धिक अक्षमता 13. विशेष सीखने की अक्षमताएं 14. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिस ऑर्डर 15. मानसिक बिमारी 16. क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन 17. मल्टीपल सेलोरोसिस 18. पार्किंसंस रोग 19. हीमोफीलिया 20. थैलेसीमिया 21. सिकल सेल रोग

<sup>10</sup> दिव्यांगजन का अर्थ है लंबे समय तक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी दुर्बलता से ग्रस्त व्यक्ति, जो बाधाओं के साथ बातचीत में, दूसरों के साथ समान रूप से समाज में उसकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में बाधा डालता है।

(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 27 दिसंबर 2018 को दिल्ली दिव्यांग के अधिकार (दिदिअ) नियम 2018 को अधिनियमित किया।

भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार, 121 करोड़ जनसंख्या में से लगभग 2.68 करोड़ व्यक्ति किसी न किसी रूप में दिव्यांग थे, जो कि कुल जनसंख्या का 2.21 प्रतिशत है। रा.रा.क्षे. दिल्ली में, 1,67,87,941 की कुल जनसंख्या में से 1.4 प्रतिशत (2,34,882) किसी न किसी रूप में दिव्यांगता से ग्रस्त थे।

### 2.5.2 अधिनियम के कार्यान्वयन में शामिल विभाग

दिल्ली में, समाज कल्याण विभाग (स.क.वि.), रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग है। विभाग का नेतृत्व एक प्रधान सचिव करता है, जिनकी सहायता निदेशक, विशेष निदेशक, 12 उप निदेशक, सहायक निदेशक (योजना) और दस जिला समाज कल्याण अधिकारी (जि.स.क.अ.) द्वारा की जाती है। एक स्वतंत्र राज्य आयुक्त (दिव्यांगता) दिव्यांगों के कार्यक्रम और योजनाओं का समन्वय और निगरानी करता है। राज्य आयुक्त (दिव्यांगता) दिव्यांगों को अधिकारों से वंचित करने से संबंधित शिकायतों की जाँच करता है। इसके अलावा, दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक/दिव्यांग वित्त और विकास निगम (निगम) दिव्यांगों के आर्थिक विकास की गतिविधियों के लिए वित्त पोषण करना है, सुविधा प्रदान करना, और बढ़ावा देना।

इसके अलावा, अन्य विभाग भी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए जैसे स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करना (मार्च 2021 तक, जारी किए गए दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की कुल संख्या 1,83,160 थी), शहरी विकास विभाग द्वारा बाधा मुक्त वातावरण का निर्णय करना (धारा 40 से 46) तथा शिक्षा निदेशालय द्वारा दिव्यांग छात्रों को शिक्षा, एवं सभी विभागों/सा.क्षे.उ./एबी द्वारा दिव्यांगों के लिए रोजगार प्रदान करना है।

### 2.5.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

इस लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या -

- (i) अधिनियम के तहत परिकल्पित शासन ढांचे को स्थापित किया गया है और क्या उस संबंध में उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा उचित और समय पर कार्रवाई की गई थी
- (ii) सभी प्रकार के दिव्यांगों की पहचान और प्रमाणन के लिए पर्याप्त उपाय किए गए थे ताकि वे इस अधिनियम के तहत लाभों का फायदा उठा सकें;
- (iii) दिव्यांगों के लिए शैक्षणिक अवसर सरकार द्वारा सुनिश्चित किए गए थे।

- (iv) दिव्यांगों की समाजिक सुरक्षा और पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए गए थे।

#### 2.5.4 लेखापरीक्षा का दायरा और कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा अप्रैल 2017 से मार्च 2021 (चार वर्षों) तक की अवधि को कवर करते हुए अप्रैल से सितंबर 2021 के दौरान आयोजित की गई थी। अधिनियम, नीतियों और योजनाओं के प्रावधानों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए, लेखापरीक्षा ने स.क.वि. मुख्यालय, राज्य आयुक्त निःशक्तता के कार्यालय, ने 10 में से तीन जिला कार्यालयों, सात में से चार विकलांगों के लिए विशेष स्कूल, छह में से चार गृह, मानसिक रूप से बीमार के लिए, पाँच में से चार आधे रास्ते/लम्बे समय तक रहने वाले गृह, दृष्टिबाधित, वाक और श्रवण बाधित छात्रों के लिए वे सभी चार कार्यशील छात्रावास, छह गैर-सरकारी संगठन, एक प्रशिक्षण सह-उत्पादन केंद्र और डीएसडब्ल्यू के तहत विकलांग (पुरुष) के लिए एक आश्रय कार्यशाला का चयन किया। दिल्ली अ.जा/अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक एवं दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड द्वारा वितरित वित्तीय सहायता से संबंधित अभिलेखों की भी जाँच की गई। अभिलेखों की जाँच हेतु चयनित ईकाईयों के विवरण तालिका 2.5.1 में दिये गये हैं।

तालिका-2.5.1: चयनित इकाईयों का विवरण

क्रम. सं.	इकाई का नाम
1.	समाज कल्याण विभाग (मुख्यालय)
2.	दिव्यांगों के लिए राज्य आयुक्त का कार्यालय, माता सुंदरी रोड, दिल्ली
3.	डीएसडब्ल्यूओ (पश्चिम), पंजाब एवं सिंध बैंक के पास, तिलक नगर, नई दिल्ली-18
4.	डीएसडब्ल्यूओ (उत्तर-पश्चिम-I), एन पी एस भवन, विश्राम चौक के नजदीक, सैक्टर-IV, रोहिणी, दिल्ली-85
5.	डीएसडब्ल्यूओ (उत्तर-पश्चिम-II), एन पी एस भवन विश्राम चौक के नजदीक, सैक्टर-IV, रोहिणी, दिल्ली-85
6.	बधिर (एन.पी.एस.डी) के लिए सरकारी माध्यमिक विद्यालय, विश्राम चौक, सैक्टर-4, रोहिणी, दिल्ली-110085
7.	नेत्रहीन बालकों (जीएसएसएसबीबी) के लिए गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेवा कुटिर कॉम्प्लेक्स, किंग्सवे कैम्प, दिल्ली-09
8.	मूक एवं बधिर (जी.एल.एन.एस.) के लिए गवर्नमेंट लेडी नॉएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली गेट, दिल्ली-110002
9.	मंदबुद्धि बच्चों के लिए विद्यालय (एस.एम.आर.सी), मयूर विहार, फेस-1, दिल्ली-110091
10.	मंदबुद्धि जनों (बच्चों) के लिए आवास (एचएमआरपी-सी) (पुरुष के लिए), आशा किरण कॉम्प्लेक्स, अवन्तिका, सैक्टर-1, रोहिणी, दिल्ली-85
11.	गंभीर और प्रगाढ़ मंदबुद्धि जनों के लिए संस्थान (आईएसपीएमआर) (महिला के लिए), आशा किरण कॉम्प्लेक्स, अवन्तिका, सैक्टर-1, रोहिणी, दिल्ली-85
12.	मंदबुद्धि जनों के लिए विद्यालय एवं आवास (एसएचएमआरपी), महिलाओं के लिए, आशा किरण कॉम्प्लेक्स, अवन्तिका, सैक्टर-1, दिल्ली-85
13.	मानसिक रूप से विकिप्तों के लिए आशा दीप आवास (पुरुष के लिए) नरेला, दिल्ली
14.	महिलाओं के लिए नव किरण I, हाफवे/लॉग-स्टे होम, रोहिणी, सैक्टर-3, दिल्ली-85
15.	महिलाओं के लिए नव किरण II, हाफवे/लॉग-स्टे होम, रोहिणी, सैक्टर-3, दिल्ली-85
16.	पुरुषों के लिए नव चेन्ता हाफवे होम, रोहिणी, सैक्टर-22, दिल्ली-
17.	पुरुषों के लिए न्यू रचना हाफवे होम, द्वारका, सैक्टर-3, दिल्ली-85
18.	कॉलेज जाने वाले नेत्रहीन छात्रों (बालक) के लिए हॉस्टल, सेवा कुटिर कॉम्प्लेक्स, किंग्सवे कैम्प, जीटीबी नगर, दिल्ली-110009

19.	नेत्रहीन बालकों के लिए गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हॉस्टल, सेवा कुटिर कॉम्प्लेक्स, किंग्सवे कैम्प, दिल्ली-110009
20.	मूक एवं बधिर के लिए गवर्नमेंट लेडी नॉएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बालिकाओं के लिए हॉस्टल, जी.एल.एन.एस. कॉम्प्लेक्स, दिल्ली गेट, दिल्ली-110002
21.	मूक एवं बधिर के लिए गवर्नमेंट लेडी नॉएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बालकों के लिए हॉस्टल, जी.एल.एन.एस. कॉम्प्लेक्स, दिल्ली गेट, दिल्ली-110002
22.	ब्लाईंड रिलीफ एसोसिएशन (एनजीओ)
23.	एडब्ल्यूडब्ल्यूए आशा स्कूल (एनजीओ)
24.	अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट (एनजीओ)
25.	विनायक ब्लाईंड वूमन वेलफेयर सोसाईटी (एनजीओ)
26.	अराधना पैरेन्ट्स सपोर्ट ग्रुप (रजि.) (एनजीओ)
27.	मासूम फाउण्डेशन (एनजीओ)
28.	ट्रेनिंग-सह-प्रशिक्षण सेंटर, तिलक नगर, दिल्ली
29.	शारीरिक रूप से दिव्यांगों (पुरुष) के लिए आश्रय कार्यशाला, रमेश नगर, दिल्ली
30.	दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक और दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, रोहिणी

### 2.5.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किया गया:

- दिव्यांगों के अधिकार अधिनियम, 2016।
- दिव्यांगों के अधिकार नियम, 2017।
- दिल्ली दिव्यांग अधिकार नियम, 2018।
- दिव्यांगों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के दिशानिर्देश।
- सरकार द्वारा वार्षिक योजनाएं, नीति दिशानिर्देश और बजट घोषणाएं, यदि कोई हों।
- योजनाओं के संचालन संबंधी दिशानिर्देश/तौर-तरीके।
- सामान्य वित्तीय नियम और प्राप्ति एवं भुगतान नियम, 1983, शासकीय लेखा नियम, 1990, बजट नियमावली, सरकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश, परिपत्र, आदेश, निर्देश एवं दिशा-निर्देश।

### लेखापरीक्षा निष्कर्ष

#### 2.5.6 शासकीय ढाँचा का खराब कार्यान्वयन

##### 2.5.6.1 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली दिव्यांग अधिकार नियमों को अधिसूचित करने में विलंब

अधिनियम की धारा 101 में प्रावधान है कि राज्य सरकार, पिछले प्रकाशन की शर्त के अधीन, अधिसूचना द्वारा, अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से छह महीने के भीतर अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है। यह अधिनियम 19 अप्रैल 2017 को लागू हुआ।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भा.स. द्वारा सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के समाज कल्याण विभाग को स्मरण कराया गया था (13 जून 2017) कि राज्य के नियमों को 19 अक्टूबर 2017 से पहले अधिसूचित किए जाएं। हालांकि, स.क.वि., रा.रा.क्षे.दि.स. ने इस संबंध में नियमों को 27 दिसंबर 2018 को अर्थात् नियत तिथि से 14 महीने की देरी के बाद अधिसूचित किया। इससे अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन में विलंब हुआ।

जवाब में, स.क.वि. ने कहा (अक्टूबर 2021 और जनवरी 2022) कि इस अधिनियम के तहत नियम बनाने के लिए माननीय उपराज्यपाल को अधिकार प्रदान करने वाली अधिसूचना के बाद राज्य के नियम बनाए जा सकते हैं। उक्त अधिसूचना 12 दिसंबर 2017 को ही जारी की गई थी। इसके बाद, हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित करने के लिए 22 मई 2018 को मसौदा नियमों को अधिसूचित किया गया। उचित परामर्श प्रक्रिया के बाद, अंतिम नियम 27 दिसंबर 2018 को अधिसूचित किए गए।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सभी उचित प्रक्रिया और औपचारिकताएं पहले ही पूरी की जा सकती थी और माननीय उपराज्यपाल को इस संबंध में अधिकार प्रदान करते ही नियमों को तुरंत अधिसूचित किया जा सकता था।

#### 2.5.6.2 निःशक्तता पर राज्य सलाहकार बोर्ड के गठन में देरी

अधिनियम 2016 की धारा 66 और 71 के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार को दिव्यांगता मामलों पर एक राज्य सलाहकार बोर्ड (बोर्ड) का गठन करना था ताकि दिव्यांगों के सशक्तिकरण तथा अधिकारों का पूर्ण उपभोग करने के लिए एक व्यापक नीति के सतत विकास को सुगम बनाया जा सके। बोर्ड के कार्यों में राज्य सरकार को दिव्यांगता के संबंध में नीतियों, कार्यक्रमों, कानून और परियोजनाओं पर सलाह देना, दिव्यांगों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक राज्य नीति विकसित करना, राज्य सरकार के सभी विभागों और अन्य संगठनों की गतिविधियों की समीक्षा और समन्वय करना आदि शामिल है। बोर्ड को दिव्यांगता मामलों से संबंधित विभाग के प्रभारी मंत्री और राज्य मंत्री या उपाध्यक्ष के रूप में उप मंत्री की अध्यक्षता में होना था। विभिन्न विभागों<sup>11</sup> के प्रभारी राज्य सरकार के सचिव, विधान सभा के तीन सदस्य, पांच वैसे सदस्य

<sup>11</sup> दिव्यांगता के मामले (डीएसडब्ल्यू), स्कूली शिक्षा, साक्षरता एवं उच्च शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, वित्त, कार्मिक और प्रशिक्षण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, औद्योगिक नीति और संवर्धन, श्रम एवं रोजगार, शहरी विकास, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन, विज्ञान और प्रौद्योगिक, सूचना प्रौद्योगिक, सार्वजनिक उद्यम, युवा मामले और खेल, सड़क परिवहन और कोई अन्य विभाग, जिसे राज्य सरकार आवश्यक समझती है।

जो निःशक्त्ता के क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और पांच सदस्य जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले आदि को बोर्ड के सदस्य होने थे।

बोर्ड, एक बार गठित हो जाने के बाद, अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन को गति देने में सक्षम होता, इसके सदस्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और दिव्यांगता के क्षेत्र में विशेषज्ञ होते। हालांकि, यह अवलोकन किया गया कि बोर्ड के गठन का प्रस्ताव सितंबर 2018 में ही शुरू किया गया था और जनवरी 2021 से लागू हुआ, अर्थात् अधिनियम के शुरू होने से लगभग चार साल की देरी के बाद। बोर्ड के गठन में देरी दिव्यांगजनों से संबंधित मामलों में सरकार की मंशा और गंभीरता की कमी को दर्शाता है।

स.क.वि. ने जवाब दिया (जनवरी 2022) कि माननीय समाज कल्याण मंत्री के कार्यालय स्तर पर किए गए कुछ परिवर्तनों और सदस्यों के रूप में विधायकों के चुनाव में लगने वाले समय के कारण बोर्ड के गठन में देरी हुई। यह भी कहा गया कि 2019 और 2020 में संसद और विधानसभा चुनावों के दौरान लागू आचार संहिता के कारण भी मामले में देरी हुई।

उत्तर में दिये गये विलम्ब के कारण बोर्ड के गठन में लगभग चार वर्षों के विलम्ब को न्यायोचित नहीं ठहराते हैं।

### 2.5.6.3 दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्रमाणित चिकित्सा प्राधिकारी की नियुक्ति में अनुचित देरी

अधिनियम की धारा 2 (जेड सी) के अनुसार, 21 प्रकार की अक्षमताएँ अधिसूचित की गईं जिनमें 14 नई श्रेणियों की अक्षमताओं को शामिल किया गया। अधिनियम की धारा 57 में प्रावधान है कि सरकार आवश्यक योग्यता और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को प्रमाणित प्राधिकारी के रूप में नामित करेगी, जो दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम होंगे। धारा 57 (2) के अनुसार, सरकार उस क्षेत्राधिकार को भी अधिसूचित करेगी जिसके अंतर्गत तथा नियम एवं शर्तों के अधीन प्रमाणित प्राधिकारी अपने प्रमाणन कार्यों को करेगा।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि सभी 21 प्रकार की अक्षमताओं के प्रमाणन के लिए प्राधिकारियों (विभिन्न अस्पतालों) को 2 मई 2019 को नामित किया गया, अर्थात् अधिनियम के शुरू होने के दो साल से अधिक की देरी के बाद। दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति में हुई देरी से पात्र दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों एवं लाभों के मिलने में देरी हुई।

स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने 27 दिसंबर 2018 को दि.ज.अ. नियमों की अधिसूचना के बाद ही 2 मई

2019 को सभी 21 अक्षमताओं के लिए चिकित्सा प्राधिकारियों को अधिसूचित किया था।

जवाब देरी की पुष्टि करता है और अधिनियम के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर दि.ज.अ. नियमों की अधिसूचना में देरी के प्रतिकूल प्रभाव को भी प्रदर्शित करता है।

#### 2.5.6.4 राज्य आयुक्त के पद की लंबे समय से रिक्ति

अधिनियम, 2016 की धारा 79 (1) में प्रावधान है कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक राज्य आयुक्त, दिव्यांग की नियुक्ति करे। दिव्यांगों के लिए आयुक्त का कार्यालय दिव्यांग जन (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 60 के तहत एक स्वतंत्र सांविधिक प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया था, जिसने अगस्त 2009 से दिल्ली में काम करना शुरू किया।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया है कि मई 2009 (स्थापना से) से जून 2021 तक रा.रा.क्षे.दि.स. दिल्ली द्वारा चार आयुक्तों/राज्य आयुक्तों की नियुक्ति की गई थी और यह पद छह से 15 महीने तक की अवधि के लिए रिक्त रहा जैसा कि तालिका-2.5.2 में दिया गया है।

#### तालिका-2.5.2: दिव्यांगों के लिए राज्य आयुक्त की अनुपस्थिति

क्रम.सं.	रिक्ति की अवधि	महीनों में रिक्ति की अवधि
1.	27.05.2012 से 02.12.2012	06
2.	03.12.2015 से 16.03.2017	15
3.	01.01.2020 से 27.01.2021	13

स्रोत: एससीपीडी द्वारा प्रदान की गई जानकारी

लंबे समय तक राज्य आयुक्त की अनुपस्थिति ने दिल्ली में दिव्यांगजनों को अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए सांविधिक शक्तियों वाले प्राधिकारी के लाभ से वंचित कर दिया।

स.क.वि. ने जवाब दिया (जनवरी 2022) कि भविष्य में देरी से बचने के लिए ध्यान रखा जाएगा।

#### 2.5.6.5 वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के समक्ष नहीं रखी गई

अधिनियम की धारा 83 और दि.ज.अ. नियमावली 2018 के नियम 50 के अनुसार, आयुक्त एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा और पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों का पूरा लेखा-जोखा देते हुए, राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय किसी भी मामले पर विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है, जो, उसकी राय में, इतना अत्यावश्यक या महत्व का है कि इसे वार्षिक

प्रतिवेदन प्रस्तुत करने एक स्थगित नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार, आयुक्त की सिफारिश पर की गई या की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाई के जापन और सिफारिशों को स्वीकार न करने के कारणों, यदि कोई हो, के साथ वार्षिक और विशेष प्रतिवेदन राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएगी।

लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि राज्य आयुक्त (दिव्यांगता) ने 2017-18 और 2018-19 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन तैयार और प्रस्तुत की लेकिन स.क.वि. ने तालिका-2.5.3 में विवरण के अनुसार राज्य विधानमंडल में प्रतिवेदन नहीं रखी गयी।

### तालिका-2.5.3: वार्षिक प्रतिवेदनों की स्थिति

क्र. सं.	वार्षिक प्रतिवेदन की अवधि	राज्य आयुक्त कार्यालय द्वारा तैयार
1.	2017-18	तैयार कर स.क.वि. को भेजा गया
2.	2018-19	तैयार कर स.क.वि. को भेजा गया
3	2019-20	प्रक्रियाधीन (जून 2021)
4	2020-21	प्रक्रियाधीन (जून 2021)

स्रोत: एससीपीडी द्वारा प्रदान की गई जानकारी

स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि 2010-11 से 2017-18 तक के वर्षों की प्रतिवेदन संकलित की गई और संबंधित विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजी गई, लेकिन कुछ विभागों से जवाब लंबित है। आगे यह कहा गया कि जवाब प्राप्त होने के बाद इन्हें राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।

इस तरह की देरी सरकार द्वारा अधिनियम के कार्यान्वयन पर विधायी निरीक्षण को कमजोर करती है।

#### 2.5.6.6 जिला स्तरीय समिति के गठन में देरी

दि.ज.अ. नियमावली 2018 के नियम 39 के साथ पठित अधिनियम की धारा 72 के अनुसार, राज्य सरकार को दिव्यांग जनों के पुनर्वास और सशक्तिकरण से संबंधित मामलों पर जिला अधिकारियों को सलाह देने, अधिनियम और नियमों आदि के प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए दिव्यांगता पर जिला स्तरीय समिति (डीएलसी) का गठन करना था। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि एक डीएलसी (केन्द्रीय जिला) का गठन दिसंबर 2019 में अर्थात् अधिनियम के शुरू होने के दो साल से अधिक समय बाद किया गया था, और नौ अन्य का गठन दो साल बाद जून-अगस्त 2021 में किया गया। अक्टूबर 2021 तक, 11 में से 10 जिलों में डीएलसी का गठन किया गया। दक्षिण-पूर्व जिला में अब तक डीएलसी का गठन नहीं हुआ। डीएलसी के गठन में हुई देरी ने अधिनियम को उचित रूप से और कुशलता से लागू करने की स.क.वि. की क्षमता से समझौता किया।

स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि राज्य दि.ज.अ. नियमावली के अधिसूचना के बाद जून 2021 में संभागीय आयुक्त (राजस्व) से दिव्यांगता

पर डीएलसी गठित करने का अनुरोध किया गया था और दक्षिण-पूर्व जिला को छोड़कर सभी जिलों में डीएलसी का गठन किया जा चुका है और संबंधित जिलाधिकारी, से इसमें तेजी लाने का अनुरोध किया जा रहा था।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नियमों की अधिसूचना के बाद डीएलसी के गठन हेतु निर्देश जारी करने में दो वर्ष से अधिक की देरी हुई।

#### **2.5.6.7 दिव्यांगजनों (दि.ज.) के लिए राज्य निधि का गठन नहीं किया गया**

अधिनियम की धारा 88 (1) में प्रावधान है कि राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए राज्य निधि कहे जाने वाले एक कोष का गठन इस प्रकार किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार निर्धारित करे। आगे, दिल्ली दि.ज.अ. नियमावली, 2018 का नियम 53 निर्धारित करता है कि राज्य कोष का उपयोग (क) उन क्षेत्रों में वित्तीय सहायता के लिए किया जाएगा जो विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की किसी योजना और कार्यक्रम के तहत सम्मिलित नहीं किए गए हैं; (ख) कोष के प्रशासनिक और अन्य खर्च, जैसा कि अधिनियम द्वारा या उसके तहत किए जाने की आवश्यकता हो सकती है; और (ग) ऐसे अन्य उद्देश्य जो कोष के लिए गठित शासी निकाय द्वारा तय किए जाएँ, के लिए किया जाएगा।

दिव्यांग जनों के लिए राज्य कोष निधि का सृजन अधिनियम के लागू होने के चार साल से अधिक समय के बाद भी जनवरी 2022 तक नहीं किया गया है। यह दिव्यांगजनों के कल्याण के प्रति रा.रा.क्षे. दिल्ली की प्रतिबद्धता में कमी को दर्शाता है।

स.क.वि. ने जवाब दिया (जनवरी 2022) कि दिव्यांगजनों के लिए राज्य कोष की स्थापना के लिए कदम उठाए गए हैं।

#### **2.5.6.8 कमजोर शिकायत निवारण तंत्र**

(i) अधिनियम की धारा 80(बी) में प्रावधान है कि राज्य आयुक्त स्वतः संज्ञान से या अन्यथा दिव्यांग जनों के अधिकारों से वंचित और उन मामलों के संबंध में उनके लिए उपलब्ध सुरक्षा उपायों की जाँच करेगा, जिनके लिए राज्य सरकार उपयुक्त सरकार है और सुधारात्मक कार्रवाई के लिए उपयुक्त अधिकारियों के साथ मामले को उठाएगी। इसके अलावा दि.ज.अ. नियमावली, 2018 के नियम 49 (2) कहता है कि राज्य आयुक्त, शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत की एक प्रति शिकायत में उल्लिखित विरोधी पक्ष या पक्षों को, मामले के अपने संस्करण को 30 दिनों की अवधि के भीतर या राज्य आयुक्त

द्वारा प्रदान की गई, ऐसी विस्तारित अवधि जो 15 दिनों से अधिक न हो, में प्रस्तुत करने का निर्देश देने के लिए संदर्भित करेगा। नियम 49 (8) यह भी कहता है कि राज्य आयुक्त, जहां तक संभव हो विरोधी पक्ष द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर शिकायत का फैसला करेंगे।

राज्य आयुक्त (दिव्यांगता) के कार्यालय में अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान निम्नलिखित कमियां पाई गई:

(ii) दिव्यांगजनों से शिकायतों की प्राप्ति और निपटान की निगरानी के लिए कोई अलग शिकायत रजिस्टर नहीं रखा गया था। शिकायतों सहित प्राप्त सभी पत्रों और अन्य पत्राचार को एक ही डायरी (प्राप्ति/आवक पंजिका-समेकित) में दर्ज किया जाता है। अन्य शिकायतों के संबंध में लम्बित निर्णयों की निगरानी करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। इसलिए, लेखापरीक्षा में शिकायतों/परिवादों का समय पर निपटान सत्यापित नहीं किया जा सका।

जवाब में, स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि शिकायत पंजिका को सावधानीपूर्वक और एक्सेल प्रारूप में भी बनाया जा रहा है और हर शिकायत को सभी विवरणों के साथ दर्ज किया जाता है। यह भी कहा गया कि शिकायतें सुलझाने वाले सभी अधिकारियों को सहायक डायरी बनाए रखने का निर्देश देते हुए एक परिपत्र जारी किया गया है और इसका अनुरक्षण संबंधित सहायकों द्वारा किया जा रहा है।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि केवल एक संयुक्त डायरी पंजिका का अनुरक्षण किया जा रहा था और अलग शिकायत पंजिका के अनुरक्षण के संबंध में जवाब के साथ कोई सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया।

(iii) दिव्यांगजनों से फोन पर शिकायतें/परिवाद प्राप्त करने की प्रणाली अर्थात् 24 घंटे हेल्प लाइन नंबर के संबंध में, कार्यालय ने कहा कि इसके लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के प्रशासनिक सुधार विभाग से मांग की गई है।

इसके अलावा, स.क.वि. द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या 68 दिनांक 25 मई 2000 के अनुसार, डीएसडीओ अपने संबंधित जिले का लोक शिकायत अधिकारी होता है और मुख्यालय को रिपोर्ट करने के साथ प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को अपने जिले से संबंधित सभी जन शिकायतों को सुनेगा।

लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि तीन चयनित जिलों में शिकायतों का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं था। इस प्रकार, रा.रा.क्षे.दि.स.,दिव्यांगों को एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करने में विफल रही।

स.क.वि. से इस संबंध में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ।

#### **2.5.6.9 दिव्यांगजनों से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों की सामाजिक लेखापरीक्षा का अभाव**

अधिनियम की धारा 48 में प्रावधान है कि उपयुक्त सरकार दिव्यांग जनों को शामिल करने वाली सभी सामान्य योजनाओं और कार्यक्रमों का सामाजिक लेखापरीक्षा करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजनाओं और कार्यक्रमों का दिव्यांग जनों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

स.क.वि. द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इसने कोई सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं की है और सूचित किया है कि मामला दिव्यांग जनों के राज्य आयुक्त को भेजा गया है। दिव्यांगता शाखा, स.क.वि. ने यह कहा (अक्टूबर 2021) कि यह लेखापरीक्षा के घटक को योजनाओं में शामिल करेगी।

स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि नव स्थापित आरटीई शाखा से दिव्यांगजनों से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों की सामाजिक लेखापरीक्षा करने का अनुरोध किया गया है तथा तैयार की जा रही योजनाओं में सामाजिक लेखापरीक्षा के घटक को शामिल किया जाएगा।

#### **2.5.7 जागरूकता अभियान और उससे संबंधित गतिविधियों का आयोजन नहीं किया गया**

अधिनियम की धारा 39 में प्रावधान है कि सरकार, राज्य आयुक्त के परामर्श से, अधिनियम के तहत प्रदान किए गए दिव्यांग जनों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान और संवेदीकरण कार्यक्रमों का संचालन, प्रोत्साहन, समर्थन या प्रचार करेगी। इसके अलावा, दिव्यांग जनों के अधिकारों को विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना था।

स.क.वि. द्वारा प्रदान की गई जानकारी/रिकॉर्ड के अनुसार, इसने समावेश, सहिष्णुता, समानुभूति और विविधता हेतु सम्मान के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्यक्रम या अभियान नहीं चलाया है। इसी प्रकार, स.क.वि. ने विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों में दिव्यांगजनों के अधिकारों को पाठ्यक्रम

में शामिल करने को सुनिश्चित करने के लिए, अधिनियम के प्रावधानों के बारे में संबंधित विभागों को पत्र भेजने के अलावा कोई कदम नहीं उठाया।

स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि दिव्यांग जनों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय दिवस 2015 से मनाया जाता है और लोगों को समावेशन तथा जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए आवासों/संस्थानों की गतिविधियों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा, दिसम्बर 2021 में विभिन्न हित धारकों के जागरूकता सृजन पर एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पिछले 4 वर्षों से केवल एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था और समावेशन, सहिष्णुता, समानुभूति और विविधता के सम्मान के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया। इसके अलावा, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों में पाठ्यक्रम में दिव्यांगों के अधिकारों को शामिल न करने के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया है।

#### 2.5.8 दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए संस्थानों और संगठनों की अपर्याप्त निगरानी और निरीक्षण

समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी कार्यालय आदेश सं. 68 दिनांक 25 मई 2000 के अनुसार, जिला समाज कल्याण अधिकारी (डीएसडब्ल्यूओ) अपने संबंधित जिलों के पर्यवेक्षी अधिकारी होंगे और अपने जिलों के भीतर सभी इकाइयों का नियमित निरीक्षण उनकी प्राथमिक उत्तरदायित्व होगी। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं निरीक्षण करें और अपना प्रतिवेदन निम्नानुसार मुख्यालय को भेजे:

- i) माह में एक बार आश्रयों/संस्थानों का निरीक्षण करना तथा निर्धारित प्रारूपों में संयुक्त निदेशक प्रोग्राम को रिपोर्ट देना।
- ii) माह में एक बार रात्रि में आश्रयों/संस्थानों का औचक निरीक्षण करना तथा निर्धारित प्रारूपों में संयुक्त निदेशक प्रोग्राम को रिपोर्ट देना।

तीन चयनित जिलों के अभिलेखों की जाँच के दौरान, यह पाया गया कि लेखापरीक्षा अवधि 2017-21 के दौरान अपेक्षित 192 के विरुद्ध केवल नौ निरीक्षण पश्चिम जिले में किए गए थे। अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र के तहत बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों, वाक् और श्रवण बाधित छात्रों और बौद्धिक रूप से क्षीण जनों से संबंधित आश्रयों/विद्यालयों या संस्थानों का दो जिलों (उत्तर-पश्चिम I और II) (परिशिष्ट 2.5) में कोई निरीक्षण नहीं किया गया।

दिव्यांगजनों की सेवा करने वाले संस्थानों की अपर्याप्त निगरानी दिव्यांगजनों के कल्याण के प्रति सरकार की शिथिलता को दर्शाता है।

विभाग ने कहा (जनवरी 2022) कि कई निरीक्षण/औचक निरीक्षण किए गए थे परन्तु अभिलेखों का रखरखाव नहीं किया गया था तथा भविष्य में अभिलेखों का रखरखाव किया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई करने हेतु संयुक्त निदेशक को अग्रेषित किया जाएगा।

### 2.5.9 अनिवार्य अभिगम्य मानदंडों की गैर-अनुपालना

अधिनियम की धारा 41 से 46 और राज्य आयुक्त के दिनांक 26 नवंबर 2019 के आदेश में निर्धारित है कि उपयुक्त सरकार मौजूदा निर्मित वातावरण एवं परिवहन की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए, अन्य बातों के अलावा, एक कार्य योजना के तहत ऐसे नियमों की अधिसूचना की तिथि (15 जून 2022) से पांच वर्षों के भीतर उपयुक्त उपाय करेगी। इसके अतिरिक्त दिल्ली दि.ज.अ. नियमावली, 2018 के नियम 20 (1) (ए) में प्रावधान है कि प्रत्येक प्रतिष्ठान सार्वजनिक भवनों के लिए मानकों का अनुपालन करेगा जैसा कि 2016 में भारत सरकार द्वारा जारी दिव्यांगजनों एवं बुजुर्गों के लिए बैरियर मुक्त निर्मित वातावरण के लिए समरूप दिशानिर्देशों और स्पेस मानकों में निर्दिष्ट है। इन प्रावधानों के कार्यान्वयन में कमियों की चर्चा आगामी पैराग्राफों में की गई है।

#### 2.5.9.1 अपर्याप्त निगरानी

एससीपीडी ने जुलाई 2017 में दिव्यांगजनों के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. में दुर्गम निर्मित वातावरण का स्वतः संज्ञान लिया था और शहरी विकास विभाग, दिल्ली नगर निगमों, दिल्ली छावनी बोर्ड तथा दिल्ली परिवहन निगम को नोटिस जारी किया था। नोटिसों पर प्रतिक्रिया की कमी के कारण एससीपीडी ने इस मामले पर सुनवाई की और प्रधान सचिव (शहरी विकास विभाग) की अध्यक्षता में दिव्यांगजनों के लिए मौजूदा निर्मित वातावरण की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए शहरी विकास विभाग द्वारा एक निगरानी समिति का गठन किया था। अक्टूबर 2017 से नवंबर 2019 की अवधि के दौरान नौ सुनवाई करने के बाद एससीपीडी ने इस संबंध में 26 नवंबर 2019 को अपने अंतिम आदेशों के माध्यम से कई निर्देश जारी किए।

उपरोक्त आदेशों के अनुसार निगरानी समिति के अध्यक्ष को कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन पर पिछली तिमाही में की गई प्रगति एवं भौतिक जांच

प्रतिवेदन को दर्शाते हुए सभी विभागों/एजेंसियों<sup>12</sup> की समेकित त्रैमासिक प्रतिवेदन (प्रत्येक तिमाही के बाद के महीने की 10 तारीख तक) एससीपीडी को प्रस्तुत करनी थी। हालांकि निगरानी समिति ने एससीपीडी को कोई त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं की। एससीपीडी ने यह भी पाया कि स.क.वि. द्वारा संचालित दिव्यांग जनों के 14 संस्थान एवं शिक्षा विभाग के नौ स्कूल दिव्यांगजनों<sup>13</sup> के लिए पूरी तरह से सुलभ नहीं थे। अतः सार्वजनिक अवसंरचना को दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाने के एससीपीडी के प्रयासों को सरकार की तरफ से पर्याप्त प्रयासों और प्रतिक्रिया की कमी के कारण कमजोर कर दिया गया।

स.क.वि. ने अपने जवाब (जनवरी 2022) में कहा कि ई-समीक्षा और प्रगति प्रतिवेदन के माध्यम से हर महीने की स्थिति से सरकार को अवगत कराया जाता है। इसके अलावा, कोविड-19 महामारी के प्रकोप और प्रदूषण के कारण सर्दियों के महीनों के दौरान निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध के कारण; रेट्रोफिटिंग की प्रगति में बाधा उत्पन्न हुई।

विभाग का जवाब संतोषजनक नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा को कोई प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसके अलावा, छह महीने का कोविड लॉकडाउन और कुछ महीनों का निर्माण प्रतिबंध अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों को लागू करने में चार वर्ष से अधिक की देरी की व्याख्या करने के लिए पर्याप्त नहीं था।

#### 2.5.9.2 पूजा स्थलों तक पहुंच को सुनिश्चित नहीं किया गया

एससीपीडी ने मई 2018 में सभी 11 जिलाधिकारियों को दिव्यांगजनों के लिए सभी पूजा स्थलों को सुलभ बनाने हेतु उचित कार्रवाई करने और दिव्यांगजनों के लिए पूजा स्थलों तक पहुंच तथा इसे सुलभ बनाने की समयसीमा के बारे में विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। एससीपीडी ने इन जिलों को दो अनुस्मारक और स्वतः संज्ञान लेकर नोटिस भी जारी किया था। प्राप्त प्रतिक्रियाओं के अनुसार दिल्ली में कुल 2329 धार्मिक स्थलों में से केवल 547 (23.49 प्रतिशत) ही दिव्यांगजनों के लिए सुलभ थे। इसके अतिरिक्त, 11 जिलों में से केवल दो जिलों ने अपने अधिकार क्षेत्र के सभी धार्मिक स्थलों को दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाने हेतु लक्ष्य की तिथियाँ दी थी। इस मामले पर पांच सुनवाई के बाद एससीपीडी ने सभी जिलों को संबंधित धार्मिक स्थलों के

<sup>12</sup> शहरी विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, निगम परिषद, डीडीए, पुलिस, परिवहन विभाग, डीयूएसआईबी, डीटीआईडीसीएल, डीएसआईआईडीसी, डीएसआईआईडीसी, आई एवं एफसीडी और शिक्षा विभाग

<sup>13</sup> 2017-18 से 2020-21 के दौरान किये गये निरीक्षणों में।

प्रबंधन के साथ इस मुद्दे को उठाने और सभी धार्मिक स्थलों को दो से तीन महीने के अंदर दिव्यांगजनों के लिए सुलभ बनाने के लिए उचित निर्णय जारी करने का आदेश दिया (अक्टूबर 2019)। जिलों द्वारा की गई कार्रवाई की निगरानी, निगरानी समिति द्वारा की जानी थी। अंतिम सुनवाई के अभिलेखों से यह देखा गया कि एससीपीडी द्वारा किए गए प्रयासों के बावजूद मई 2018 से अक्टूबर 2019 तक विभिन्न जिला अधिकारियों द्वारा कोई प्रगति की सूचना नहीं दी गई थी। एससीपीडी के अभिलेखों में एससीपीडी के आदेशों पर किसी भी कार्रवाई का कोई सबूत नहीं मिला और न अक्टूबर 2019 के बाद निगरानी समिति की कोई प्रतिवेदन ही मिली। इस प्रकार, रा.रा.क्षे.दि.स., दि.ज. के लिए पूजा स्थलों तक पहुँच सुनिश्चित करने में विफल रहा।

विभाग का जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

### **2.5.9.3 भारी व्यय के बावजूद चिन्हित भवनों को दि.ज. के लिए सुलभ नहीं बनाया गया है**

दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण विभाग (दि.ज.स.वि), भा.स. ने 3 दिसंबर 2015 को निर्मित वातावरण, परिवहन प्रणाली और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी तंत्र में दिव्यांगों की सार्वभौमिक पहुंच बनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में सुलभ भारत अभियान (सु.भा.अ.) शुरू किया था।

दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण विभाग ने अगस्त 2020 तक 19 चिन्हित भवनों को दिव्यांगों के लिए बाधा मुक्त बनाने हेतु वर्ष 2017-19 के दौरान स.क.वि. को ₹ 13.94 करोड़ भी जारी किये थे। लोक निर्माण विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. और दिल्ली जल बोर्ड द्वारा ₹ 10.68 करोड़ व्यय करने के बाद भी केवल एक भवन को दिव्यांगजनों के लिए सुलभ कराया गया है (जुलाई 2021) और अन्य भवनों में कार्य प्रगति पर था।

विभाग का जवाब प्रतीक्षित था (मई 2022)।

### **2.5.9.4 वेबसाइटों को दिव्यांगों के अनुकूल नहीं बनाया गया**

अधिनियम की धारा 42 में परिकल्पना की गई है कि उपयुक्त सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगी कि ऑडियो, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उपलब्ध सभी सामग्री सुलभ प्रारूप में हैं, दिव्यांग जनों के पास ऑडियो विवरण, सांकेतिक भाषा की व्याख्या और क्लोज कैप्शनिंग प्रदान करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक पहुंच है तथा इलेक्ट्रॉनिक सामाज और उपकरण जो रोजमर्रा के उपयोग के लिए हैं, सार्वभौमिक डिजाइन में उपलब्ध हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि स.क.वि. द्वारा अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों को इसके अधिनियमन (सितंबर 2021) के बाद से पिछले चार वर्षों से लागू करने के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है। यह भी देखा गया कि रा.रा.क्षे.दि.स. के विभिन्न विभागों की वेबसाइटों ने ऑडियो विवरण, सांकेतिक भाषा की व्याख्या और क्लोज कैप्शनिंग प्रदान नहीं की, जैसा कि अधिनियम के तहत परिकल्पित है

विभाग का जवाब प्रतीक्षित है (मई 2022)।

## 2.5.10 दिव्यांगजनों की पहचान नहीं की गई

### 2.5.10.1 दिव्यांगजनों की जनसंख्या पर कोई आंकड़ा नहीं

(i) सभी लाभार्थियों की पहचान यह सुनिश्चित करने की दिशा में पहला कदम है कि सभी पात्र जनों को किसी भी योजना के तहत अनिवार्य सेवाएं और लाभ प्रदान किए जाने हैं। यह देखा गया कि स.क.वि. के पास दिल्ली में दिव्यांग जनों पर कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं था क्योंकि इसने दिल्ली में दिव्यांग जनों की गणना के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया था। राज्य सलाहकार बोर्ड ने अपनी पहली बैठक (अप्रैल 2021) में भी राज्य सरकार को दिव्यांग जनों के लिए सतही सर्वेक्षण करने की सलाह दी थी। सरकार के पास केवल 2011 की जनगणना का आंकड़ा उपलब्ध था, जो कि कम था क्योंकि इसमें केवल सात प्रकार की अक्षमताओं को वर्गीकृत किया गया था जबकि अधिनियम 21 विभिन्न श्रेणियों की अक्षमताओं को मान्यता देता है। दिव्यांग जनों पर डेटा के अभाव में सरकार की विभिन्न योजनाओं और उनके लिए कल्याणकारी उपायों को तैयार करने, संसाधन आवश्यकताओं का अनुमान लगाने और एक कार्य योजना तैयार करने की क्षमता को सीमित कर दिया।

इंगित किये जाने पर, स.क.वि. ने कहा (अक्टूबर 2021) कि इस संबंध में एक प्रस्ताव रखा जा रहा है।

(ii) अधिनियम की धारा 17 में निर्धारित है कि उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकरण दिव्यांग बच्चों की पहचान करने, उनकी विशेष जरूरतों का पता लगाने और उन्हें किस हद तक पूरा किया जा रहा है, इसका पता लगाने के लिए हर पांच साल में स्कूल जाने वाले बच्चों का सर्वेक्षण करेंगे। पहला सर्वेक्षण अधिनियम के लागू होने की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर अर्थात् अप्रैल 2019 तक किया जाना था। हालाँकि, सरकार ने स्कूल जाने वाले दिव्यांग बच्चों की पहचान के लिए ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया है, जिससे उनकी विशेष जरूरतों को पूरा करने में असफल रही।

इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 25 (2) के तहत सरकार को दिव्यांगों के स्वास्थ्य की देखभाल को बढ़ावा देने और दिव्यांगता की घटना को रोकने के लिए उपाय करना और योजनाएं तथा कार्यक्रम बनाना था। इस उद्देश्य के लिए सरकार को “जोखिम वाले” मामलों की पहचान करने के उद्देश्य से दिव्यांग होने के कारणों से संबंधित सर्वेक्षण जांच और अनुसंधान करना था और वर्ष में कम से कम एक बार सभी बच्चों की स्क्रीनिंग करनी थी।

अर्थशास्त्र तथा सांख्यिकी निदेशालय, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा “दिव्यांगजनों के सर्वेक्षण” पर 76वें राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के राज्य नमूने का एक सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण प्रतिवेदन जुलाई 2021 में ही सामने आई गई थी और सरकार ने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इस प्रकार, अधिनियम के लागू होने के चार वर्षों के बाद भी सरकार ने दिव्यांगता की घटना और उसे रोकने के संबंध में कोई जांच या शोध नहीं किया। इसने “जोखिम” वाले मामलों की पहचान करने के लिए सभी बच्चों की स्क्रीनिंग भी नहीं की।

सं.क.वि. ने जवाब दिया कि भा.स. ने दिव्यांग की गणना को जनगणना में शामिल करने के लिए जनगणना आयोग को लिखा है तथा स.क.वि. ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी और शिक्षा विभाग को दिव्यांग का एक सतही सर्वेक्षण करने के लिए दिव्यांग मतदाताओं/छात्रों का डेटा साझा करने के लिए भी कहा है। जवाब इंगित करता है कि विभाग ने दिल्ली में सभी दिव्यांगजनों की पहचान के लिए कोई कार्रवाई नहीं किया।

#### **2.5.10.2 भारत सरकार की यूडीआईडी योजना के कार्यान्वयन में अनुचित देरी**

अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार ने दिव्यांग जनों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के उद्देश्य से यूडीआईडी (अद्वितीय दिव्यांग पहचान पत्र) परियोजना शुरू की। यूडीआईडी परियोजना के तहत, प्रत्येक दिव्यांग जनों को यूडीआईडी जारी किए जाने थे जो लाभ वितरण की भौतिक और वित्तीय प्रगति को ट्रैक करने में मदद करेगा। यह पारदर्शिता, डेटा की ऑनलाइन उपलब्धता दिव्यांग जनों के डेटा के दोहराव को रोकने और अधिनियम के कार्यान्वयन के प्रभावी प्रबंधन के लिए दिव्यांग जनों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस भी बनाता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि यद्यपि रा.रा.क्षे. दिल्ली में यूडीआईडी कार्ड्स जारी होना मई 2019 में शुरू हुई थी और स.क.वि. ने सितंबर 2021 तक कुल दिव्यांग आबादी 2.35 लाख (जनगणना 2011 के अनुसार) के विरुद्ध केवल 7938 कार्ड जारी किए हैं। यह एक अस्वीकार्य स्थिति है और रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा पूरी तरह से जांच की जरूरत है और यूडीआईडी परियोजना को लागू

नहीं करने के लिए जिम्मेदारी तय की जा सकती है अन्यथा दिव्यांगजनों के लिए बहुत उपयोगी हो सकती थी।

जवाब में स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.द्वारा दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए पात्र अस्पताल को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही यूडीआईडी कार्ड जारी किया जा सकता है और सभी अस्पतालों को एक समय में दिव्यांगता प्रमाण-पत्रों के लंबित कार्यों को एक समयबद्ध चरण में पूरा करने का निर्देश दिया गया था। इसके अतिरिक्त दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अस्पतालों की सूची को अंतिम रूप देने में विलम्ब भी सरकार के कारण थी।

### 2.5.10.3 विशेष दिव्यांगता शिविरों एवं सामान्य दिव्यांगता शिविरों का गैर-आयोजन/कम आयोजन

अधिनियम की धारा 39 के अनुसार, उपयुक्त सरकार, राज्य आयुक्त के परामर्श से, इस अधिनियम के तहत प्रदान किए गए दिव्यांगजनों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान और संवेदीकरण कार्यक्रमों का संचालन, प्रोत्साहन, समर्थन या प्रचार करेगी। स.क.वि., दिव्यांगजनों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत सामान्य दिव्यांगता शिविर आयोजित करता है जहां अधिकृत अस्पतालों द्वारा दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, डीसी कार्यालय द्वारा पहचान-पत्र, डीटीसी पास आदि दिव्यांगजनों को जारी किए जाते हैं। यह दिव्यांगों के शैक्षिक और व्यावसायिक पुनर्वास के लिए सहायता एवं उपकरणों और सेवाओं के वितरण के लिए विशेष दिव्यांगता शिविर भी आयोजित करता है।

लेखापरीक्षा के दौरान, एनपीआरपीडी योजना में निम्नलिखित कमियां पाई गई:-

- (i) 2017-18, 2018-19 और 2020-21 के दौरान विभाग द्वारा सामान्य या विशेष शिविर आयोजित नहीं किए गए।
- (ii) वर्ष 2019-20 में 12 के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र पांच सामान्य दिव्यांगता शिविर आयोजित किये गये जबकि कोई विशेष शिविर आयोजित नहीं किये गये।
- (iii) शिविरों के आयोजन में कमी के कारण, विभाग वर्ष 2017-21 के बजट आवंटन ₹ 131.00 लाख का पूरा उपयोग नहीं कर सका और इस आवंटन में से केवल ₹ 5.34 लाख का ही उपयोग किया गया।

जवाब में, विभाग ने कहा (जून 2021 और जनवरी 2022) की दिव्यांगता के संबंध में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अस्पतालों को नामित

करने वाला परिपत्र मई 2019 में ही जारी किया गया था। इसलिए दिव्यांगता शिविरों का आयोजन 2019-20 में ही किया जा सका। इसके अलावा, कोविड-19 महामारी के अचानक फैलने के कारण फरवरी 2020 तक केवल पाँच शिविरों का ही आयोजन किया जा सका। आगे कहा गया कि दिव्यांगता प्रमाण-पत्र और यूडीआईडी कार्ड्स जारी करने के लिए नामित अस्पतालों में 30 यूडीआईडी शिविर/सामान्य दिव्यांगता शिविर आयोजित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

विभाग का जवाब मान्य नहीं है क्योंकि दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अस्पतालों को नामित करने में देरी विभाग और रा.रा.क्षे.दि.स. के कारण था और दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अस्पतालों को नामित करने के बाद भी फरवरी 2020 तक केवल पाँच शिविरों का ही आयोजन किया गया। उसके बाद भी, जनवरी 2022 तक पूर्ण कोविड-19 अनलॉक होने के बाद भी कोई शिविर आयोजित नहीं किया गया।

### 2.5.11 दिव्यांगजनों के लिए शैक्षणिक अवसर सुनिश्चित नहीं किए गए

#### 2.5.11.1 समाज कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए दिव्यांगजनों के लिए विशेष स्कूलों में प्रचलित दयनीय स्थिति

स.क.वि., रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा संचालित और प्रबंधित दिव्यांग छात्रों के लिए सात विशेष स्कूल हैं। इन सात विशेष स्कूलों में से पांच वाक् और श्रवण बाधित छात्रों के लिए थे, एक दृष्टिबाधित छात्रों (लड़कों) के लिए और एक बौद्धिक रूप से दिव्यांग बच्चों के लिए। रा.रा.क्षे. दिल्ली में दृष्टिबाधित छात्राओं के लिए कोई विशेष स्कूल नहीं है। इन सात विशेष स्कूलों में से चार विशेष स्कूल विस्तृत लेखापरीक्षा जांच के लिए चुने गए थे।

लेखापरीक्षा ने देखा कि विशेष स्कूलों<sup>14</sup> द्वारा प्रदान की जाने वाली शर्तें, सुविधाएं और सेवाएं संतोषजनक नहीं थीं। आगे, स्कूल भवन और परिसर की आधारभूत संरचना क्षमता का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया था जैसा कि आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

#### (i) अन्य कार्यालयों द्वारा स्कूल भवनों का उपयोग

चुने गए सभी चार विशेष स्कूलों के अपने-अपने स्कूल भवन और परिसर हैं। हालांकि, यह देखा गया कि स्कूल भवनों पर समाज कल्याण विभाग और

<sup>14</sup> मूक और बधिर के लिए सरकारी लेडी नॉयस सीनियर सैंकेण्डरी स्कूल, दिल्ली गेट, मूक और बधिर के लिए मिडिल स्कूल, (एन.पी.एस.डी.) रोहिणी, नेत्रहीन छात्रों के लिए सीनियर सैंकेण्डरी स्कूल सेवा कुटीर काम्पलैक्स तथा मानसिक रूप से विकसित बच्चों के लिए स्कूल, मयूर विहार।

महिला एवं बाल विकास विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. के विभिन्न कार्यालयों का भी कब्जा था जैसा कि तालिका-2.5.4. में दिया गया है।

#### तालिका:-2.5.4. स्कूल भवनों से संचालित कार्यालयों का विवरण

क्र. स.	स्कूल का नाम और पता	भवन में अन्य कार्यालय	टिप्पणियां
1.	मूक एवं बधिर के लिए गवर्नमेंट लेडी नॉयस सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली गेट	भवन में स.क.वि. के कार्यालय भी हैं।	स्कूल में प्री-प्राइमरी से लेकर बारहवीं तक के 528 छात्र पढ़ रहे हैं। वर्ग कक्षाओं की कमी के कारण 9 से 12वीं तक की कक्षाएँ 96 से 113 छात्र होने के बावजूद एक-एक कमरे में चल रहे थे। इसके अलावा, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला, ड्राइंग क्लासरूम, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए कॉमन रूम आदि के लिए जगह की कमी थी।
2.	मूक एवं बधिर के लिए गवर्नमेंट मिडिल स्कूल (एनपीएसडी), रोहिणी	भवन से चार कार्यालय कार्य कर रहे हैं अर्थात् दो जिला समाज कल्याण कार्यालयों और महिला एवं बाल विकास के कार्यालय	अन्य कार्यालयों की उपस्थिति के कारण भवन की चार मंजिलों के 39 कमरों में से प्रथम तल पर केवल 12 कमरे स्कूल चलाने और एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा दिव्यांग छात्र के प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध थे। इसके कारण 211 छात्रों को पढ़ाने के लिए केवल सात कमरे उपलब्ध थे और सात कमरों में 12 कक्षाओं (नर्सरी के लिए चार और कक्षा एक से आठ के लिए आठ) को समायोजित किया जा रहा था। इसलिए, एक कमरे में कम से कम 35 छात्रों के साथ एक साथ दो कक्षाएं संचालित की जा रही थीं। यह भी नोट किया गया कि प्रत्येक कक्षा वास्तव में केवल दस छात्रों के लिए डिजाइन की गई थी।
3.	नेत्रहीन लड़कों के लिए गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेवा कुटीर कॉम्प्लेक्स, किंग्सवे कैंप	कोई अन्य कार्यालय नहीं	कक्षा एक से बारहवीं तक के 131 छात्रों के ठहरने के लिए तीन हॉल और एक कमरा उपलब्ध था। इस प्रकार एक कमरा/हॉल में एक साथ तीन से चार कक्षाएं संचालित की गई।
4.	मानसिक रूप से मंद बुद्धि के बच्चों के लिए स्कूल, मयूर विहार (बधिरों के लिए राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय भी इमारत से संचालित होता है)।	भवन में महिला एवं बाल विकास विभाग के छह कार्यालय भी हैं	दो स्कूलों के लिए जगह की कमी के कारण भवन को छह अन्य कार्यालयों द्वारा कब्जा कर लिया गया।

स्रोत: स.क.वि. के तहत विशेष स्कूल अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सूचना

उसी भवन में जहां दिव्यांगजनों के लिए स्कूल चल रहे हैं, अन्य कार्यालयों का कामकाज इन बच्चों की शिक्षा और विकास के लिए अनुकूल नहीं है, इसके अलावा, स्कूलों के लिए जगह कम है। ये बच्चे कई मायनों में असुरक्षित हैं और इसलिए अन्य कार्यालय कर्मचारियों और आगंतुकों के साथ उनके शौचालय, पीने के पानी, कोरिडोर, सीढ़ियों, पूरे भवन/परिसर के प्रवेश द्वार आदि को साझा करना शारीरिक और भावनात्मक संकट के जोखिम से भरा है।

स.क.वि ने जवाब दिया (जनवरी 2022) कि जीएलएनएस परिसर में स.क.वि. मुख्यालय और रोहिणी, कालकाजी और मयूर विहार स्थित स्कूल से संचालित अन्य कार्यालयों को अन्य स्थानों पर स्थानांतरित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

**(ii) असुरक्षित भवन से स्कूल का संचालन**

नेत्रहीन लड़कों के लिए गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जीएसएसएसबीबी, सेवा कुटीर एक भवन से संचालित हो रहा था जिसे वर्ष 2018 में लोक निर्माण विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा असुरक्षित घोषित कर दिया गया था। हालांकि, स्कूल की इमारत को न तो मजबूत/नवीनीकरण किया गया था और न ही स्कूल को सितंबर 2021 तक सुरक्षित भवन में स्थानांतरित किया गया था तथा स्कूल अभी भी असुरक्षित इमारत में काम कर रहा था जो छात्रों के जीवन के लिए खतरनाक है।

स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि इस संबंध में लो.नि.वि./जीएसएसएसबीबी से अभिलेख मांगे जा रहे हैं और लो.नि.वि. के प्रतिवेदन के अनुसार जिला सम्पदा अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

**(iii) स्कूलों में नियमित प्राचार्य का न होना**

चार चयनित स्कूलों में से तीन का नेतृत्व एक प्रधानाचार्य द्वारा किया जाना था, जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित श्रेणी के दिव्यांग जनों के शिक्षकों के लिए मास्टर डिग्री/डिप्लोमा के साथ में दिव्यांगजनों के शिक्षण संस्थान में 10 साल के शिक्षण का अनुभव भी हो। हालांकि, लेखापरीक्षा ने देखा कि मूक एवं बधिरों के लिए गवर्नमेंट लेडी नॉयस सीनियर सेकेंडरी स्कूल (लेडी नॉयस स्कूल) में प्राचार्य का पद 2018-19 से खाली पड़ा था। जून 2021 में, एक सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाध्यापक को जिनके पास आवश्यक योग्यता नहीं थीं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य (शैक्षणिक) के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। इसी प्रकार सेवा कुटीर स्कूल में नियमित प्राचार्य का पद रिक्त था तथा विभाग का एक अधिकारी जिसके पास पर्याप्त योग्यता नहीं थी, प्राचार्य (शैक्षणिक) के पद पर पदस्थापित था। यह भी देखा गया कि विभाग की नियमावली में प्राचार्य (शैक्षणिक) के पद का प्रावधान नहीं था।

स.क.वि. ने जवाब दिया (जनवरी 2022) कि मौजूदा भर्ती नियमों में संशोधन हेतु संघ लोक सेवा आयोग को उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जा रहा

है और अंतरिम व्यवस्था के रूप में, शिक्षा विभाग से प्राचार्यों को डायवर्टेड क्षमता पर तैनात करने का अनुरोध किया गया है।

**(iv) स्कूलों में शिक्षण व अन्य स्टाफ की कमी**

लेखापरीक्षा ने पाया कि लेखापरीक्षा के लिए चयनित सभी चार विशेष स्कूलों में शिक्षण एवं अन्य कर्मचारियों की अत्यधिक कमी थी।

क) लेडी नॉयस स्कूल - स्कूल में 528 छात्र हैं और 2020-21 के दौरान 79 शिक्षकों की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध केवल 29 शिक्षक (63 प्रतिशत की कमी) पदस्थापित थे। अन्य कर्मचारियों के संबंध में, 49 की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध केवल 32 व्यक्ति उपलब्ध थे।

ख) मूक एवं बधिर के लिए गवर्नमेंट मिडिल स्कूल, रोहिणी (मिडिल स्कूल, रोहिणी) - स्कूल में 211 छात्र हैं और आवश्यक 20 शिक्षकों के विरुद्ध केवल आठ शिक्षक (60 प्रतिशत की कमी) तैनात थे। स्कूल में आठ गैर-शिक्षण कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या है, लेकिन आया और बस परिचारक के पद 2017-18 से खाली हैं।

ग) जीएसएसएसबीबी- स्कूल में 100 छात्रों की क्षमता के विरुद्ध 131 छात्र हैं, जबकि 22 शिक्षकों की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध केवल 13 शिक्षक (नियमित-6, संविदा -4 और आउटसोर्स/गेस्ट-3)(40 प्रतिशत की कमी) उपलब्ध थे। चूंकि यह एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसलिए विभिन्न विषयों के लिए विशेष शिक्षकों की उपलब्धता महत्वपूर्ण थीं। हालांकि, गणित, विज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी, संगीत, शिल्प और हिंदी के शिक्षक नहीं थे।

घ) मानसिक रूप से मंद बुद्धि बच्चों के लिए स्कूल (एसएमआरसी), मयूर विहार में 50 छात्रों की क्षमता के विरुद्ध 54 छात्र हैं। दो टीजीटी शिक्षक एवं एक बेसिक शिक्षक के स्वीकृत पद थे और सभी तीनों स्वीकृत पद वर्ष 2017-18 से रिक्त थे। नियमित बेसिक शिक्षक के बदले एक गेस्ट शिक्षक कार्यरत था। अन्य कर्मचारी की भी कमी थी क्योंकि (2020-21 के दौरान) 9 की स्वीकृत संख्या में से केवल एक व्यक्ति को तैनात किया गया था। यह भी देखा गया कि चपरासी, आया, चौकीदार, रसोइया और हेल्पर के पद 2017-18 से खाली हैं।

पर्याप्त शिक्षण और अन्य कर्मचारियों का अभाव स्कूलों में दिव्यांग बच्चों की उचित शिक्षा के लिए नुकसानदेह है। उनके शैक्षिक विकास को सीमित करने एवं सहायक कर्मचारियों का अभाव भी बच्चों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने में

कठिनाइयाँ पैदा करती है। स्कूलों में आया का अभाव छात्राओं के लिए समस्याएँ पैदा करती है, जिन्हें किसी मदद की आवश्यकता होने पर महिला शिक्षकों पर निर्भर रहना पड़ सकता है। इनमें से कई बच्चों की विशेष जरूरतें हैं। एसएमआरसी में कर्मचारियों की कमी को भी दिव्यांग जनों के राज्य आयुक्त द्वारा फरवरी 2021 की अपनी अवलोकन प्रतिवेदन में इंगित किया गया था, लेकिन स.क.वि. द्वारा उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई (सितंबर 2021)। स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि इन रिक्त पदों को भरने के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को मांग-पत्र भेजा गया है।

#### (v) स्कूल प्रबंधन समिति का गठन न होना

दिल्ली के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 3 के अनुसार, प्रत्येक स्कूल में कम से कम 16 सदस्यों वाली एक स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) का गठन किया जाना था, जिसमें 75 प्रतिशत सदस्य छात्रों के माता-पिता या अभिभावकों में से होने थे। दिव्यांगों के लिए विशेष स्कूलों में ऐसी समिति बच्चों के सामने आने वाली विभिन्न कठिनाइयों को दूर करने में एक लंबा रास्ता तय करेगी। हालांकि, यह देखा गया कि समिति का गठन केवल चयनित चार विशेष स्कूलों में से एक (मिडिल स्कूल, रोहिणी) में किया गया था, वह भी जुलाई 2021 में।

जवाब में, स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि एसएमसी की स्थापना दो स्कूलों अर्थात् लेडी नॉयस स्कूल और एसएमआरसी मयूर विहार में की गई है और शेष स्कूलों में एसएमसी स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है।

#### (vi) अपर्याप्त आईटी सिस्टम और कम्प्यूटर

चार चयनित स्कूलों में से तीन में केवल एक कम्प्यूटर सिस्टम था जो कि कार्यालय के काम के अलावा दिव्यांग छात्रों के लिए आईटी सिस्टम और प्रौद्योगिकी को सुलभ बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था। लेडी नॉयस स्कूल में 528 छात्रों के लिए चार इंटरनेट टर्मिनल थे। इसके अतिरिक्त, एसएमआरसी का कम्प्यूटर लंबे समय से काम नहीं कर रहा था। इसलिए, इन तीन स्कूलों में दिव्यांग छात्रों के पास कम्प्यूटर या आईटी सिस्टम तक पहुंचने के कौशल के बारे में वस्तुतः कोई अनुभव नहीं था। स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि लेखापरीक्षा अवलोकन को भविष्य में अनुपालना हेतु नोट कर लिया गया है।

#### (vii) वर्दी और किताब सब्सिडी के भुगतान में विलंब

वर्दी और किताब सब्सिडी वाक् एवं श्रवण बाधित छात्रों को किताबें और वर्दी की खरीद के लिए भुगतान किया जाता है। चूंकि शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत में

किताबें और वर्दी की आवश्यकता होती है, इसलिए सब्सिडी का समय पर भुगतान महत्वपूर्ण है। लेखापरीक्षा ने, 2018-19 को छोड़कर, छात्रों को इस सब्सिडी की प्रक्रिया और भुगतान में विलंब पाया। शैक्षणिक वर्ष 2017-18 के लिए सब्सिडी का भुगतान अगस्त 2018 में किया गया था जबकि वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए सब्सिडी का भुगतान केवल मार्च 2021 में किया गया था। सब्सिडी के भुगतान में विलंब से छात्रों को किताबें और वर्दी खरीदने में मदद करने के उद्देश्य को विफल कर दिया।

स.क.वि. ने अपने जवाब (जनवरी 2022) में कहा कि 2017-18 में सब्सिडी के भुगतान में विलंब कई छात्रों के दिल्ली से बाहर रहने और उनके खातों की अनुपलब्धता के कारण था। 2020-21 में हुई विलंब को बैंक में पीएफएमएस खाता खोलने के अलावा खातों में त्रुटि और छात्रों के डेटा में तकनीकी समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। दिसम्बर 2021 में राशि संवितरण की प्रक्रिया चल रही थी। तथ्य यह है कि किसी भी छात्र को समय पर सब्सिडी का भुगतान नहीं किया गया। जवाब में, 2019-20 के लिए सब्सिडी के भुगतान में विलंब का कोई कारण नहीं बताया गया।

#### (viii) सुरक्षित पेयजल और शौचालय की अनुपलब्धता

नमूना जांच किए गए चार में से तीन स्कूलों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं था। लेडी नॉयस स्कूल में तीन वाटर प्यूरीफायर और वाटर कुलर लगाए गए थे, लेकिन फरवरी 2021 में स्कूल खुलने के बाद से उनमें से कोई भी काम नहीं कर रहा था। भवन की पहली मंजिल में कार्यरत मिडिल स्कूल, रोहिणी में पीने के पानी की अपनी व्यवस्था नहीं थी और मजबूरन छात्र भवन के भूतल पर लगे वाटर कूलर का उपयोग करने को बाध्य थे। जीएसएसएसबीबी में भी पीने का साफ पानी नहीं था क्योंकि प्यूरीफायर सिस्टम काम नहीं कर रहा था।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि चार चयनित विशेष स्कूलों में से किसी में भी दिव्यांग बच्चों के लिए अनुकूल शौचालय उपलब्ध नहीं थे।

स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) की लेखापरीक्षा अवलोकन को भविष्य में अनुपालन हेतु नोट कर लिया गया है।

#### (ix) गंदा और अस्वच्छ स्कूल परिसर

यह पाया गया, कि नमूना जांच किए गए सभी चार विशेष स्कूलों में परिसर गंदा और अस्वच्छ स्थिति में था।

लेडी नॉयस स्कूल परिसर में, जिसमें लड़कों और लड़कियों के छात्रावास भी हैं, स्कूल के परिसर में निर्माण अपशिष्ट और कूड़ा-कचरा पड़ा हुआ था। यहाँ

मलबा के चारों ओर जंगली पेड़-पौधे और झाड़ियाँ थीं, जो सांपों से ग्रसित थीं। स्कूल परिसर में बाहर निकले हुए लोहे की छड़ों के साथ गड़ढ़े थे, क्योंकि कुछ निर्माण बीच में ही छोड़ दिया गया था। यह विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए एक संभावित खतरा है।

चित्र 1: लेडी नॉयस स्कूल परिसर में जंगली पेड़-पौधे और कूड़ा-कर्कट



मिडिल स्कूल, रोहिणी, लेखापरीक्षा के दौरान विद्यालय परिसर सीवर के पानी से भरा हुआ पाया गया, जो मुख्य सड़क में सीवर की रूकावट के कारण बताया गया। इसके अतिरिक्त, विद्यालय भवन के मुख्य प्रवेश द्वार कर्मचारियों और भवन में छः अन्य सार्वजनिक कार्यालयों के बाहरी लोगों/आगंतुकों द्वारा पार्क किए गए वाहनों से अवरूद्ध पाया गया।

जीएएसएसबीबी में कई स्थानों पर विद्यालय और छात्रावास परिसर के अंदर फेंके गए पुराने गद्दे और कूड़ा-कर्कट के कारण गंदगी थी, जिससे दुर्गंध आ रही थी और स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा हो गया था। छात्रावास का परिसर बहुत गंदा था, तथा सीढ़ियाँ और दीवारें पान और गुटखे के थूक से गंदी थीं। स्कूल परिसर में कूड़ेदान/डस्टबिन नहीं थे।

एसएमआरसी को विद्यालय भवन के पीछे हॉल की छत और खेल के मैदान पर जलजमाव की समस्या का सामना करना पड़ रहा था, जिससे यह अस्वच्छ हो गया था। 2018-19 से 2020-21 के दौरान एसएमआरसी द्वारा लोक

निर्माण विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. और स.क.वि. को कई पत्र लिखे गए लेकिन इन मुद्दों के समाधान के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।

स.क.वि. ने जवाब दिया (जनवरी 2022) कि लेखापरीक्षा के दौरान भारी बारिश हुई थी जिसके कारण उस क्षेत्र में जल जमाव हो गया था जो एमसीडी द्वारा अवरोध खोले जाने के बाद निकला। हालांकि, परिसर में पड़े हुए निर्माण कचरे, झाड़ियों, पुराने गद्दे और अन्य कचरे के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया।

**(x) दिव्यांग छात्रों के लिए परिवहन सुविधा की अनुपलब्धता/कम उपलब्धता**

दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 16 (viii) के अनुसार, सरकार द्वारा वित्त पोषित या मान्यता प्राप्त सभी शैक्षणिक संस्थान दिव्यांग बच्चों को परिवहन की सुविधा प्रदान करेंगे। चार चयनित विशेष विद्यालयों में से जीएसएसएसबीबी पूर्णतः आवासीय था। लेडी नॉयस विद्यालय कक्षा में आने के लिए केवल पांचवीं कक्षा तक के छात्रों को परिवहन की सुविधा प्रदान करता है और छठी से बारहवीं कक्षा के छात्रों को यह सुविधा नहीं है। मध्य विद्यालय, रोहिणी में तीन बसों की आवश्यकता के विरुद्ध 211 छात्रों के परिवहन के लिए केवल एक बस है, जिसके कारण केवल प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थियों को परिवहन सुविधा प्रदान की गई थी।

अपने जवाब में, स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि यदि मध्य विद्यालय, रोहिणी के विद्यार्थियों के माता-पिता परिवहन सुविधा के लिए विद्यालय से पहल करें तो स्कूल बसें उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेडी नॉयस विद्यालय के संबंध में कहा गया कि मामला सक्षम प्राधिकारी को भेज दिया गया है और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिनियम के अनुसार परिवहन सुविधा उपलब्ध कराया जाना आवश्यक था।

**(xi) स्कूलों में शिक्षण सहायक सामग्री की अनुपलब्धता**

अधिनियम की धारा 17 (जी) के तहत समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले विशिष्ट उपायों के हिस्से के रूप में, सरकार को दिव्यांग छात्रों को 18 साल के उम्र तक मुफ्त में किताबें, अन्य शिक्षण सामग्री और उपयुक्त सहायक उपकरण प्रदान करना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि लेडी नॉयस विद्यालय में समूह श्रवण यंत्र काम नहीं कर रहा था जबकि मध्य विद्यालय, रोहिणी में उपकरण उपलब्ध नहीं था। इसके अतिरिक्त, जीएसएसएसबीबी कॉम्प्लेक्स में प्रभावी शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षण सामग्री और उपकरण उपलब्ध नहीं थे। स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि अवलोकन का भविष्य में अनुपालन करने हेतु नोट कर लिया गया है।

**(xii) स्कूलों में भीड़भाड़**

नमूना जांच किए गए चार विशिष्ट विद्यालयों में से तीन में बच्चों की अधिक भीड़ थी। एसएमआरसी में वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान 50 की क्षमता के मुकाबले 54 से 65 के बीच छात्र थे और इसलिए, उन्होंने इस अवधि के दौरान बच्चों के नए प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित नहीं किए। स्कूल की ओर से कहा गया कि तब भी जो स्कूल में दाखिले के लिए आते थे उन्हें योग्यता के आधार पर ही माना जाता, इस प्रकार सभी दिव्यांग छात्रों को जगह की कमी के कारण प्रवेश नहीं दिया गया।

जीएसएसएसबीबी में वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान 100 की क्षमता के मुकाबले 121 से 153 छात्र थे। इसी तरह, मध्य विद्यालय, रोहिणी में, उक्त अवधि के दौरान 180 की क्षमता के मुकाबले छात्रों की संख्या 211 से 236 के बीच था।

इस प्रकार, शिक्षा की आवश्यकता वाले सभी दिव्यांगजनों के लिए विद्यालय के पास पर्याप्त क्षमता नहीं था।

जहाँ तक एसएमआरसी का संबंध है, स.क.वि. द्वारा कहा गया (जनवरी 2022) कि अवलोकन को भविष्य में अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है। यह भी कहा गया है कि सेवा कुटीर विद्यालय में अधिक जगह बनाने के लिए विद्यालय और हॉस्टल को अब अलग-अलग कर दिया गया है।

**(xiii) शिक्षा विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के लिए विशेष शिक्षकों की नियुक्ति में देरी**

अधिनियम की धारा 16 में प्रावधान है कि सरकार द्वारा वित्त पोषित या मान्यता प्राप्त सभी शैक्षणिक संस्थान दिव्यांग बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करेंगे। शिक्षा निदेशालय (शि.नि.), रा.रा.क्षे.दि.स. ने अपने आदेश दिनांक 4 जून 2018 के माध्यम से सरकारी विद्यालयों के प्रमुखों और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि विशेष शिक्षा के लिए शिक्षक (एसईटी) समावेशी शिक्षा से संबंधित कार्य में लगे हुए हैं। डब्ल्यूपी(सी) सं. 6771/2008 के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी स्कूलों को छः महीने के भीतर दिल्ली के प्रत्येक स्कूल में दो विशेष शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था (16 सितम्बर 2009)।

शि.नि. से उनके अधीन विद्यालयों की कुल संख्या और इन स्कूलों में तैनात एसईटी की संख्या उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। जवाब में,

शि.नि. ने 2020-21 के दौरान सरकारी विद्यालयों में एसईटी की रिक्ति की स्थिति प्रस्तुत की जिसका विवरण तालिका-2.5.5. में दिया गया है।

**तालिका-2.5.5: 2020-21 में शि.नि. के अंतर्गत विद्यालयों में एसईटी की रिक्ति की स्थिति**

विद्यालयों की श्रेणी	स्वीकृत पद	पदस्थापित व्यक्ति	रिक्ति (प्रतिशतता)
प्राथमिक	शून्य	शून्य	लागू नहीं
माध्यमिक	1757	721	1036 (59)
सीनियर सेकेंडरी	301	0	301 (100)

स्रोत: शिक्षा निदेशालय रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

जैसा कि देखा जा सकता है कि प्राथमिक और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में कोई एसईटी नहीं था जबकि सेकेंडरी स्कूलों में एसईटी के 59 प्रतिशत पद 2020-21 की अवधि में खाली पड़े थे। इस प्रकार, शि.नि. उच्च न्यायालय के विशिष्ट निर्देशों के बावजूद अधिनियम के तहत परिकल्पित उनके अधीन विद्यालयों के दिव्यांग छात्रों को समावेशी शिक्षा प्रदान करने में विफल रहा।

शि.नि. ने कहा (अक्टूबर 2021) कि 450 प्राथमिक शिक्षक (एसईटी) बनाने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। जहां तक प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी)- एसईटी का संबंध है, यह कहा गया है कि टीजीटी-एसईटी के 978 पदों की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा के परिणाम प्रतीक्षित था। इसके अतिरिक्त, 268 टीजीटी-एसईटी को जनवरी 2021 में (स्नात्कोत्तर शिक्षक) (पीजीटी)-एसईटी के रूप में पदोन्नत किया गया था।

**2.5.11.2 दिव्यांग छात्रों के लिए अपर्याप्त छात्रावास सुविधाएँ**

**(i) दिव्यांग छात्रों के लिए खराब स्थिति के छात्रावास**

दिव्यांग छात्रों के लिए समाज कल्याण विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा संचालित और प्रबंधित चार छात्रावास<sup>15</sup> हैं। दो लेडी नॉयस स्कूल में एक लड़कों के लिए और एक लड़कियों के लिए तथा दो सेवा कुटीर परिसर में एक सेवा कुटीर स्कूल के छात्रों के लिए और एक कॉलेज जाने वाले दृष्टिबाधित लड़को के लिए। लेखापरीक्षा ने छात्रावास प्राधिकारियों के साथ इन छात्रावासों का संयुक्त निरीक्षण किया। पायी गई कमियाँ आगामी पैराग्राफ में दी गई हैं।

<sup>15</sup> कॉलेज जाने वाले नेत्रहीन छात्रों (लड़कों) के लिए छात्रावास, सेवा कुटीर, नेत्रहीन लड़कों के लिए सरकारी सीनियर सैकेण्डरी स्कूल में छात्रावास सेवा कुटीर (एचजीएसएसएसबी), सरकारी लेडी नॉयस सीनियर सैकेण्डरी स्कूल में मूक बधिर लड़कियों के लिए छात्रावास (जीएचजीएलएनएस) सरकारी लेडी नॉयस सीनियर सैकेण्डरी स्कूल में मूक बधिर लड़कों के लिए छात्रावास (बीएचजीएलएनएस)।

लेडी नॉयस स्कूल में लड़कों और लड़कियों के छात्रावास दिव्यांग छात्रों के लिए पूरी तरह से सुलभ नहीं थे क्योंकि उनके लिए इनमें सुलभ मार्ग, सुगम पार्किंग और सुलभ रिसेप्शन तथा ऊपरी मंजिलों के लिए सुलभ लिफ्ट नहीं थी। छात्रावास के दोनों भवन रिसने, टूटी हुई टाइलें, टूटे खिड़की के शीशे, छीलने वाले प्लास्टर आदि से जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थे।

**चित्र 2: लेडी नॉयस स्कूल में लड़कों और लड़कियों के छात्रावास की जर्जर स्थिति**





लड़कों के छात्रावास में शौचालय पिछले दो वर्षों से उपयोग करने लायक नहीं थे और वहां रहने वाले लड़कों को विद्यालय में अन्य स्थानों पर शौचालय का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया था। लड़कों के छात्रावास में पीने का पानी भी नहीं था और छात्रों को लड़कियों के छात्रावास से पानी लेना पड़ता था। लड़कियों के छात्रावास में रसोईघर चालू नहीं था क्योंकि कोई रसोइया नहीं था और भोजन लड़कों के छात्रावास के रसोईघर में बनाया जा रहा था। किसी भी छात्रावास में स्वागत कक्ष नहीं था।

जीएसएसएसबीबी एक आवासीय विद्यालय है और सभी छात्रों को एक ही भवन में छात्रावास में ठहराया जाता है। यद्यपि लोक निर्माण विभाग द्वारा अगस्त 2018 में भवन को असुरक्षित घोषित कर दिया गया था और छात्रावास अभी भी उसी भवन से संचालित हो रहा है। छात्रावास में पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं थी और बोटलबंद पानी उपलब्ध कराया जा रहा था। छात्रावास के लिए कोई नियमित वार्डन नहीं था। इसके अतिरिक्त, छात्रावास में भी 100 की क्षमता के मुकाबले 131 छात्रों की भीड़ भाड़ थी। भीड़ भाड़ के कारण, आठ बच्चों जिन्हें प्रवेश दिया गया था, उनके माता-पिता

को एक हलफनामा देना पड़ा था कि वे छात्रावास की सुविधाओं का दावा नहीं करेंगे। कॉलेज जाने वाले नेत्रहीन छात्रों के छात्रावास सेवा कुटीर किंग्सवे कैंप की इमारत में पपड़ी वाले प्लास्टर, टूटी हुई टाइलें, सीपेज, कंक्रीट की छत में खुली हुई और जंग लगी स्टील की छड़ें, विकृत छत आदि से खराब स्थिति में थी जैसा कि चित्र-3 में दिखाया गया है।

**चित्र 3: कॉलेज जाने वाले नेत्रहीन छात्रों (लड़कों) के लिए हॉस्टल सेवा कुटीर, किंग्सवे कैंप**



छात्रों की संख्या भी 100 की क्षमता से थोड़ा अधिक था। छात्रावास में सुलभ मार्ग, सुलभ पार्किंग, सुलभ कॉरिडोर, सुलभ शौचालय आदि नहीं थे। इसके अतिरिक्त, छात्रावास में शौचालय टूटे हुए थे, जिनमें से कई मरम्मत के अभाव में अनुपयोगी थे। शौचालय परिसर का दरवाजा गेट के सामने फर्श के ऊपर पानी की पाइपलाइनों द्वारा बाधित था, जिससे यह छात्रों के लिए संभावित रूप से खतरनाक बना हुआ था। कम्प्यूटर कक्ष भी काम नहीं कर रहा था क्योंकि छत और दीवारें रिस रही थीं और बिजली के तार बहुत पुराने थे।



इस प्रकार, सरकार इन छात्रावासों में दिव्यांग छात्रों के लिए पीने के पानी, शौचालय की सुविधा, पूरी तरह से सुलभ भवन आदि जैसी बुनियादी आवश्यकता को भी सुनिश्चित नहीं कर सकी।

विभाग ने जवाब दिया (जनवरी 2022) कि वे दिव्यांगों को भवन सुलभ कराने की प्रक्रिया में हैं। तथ्य यह है कि ये बच्चे शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, सुविधाओं की कमी समस्याओं को और बढ़ा देते हैं और लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद ही कार्रवाई की जा रही है।

**(ii) कॉलेज जाने वाले दृष्टिबाधित लड़कों के लिए छात्रावास के निर्माण में विलम्ब**

सेवा कुटीर परिसर में कॉलेज जाने वाले दृष्टिबाधित लड़कों के लिए 100 बिस्तरों वाला छात्रावास दिसम्बर 2012 में स्वीकृत किया गया था। दृष्टिबाधित विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए अधिक छात्रावास की आवश्यकता को देखते हुए 2013-14 के बजट भाषण में भी दो नए छात्रावास, लड़कों और लड़कियों के लिए एक-एक छात्रावास निर्माण की घोषणा की गई थी। तदनुसार, कॉलेज जाने वाले नेत्रहीन छात्रों (लड़कों), किंग्सवे कैंप के लिए छात्रावास के निर्माण के लिए दिसम्बर 2014 में लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि), रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा ₹ 12.68 करोड़ का प्रारंभिक अनुमान प्रस्तुत किया गया था, जिसे प्रशासनिक स्वीकृति और व्यय स्वीकृति (एएण्डईएस) की प्राप्ति के दस महीने के भीतर पूरा करने के लिए निर्धारित किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि दो अवसरों (नवम्बर 2015 और जनवरी 2019) में रा.रा.क्षे.दि.स. के वित्त विभाग की टिप्पणियों पर समय पर प्रतिक्रिया देने के लिए स.क.वि./लो.नि.वि की ओर से अत्यधिक देरी के कारण (एए एण्ड ईएस) जनवरी 2022 तक लंबित था। इस प्रकार, इस संबंध में निर्णय लेने के नौ वर्ष से अधिक समय के बाद भी कॉलेज जाने वाले दृष्टिबाधित लड़कों के लिए छात्रावास का निर्माण नहीं किया गया था।

स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि एक पत्र स्पष्टीकरण मांगते हुए प्रधान सचिव, लो.नि.वि. को भेजा गया है।

**(iii) कॉलेज जाने वाली दृष्टिबाधित लड़कियों के लिए छात्रावास के निर्माण में विलम्ब**

रा.रा.क्षे. दिल्ली में कॉलेज जाने वाली दृष्टिबाधित लड़कियों के लिए कोई छात्रावास नहीं है। लेखापरीक्षा ने देखा कि रा.रा.क्षे.दि.स. ने कॉलेज जाने वाली दृष्टिबाधित लड़कियों के लिए सेवा कुटीर परिसर में एक छात्रावास के निर्माण

की योजना बनाई थी (मई 2011), और बाद में साइट को बाल सदन, तिमारपुर में बदल दिया गया (सितम्बर 2012)। छात्रावास के निर्माण के लिए साइट पर मौजूदा पक्के ढाँचे को ध्वस्त करने के लिए सितम्बर 2013 में रा.रा.क्षे. दिल्ली के उपराज्यपाल की स्वीकृति प्रदान की गई थी। निर्माण कार्य लो.नि.वि., रा.रा.क्षे.दि.स. को सौंपा गया था और तैयार डिजाइन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिसम्बर 2013 में अनुमोदित किया गया था। इसके बाद, स.क.वि. और लो.नि.वि. को स्थानीय अधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने, अनुमान तैयार करने आदि में चार साल लग गए और ₹ 12.20 करोड़ की व्यय स्वीकृति जनवरी 2018 में जारी की गई। निर्माण कार्य 21 महीने के भीतर पूरा किया जाना था। अक्टूबर 2019 तक छात्रावास के निर्माण का केवल 50 प्रतिशत कार्य ही पूरा हो पाया था। इस प्रकार, 2011 में परियोजना शुरू होने के 10 साल बाद भी, कॉलेज जाने वाली दृष्टिबाधित लड़कियां दिल्ली में छात्रावास की सुविधा से वंचित थीं।

स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि कॉलेज जाने वाली दृष्टिबाधित लड़कियों के लिए छात्रावास का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा। हालांकि, तथ्य यह है कि स.क.वि. ने छात्रावास के निर्माण में 10 वर्ष से अधिक का समय लिया।

## 2.5.12 दिव्यांगजनों की सामाजिक सुरक्षा और पुनर्वास

### 2.5.12.1 दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए योजनाएं

#### (i) असंचालित योजनाएँ/योजनाएँ तैयार नहीं की गईं

धारा 24 के प्रावधानों के अनुसार दिव्यांगजनों को स्वतंत्र रूप से या समुदाय में रहने के योग्य बनाने के लिए पर्याप्त जीवन स्तर के अधिकारों की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के नियमन का प्रावधान है। इनमें अच्छी तरह रहने की स्थिति के साथ सामुदायिक केंद्र प्रदान करना, दिव्यांग जनों के लिए सुविधाएं जिनका कोई परिवार नहीं है या जिन्हें छोड़ दिया गया है या आश्रय/आजीविका के बिना हैं, उच्च सहायता आवश्यकताओं वाले दिव्यांग को देखभाल करने, वाला भत्ता आदि प्रदान करना शामिल हैं।

लेखापरीक्षा ने देखा कि रा.रा.क्षे.दि.स. के मुख्यमंत्री द्वारा दिव्यांगों के लिए छः कल्याण योजनाओं की घोषणा की गई थी, बजट भाषण 2019-20 में पांच और बजट भाषण 2020-21 में एक इन योजनाओं का विवरण तथा इन

योजनाओं के लिए 2019-20 और 2020-21 के बजट आवंटन का विवरण तालिका 2.5.6 में दिया गया है।

तालिका-2.5.6: योजनाओं का विवरण और बजट आवंटन

(₹ लाख में)

क्रम सं.	योजना का नाम	2019-20		2020-21	
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान
1	दिव्यांग जनों के लिए पुनर्वास और संबद्ध सेवाओं के लिए संस्थान की स्थापना	100.00	101.00	100.00	1.00
2	सुगम्य सहायक-दिव्यांग छात्रों के लिए गतिशीलता सुविधाओं के लिए योजनाएं	100.00	10.00	100.00	1.00
3	दिव्यांग छात्रों के लिए सावधि जमा	100.00	1.00	100.00	1.00
4	दिव्यांग माता-पिता की बेटी की शादी के लिए वित्तीय सहायता	100.00	10.00	100.00	1.00
5	भिखारियों, दिव्यांग जनों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कौशल विकास और पुनर्वास के लिए योजना	100.00	1.00	100.00	1.00
6	मुख्यमंत्री दिव्यांगजन पुनर्वास सेवा योजना	लागू नहीं	लागू नहीं	1000.00	100.00

स्रोत: योजना दस्तावेज, योजना विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

हालांकि, कोई व्यय नहीं किया गया तथा उपरोक्त योजनाएँ सितम्बर 2021 तक अक्रियाशील रही क्योंकि आवश्यक दिशा-निर्देशों और तौर-तरीकों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। बजट आवंटन भी अव्ययित रहा। इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि बच्चों सहित परित्यक्त/निराश्रित दिव्यांगों के लिए उच्च प्रोत्साहन आवश्यकताओं या सुविधाओं वाले दिव्यांगों को देखभाल-कर्ता भत्ता की कोई योजना नहीं थी। यह इंगित करता है कि रा.रा.क्षे.दि.स. दिव्यांगजनों को पर्याप्त जीवन स्तर प्रदान करने के लिए अपने दृष्टिकोण में बिलकुल भी गंभीर नहीं है जिससे वह स्वतंत्र रूप से सम्मान के साथ रह सके।

स.क.वि. ने जवाब, दिया (जनवरी 2022) कि उच्च प्रोत्साहन आवश्यकताओं वाले दिव्यांगों के लिए देखभालकर्ता भत्ते के घटक को मौजूदा वित्तीय सहायता योजना में सम्मिलित करने के लिए जनवरी 2021 में संशोधित योजना की अधिसूचना के माध्यम से एफएएस शाखा को भेजा गया है जो एफएएस शाखा के सक्रिय विचाराधीन है। तथापि, स.क.वि. ने ऊपर संदर्भित छः अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया।

## (ii) दिव्यांगों को वित्तीय सहायता स्वीकृत करने में विलम्ब

स.क.वि. के आदेश दिनांक 31 मार्च 2017 में निर्धारित किया गया था कि दिव्यांगों को वित्तीय सहायता की प्रक्रिया और स्वीकृति आवेदन प्राप्त होने के

45 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी I और II के दिव्यांगों को अभिलेखों की जांच के दौरान, यह पाया गया कि दिव्यांगों को पेंशन की स्वीकृति करने में 63 से 540 दिनों तक की बड़ी विलंब थी। (परिशिष्ट 2.6) 26 में से 13 मामलों में, लेखापरीक्षा के समय (जुलाई 2021) 381 से 1502 दिनों के विलम्ब के बाद भी पेंशन स्वीकृत की जानी थी। तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रा.रा.क्षे.दि.स. के पास दिव्यांगजनों की संख्या के बारे में सूचना नहीं थी तथा दिव्यांगजन को अपनी पेंशन के लिए आवेदन की आवश्यकता है इस प्रकार का अधिक विलंब अस्वीकार्य है। इस संबंध में विस्तार से जांच करने तथा इस प्रकार के विलंब के लिए जिम्मेदारी नियत किए जाने की आवश्यकता है।

स.क.वि.(जनवरी 2022) ने विलम्ब के लिए अपर्याप्त कर्मचारियों को जिम्मेदार ठहराया और कहा अवलोकन को भविष्य के अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है।

#### 2.5.12.2 दिव्यांगों के लिए आरक्षित रिक्तियों का बहुत बड़ा बैकलॉग

अधिनियम की धारा 33 (1) और 34 में प्रावधान है कि सरकार उन प्रतिष्ठानों में पदों की पहचान करेगी, जो प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान में रिक्तियों आरक्षित और नियुक्त के संबंध में बेचमार्क दिव्यांगों की संबंधित श्रेणी द्वारा धारित किए जा सकते हैं, कम से कम चार बेचमार्क दिव्यांगों से भरे जाने वाले पदों के प्रत्येक समूह में संवर्ग संख्या में रिक्तियों की कुल संख्या का चार प्रतिशत है। इस अधिनियम (दिसम्बर 2016) से पहले दिव्यांगों के लिए सभी प्रत्येक प्रतिष्ठान (अधिनियम 1995 की धारा 33) में तीन प्रतिशत आरक्षण था।

लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि राज्य आयुक्त ने 5 मई 2017 को रा.रा.क्षे.दि.स. के सभी प्रधान सचिवों/सचिवों/विशेष सचिवों को 25 फरवरी 2016 की स्थिति के अनुसार रिक्तियों (1996 से भरी गई रिक्तियों की संख्या, नियोजित दिव्यांग कर्मचारियों की संख्या और आरक्षित रिक्तियों के बैकलॉग आदि) का विवरण प्रस्तुत करने के लिए विशेष भर्ती अभियान आयोजित किया जाए, यदि इसे पहले ही शुरू नहीं किया गया हो और आरक्षित रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से भरा जाए। हालांकि, एससीपीडी ने फरवरी-दिसम्बर 2019 के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. के तीन विभागों को दिव्यांगों के लिए आरक्षित रिक्तियों के बैकलॉग को प्राथमिकता के आधार पर भरने के लिए कार्रवाई करने के आदेश जारी किए, विशेषतः विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से जैसा कि विवरण तालिका-2.5.7. में दिया गया है।

**तालिका-2.5.7: बैकलॉग रिक्तियों के विवरण**

क्रम. सं.	विभाग और निकायों का नाम	1996 से भरी गई रिक्तियां	दिव्यांगों से भरी गई रिक्तियां	दिव्यांगों की रिक्तियों का बैकलॉग (प्रतिशतता में)	बैकलॉग रिक्तियों को भरने का आदेश जारी किए गए
1.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	7991	70	333 (82.63)	31.12.2019
2.	समाज कल्याण	170	13	3 (18.75)	13.02.2019
3.	सेवा विभाग	5642	125	56 (30.93)	20.09.2019
		<b>13803</b>	<b>208</b>	<b>392 (65.33)</b>	

स्रोत: एससीपीडी द्वारा प्रदान की गई जानकारी

उपरोक्त में से, सेवा विभाग ने अक्टूबर 2019 में दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को एक अनुरोध भेजकर उनकी बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए पहले ही कार्रवाई कर दी थी। रा.रा.क्षे.दि.स. के अन्य सभी विभागों/निकायों ने जून 2021 तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की थी। यह दिव्यांगजनों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार को ओर से गंभीरता और इरादे की कमी और दिव्यांगजनों द्वारा रोजगार की समस्याओं के प्रति अंशवेदनशीलता को इंगित करता है।

स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि विभाग में दिव्यांगों के लिए आरक्षित रिक्तियों की कोई बैकलॉग नहीं है। जवाब समग्र रूप से रा.रा.क्षे.दि.स. में रिक्तियों के बैकलॉग के मुद्दे को संबोधित नहीं करता है क्योंकि अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग होने के नाते, स.क.वि. सभी सरकारी विभागों में दिव्यांग कर्मचारियों के निर्धारित प्रतिशत को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।

**2.5.12.3 हाफ वे/लॉग स्टे होम्स में कमियां**

हाफ वे और लॉग स्टे होम्स का उद्देश्य मानसिक रूप से सुधारे हुए रोगियों के सामाजिक समन्वय और सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास प्रदान करना है (1-2 साल की अवधि के लिए कैदियों के ठहरने हेतु हाफवे होम और विस्तारित अवधि के लिए लॉग स्टे होम) और समुदाय द्वारा भेजे गए लगभग 100 सुधरे हुए रोगियों को डे केयर प्रदान करना है। ये 2011 में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार तैयार किए गए थे। मार्च 2021 तक दो भवनों में से तीन गृह नव किरण । और II (महिलाओं के लिए दो घर) सेक्टर 3, रोहिणी तथा नव चेतना (पुरुष के लिए), सेक्टर 22, रोहिणी कार्य कर रहे थे। मार्च 2021 तक, नव किरण । और II की संयुक्त संख्या 80 की क्षमता के विरुद्ध 76 थी और नव चेतना के मामलों में, संख्या 25 की क्षमता के विरुद्ध 14 थी।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान इन तीनों गृहों की संख्या क्षमता से कम थी। लेखापरीक्षा ने इन गृहों के कामकाज में विभिन्न कमियों को देखा जैसा कि अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

**(i) गृहों का खराब रखरखाव**

**(ए) गैर कार्यात्मक लिफ्ट:** निर्माण के समय प्रत्येक भवन में एक लिफ्ट लगाई गई थी। इनमें से कोई कार्य नहीं कर रही थी। चूंकि कुछ वृद्ध (नव किरण और नव चेतना) गतिशीलता की समस्याओं जैसे गठिया, घुटने का दर्द, शरीर में दर्द आदि से ग्रसित हैं ऐसे रोगियों द्वारा एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ियों का उपयोग चोटों और दुर्घटना के जोखिम से भरा है।

**(बी) अग्निशमन उपकरण का कार्य न करना:** गृहों में आंतरिक अग्नि शमन उपकरण लगे थे, लेकिन ये काम करने की स्थिति में नहीं थे।

**(सी) गैर-कार्यात्मक सौर जल तापन प्रणाली:** इन गृहों में सौर जल तापन प्रणाली स्थापित की गई थी, लेकिन ये पिछले तीन वर्षों से काम नहीं कर रहे थे। चूंकि वॉशरूम में गीजर सिस्टम नहीं हैं, इसलिए निवासी सर्दी के मौसम में या तो ठंडे पानी का उपयोग करते हैं या हीटिंग रॉड से गर्म किया हुआ पानी का उपयोग करते हैं।

**(डी) विद्युतीय खराबी:** दोनों भवनों में विद्युत के तार और स्विच अच्छी स्थिति में नहीं थे क्योंकि पिछले तीन वर्षों (जुलाई 2021 तक) से किसी भी एजेंसी द्वारा गृहों का रखरखाव नहीं किया गया था। बार-बार तार और स्वीच में खराबी के कारण, कई कमरों में पंखे, कूलर और लाइट काम नहीं कर रहे थे, जिससे अत्यधिक गर्मी और सर्दियों के मौसम में निवासियों को कठिनाई हो रही थी।

**(इ) खाना पकाने की व्यवस्था की अनुपलब्धता:** नव चेतना होम, सेक्टर-22, रोहिणी के संबंध में पाईप से गैस आपूर्ति कनेक्शन उपलब्ध नहीं होने के कारण गृह के भीतर खाना नहीं बन रहा था। दोपहर का भोजन और रात का खाना नव किरण होम (सेक्टर 3, रोहिणी) से लाया जा रहा था तथा नाश्ते और चाय की व्यवस्था विद्युत हीटर के माध्यम से की जा रही थी।

**(एफ) जलजमाव व अवरोधित शौचालय:** नव चेतना होम में भवन के बाहर जलजमाव था। भवन के बेसमेंट में भी जलजमाव (3 इंच से अधिक) देखा गया, जो बुनियादी ढांचे की कमजोरी है। इसके अतिरिक्त, अधिकांश शौचालय अवरूद्ध पाए गए, जो नव चेतना होम में अस्वच्छ स्थिति का कारण है।

(जी) टूटा हुआ/अप्रयुक्त उपकरण: नव चेतना होम के लिए जून 2018 में पानी के तीन डिस्पेंसर खरीदे गए जो जनवरी 2020 से काम नहीं कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, दो टेलीविजन थे जो काम नहीं कर रहे थे। कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण निवासियों के लिए खरीदे गए जिम उपकरण जैसे ट्रेडमिल और संबंधित उपकरण, योग आइटम और फिजियोथेरेपिस्ट उपकरण आदि बेकार पड़े थे।

उपरोक्त के अतिरिक्त, उप निदेशक (दिव्यांगता) ने नव किरण I और II के निरीक्षण (जुलाई 2019) के दौरान यह भी देखा गया कि निवासियों की सुरक्षा के लिए दूसरी और तीसरी मंजिल की छत पर रेलिंग की ऊंचाई बढ़ाकर सात फीट करने की आवश्यकता है।

जवाब में, स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि हाफवे होम की रखरखाव के लिए डीएसआईआईडीसी से प्राप्त आकलन विचाराधीन है। हालाँकि, स.क.वि. को नियमित रूप से रखरखाव से संबंधित मुद्दों का समाधान करने और निवासियों के लिए स्वस्थ और सुरक्षित रहने की स्थिति सुनिश्चित करने की तत्काल जरूरत है।

#### (ii) क्लीनिकल स्टाफ की कमी

नव चेतना होम में कोई नियमित मनोचिकित्सक, सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी, क्लीनिकल साइकोलॉजिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट नहीं था। इसके अतिरिक्त 2020-21 के दौरान होम में फिजियोथेरेपिस्ट भी उपलब्ध नहीं था। जहां मनोचिकित्सक और जीडीएमओ सप्ताह में एक बार होम विजिट करते थे, वहीं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिक सोशल वर्कर इस होम में सप्ताह में क्रमशः दो और तीन बार विजिट करते थे। होम, समुचित कर्मचारियों के अभाव में निवासियों को अपेक्षित सेवाएं निरंतर प्रदान करने की स्थिति में नहीं था।

स.क.वि. ने जनवरी 2022 के अपने जवाब में कहा कि जरूरत के अनुसार आशाकिरण/होम में नियमित आधार पर चिकित्सक, पैरा-चिकित्सक एवं अन्य चिकित्सक को पदस्थापित किया गया है और रोस्टर भी लागू है जिसके तहत नव चेतना सहित सप्ताह के विशिष्ट दिनों में क्लीनिकल एवं पैरा-मेडिकल स्टाफ की प्रतिनियुक्ति की जाती है।

#### 2.5.12.4 बौद्धिक रूप से दिव्यांग जनों के लिए होम का खराब प्रबंधन

स.क.वि. बौद्धिक अक्षमता (आशा किरण परिसर, रोहिणी, आशा दीप, नरेला और आशा ज्योति, हरि नगर) वाले जनों की देखभाल के लिए तीन होम चला

रहा है। नमूना जांच की गई आशा किरण एवं आशा दीप की कार्यप्रणाली में कमियों की चर्चा आगामी पैराग्राफों में की गई है।

**(i) आवास में अति भीड़**

संस्थानों और सेवाओं के पदाधिकारियों के लिए स.क.वि. की मैनुअल के पैरा 3.6 में निर्धारित किय गया कि प्रत्येक संस्थान/सेवा में निवासियों/लाभार्थियों की संख्या/सामर्थ्य को उसके कामकाज को सही ठहराने के लिए उसके इष्टतम स्तर तक बनाए रखा जाना चाहिए। आशा किरण परिसर सभी आयु वर्गों और लिंग में से गहन बौद्धिक हानि वाले निराश्रित जनों के लिए एक आवासीय होम है। परिसर में व्यस्क पुरुष, व्यस्क महिला, बाल पुरुष और बाल महिला निवासियों को समायोजित करने वाले चार होम हैं, जो 1989 से कार्य कर रहे हैं। अगस्त 2021 तक, परिसर में इसकी डिजाइन क्षमता 570 के मुकाबले 971 निवासी थे। परिसर के संयुक्त निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि अति भीड़ के कारण 53 निवासी एक कुटीर छात्रावास में रहने को मजबूर थे। हालांकि परिसर का संचालन परिषद अपनी बैठकों में होम की अति भीड़ का उल्लेख करता रहा है, स.क.वि. ने अधिक क्षमता सृजित करने और परिसर में भीड़ कम करने के लिए कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की।

स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि निवासियों को आशा किरण से आशा दीप और आशा ज्योति में स्थानांतरित करके भीड़-भाड़ की समस्या का समाधान किया जा रहा है जब रहने वालों की संख्या स्वीकृत संख्या से कम हो जाती है। इसके अतिरिक्त निवासियों को महिला एवं बाल विकास विभाग के एक कामकाजी महिला छात्रावास में स्थानांतरित करने, आशा किरण में नए भवन के निर्माण और लामपुर में एक नए परिसर के निर्माण के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। भीड़-भाड़ की सीमा को ध्यान में रखते हुए, कुछ निवासियों को अन्य घरों में स्थानांतरित करने से आवास की आवश्यकता और उपलब्धता के बीच भारी अंतर को दूर नहीं किया जा सकेगा।

**(ii) नियमित रसोइया और आहार विशेषज्ञ की कमी**

महिला रसोई में निवासियों के लिए खाना पकाने के लिए केवल एक नियमित रसोइया था। अन्यथा कुकिंग हेल्पर और हाऊस अंटी (महिलाओं की देखभाल करने वाली) निवासियों के लिए भोजन तैयार करती हैं। इसके अलावा आशा किरण परिसर के लिए कोई आहार विशेषज्ञ नियुक्त नहीं है, जहाँ 962 में से 552 गंभीर और गहन बौद्धिक अक्षमता के निवासी रहते हैं। आहार विशेषज्ञ और नियमित रसोइयों का अभाव अन्य कर्मचारियों पर अतिरिक्त बोझ डालती

है जिन्हें निवासियों को उचित पोषण सुनिश्चित करने विफल रहने के अलावा अपने कर्तव्यों से समझौता करना पड़ सकता है।

स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि रसोईयों की खाली पदों की भरने के लिए मांग दिल्ली अधिनस्थ सेवा चयन बोर्ड को भेजी जा चुकी है।

### (iii) मेडिकल, पैरा-मेडिकल व अन्य चिकित्सक स्टाफ की कमी

बौद्धिक रूप से कमजोर जनों की समग्र भलाई (शारीरिक और मानसिक) के लिए, आशा किरण परिसर के मेडिकल केयर यूनिट (एमसीयू) में पर्याप्त मेडिकल, पैरा-मेडिकल और अन्य चिकित्सक स्टाफ नियुक्त किया जाना चाहिए। ताकि उचित और पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जा सकें क्योंकि अधिकांश निवासी (जुलाई 2021 में 962 निवासियों में से 552 गंभीर और गहन बौद्धिक दुर्बलता के थे) बौद्धिक दुर्बलता के कारण अपनी समस्याओं की व्याख्या करने में सक्षम नहीं हैं। लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि परिसर में मेडिकल, पैरामेडिकल और अन्य चिकित्सक स्टाफ की भारी कमी थी। स्वास्थ्य देखभाल में विभिन्न संवर्गों के 125 कर्मचारियों की आवश्यकता के विरुद्ध, केवल 89 उपलब्ध थे, जो 29 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है (परिशिष्ट 2.7)। इसके अलावा, वास्तविक संख्या में शामिल कुछ लोग समय-समय पर घर आते रहते थे। स्टाफ की कमी के कारण ये मेडिकल स्टाफ कार्यालय का काम भी करते थे। इसी प्रकार 114 निवासियों के साथ आशा दीप परिसर में जीडीएमओ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ड्रेसर और नर्सिंग अर्दली के पद खाली पड़े थे औ 11 की आवश्यकता के विरुद्ध केवल आठ सहायक नर्स मिडवाइफ उपलब्ध थीं।

जवाब में, स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि स्टाफ की भर्ती प्रक्रियाधीन है।

### 2.5.13 दिव्यांगजनों को रोजगार के अवसर की सुविधा और समर्थन के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई

अधिनियम की धारा 19 (1) में परिकल्पना की गई है कि सरकार रोजगार की सुविधा और प्रोत्साहन के लिए विशेष रूप से उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार के लिए रियारती दरों पर ऋणों के प्रावधान सहित योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करेगी। दिल्ली अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक एवं दिव्यांग वित्त और विकास निगम लिमिटेड (निगम) को वित्तीय वर्ष 2002-03 में राष्ट्रीय दिव्यांग वित्तीय और विकास निगम (एनएचएफडीसी) के तहत दिव्यांगों को लोन के वितरण के लिए राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी (एससीए) के रूप में केंद्र सरकार की एक इकाई अधिसूचित किया गया था।

### 2.5.13.1 दिव्यांगजनों को लोन का नगण्य संवितरण

विभिन्न योजनाओं के तहत लोन की अधिकतम राशि ₹ एक लाख से 7.5 लाख तक थी। दिव्यांगों को लघु व्यवसाय स्थापित करने, वाहन खरीदने, उच्च व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने, इत्यादि के लिए लोन दिया जाता है और बड़ा व्यवसाय स्थापित करने के लिए बड़ा लोन दिया जाता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एनएचएफडीसी ने काल्पनिक रूप से निगम को 627 लाभार्थियों के लिए ₹ 384 लाख की राशि आवंटित की है जिसमें से केवल ₹ 33.50 लाख (कुल आवंटन का 8.72 प्रतिशत) पिछले चार वर्षों में 31 लाभार्थियों (लक्षित लाभार्थियों का 4.94 प्रतिशत) को संवितरित किया गया। जिसका विवरण तालिका-2.5.8 में दिया गया है।

#### तालिका: 2.5.8 आवंटित निधि और संवितरित लोन का विवरण

(₹ लाख में)

वर्ष	एनएचएफडीसी आवंटित तिथि		एनएचएफडीसी द्वारा जारी राशि	संवितरित राशि	लाभान्वित दिव्यांग की संख्या	उपलब्धि (प्रतिशतता) आवंटन के संबंध में	
	लाभार्थियों की संख्या	राशि				राशि के संदर्भ में	मामलों की संख्या के संदर्भ में
2017-18	211	105	11.10	7.95	5	7.57	2.37
2018-19	211	105	14.27	11.78	6	11.22	2.84
2019-20	124	93	20.0	9.77	13	10.50	10.48
2020-21	81	81	0	4.0	7	4.94	8.64
<b>कुल</b>	<b>627</b>	<b>384</b>	<b>45.37</b>	<b>33.50</b>	<b>31</b>	<b>8.72</b>	<b>4.94</b>

स्रोत: दिल्ली अ.जा./ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक एवं दिव्यांग वित्तीय विकास निगम राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि लोन आवेदन पर्याप्त नहीं थे। यह इंगित करता है कि निगम योजना को लागू करने में सक्रिय नहीं था और दिव्यांगजनों को विशेषरूप से उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार के लिए रोजगार की सुविधा और समर्थन का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

### 2.5.13.2 जागरूकता कार्यक्रम का अभाव

किसी भी कल्याणकारी योजना की सफलता योजना के बारे में लाभार्थियों की जागरूकता पर निर्भर करती है। इसलिए योजनाओं के तहत ऐसे लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकतम संख्या में दिव्यांगों को जुटाने के लिए लाभों का व्यापक प्रचार अनिवार्य हो जाता है। लेखापरीक्षा ने यह देखा कि या तो निगम या रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा पिछले चार वर्षों के दौरान कोई जागरूकता कार्यक्रम नहीं चलाया गया था। एससीपीडी ने स.क.वि. और निगम को दो महीने के भीतर योजनाओं के बारे में जागरूकता के लिए सीमांत धन<sup>16</sup> और निधि व्यवस्था तय करने का निर्देश दिया

<sup>16</sup> अपफ्रंट डाउन पेमेंट

था (दिसम्बर 2019) परन्तु अगस्त 2021 तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

जवाब में, निगम ने कहा (सितम्बर 2021) कि धन की अनुपलब्धता के कारण जागरूकता कार्यक्रम नहीं चलाया जा सका। इसके अलावा, स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि लोन योजना के लिए मार्जिन मनी घटक का अनुरोध विचाराधीन है।

जवाब सही नहीं है क्योंकि निगम 2017-18 और 2020-21 के बीच आवंटित धनराशि का केवल 8.72 प्रतिशत ही उपयोग कर सका।

### 2.5.13.3 लोन योजना “दिव्यांग क्षेत्र में काम कर रहे गैर सरकारी संगठनों को वित्तपोषित करना” का लागू न होना

एनएचएफडीसी ने एक लोन योजना आरंभ की थी (मई 2013) जिसे माइक्रो क्रेडिट स्कीम (एमसीएस) के रूप में जाना जाता है जिसमें दिव्यांगों के क्षेत्र में कार्य कर रहे गै.स.सं. को दिव्यांग जनों के लाभ के लिए आय सृजन गतिविधियों की स्थापना/विस्तार से सामाजिक उपक्रम बनाने हेतु लोन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आय सृजन गतिविधि की प्रकृति ऐसी होगी कि इसमें दिव्यांग सीधे तौर पर शामिल हों और आय दिव्यांगों के बीच वितरित की जाएगी। एक गै.स.सं. को लोन की अधिकतम राशि पांच लाख रुपये तक सीमित है। लेखापरीक्षा ने देखा कि गया कि निगम ने एम.सी.एस. को लागू नहीं किया जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि पिछले चार वर्षों (2017-18 से 2020-21) के दौरान इसके द्वारा एनएचएफडीसी के साथ स्कीम के लिए निधियों की कोई मांग नहीं की गई। इस योजना को लागू करने में विफलता दिव्यांगों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. की ओर से इरादे की कमी को दर्शाता है।

स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि निगम से इस योजना को प्रचारित करने का अनुरोध किया जाएगा ताकि गै.स.सं. को इसके बारे में जागरूक किया जा सके। जवाब इंगित करता है कि विभाग ने योजना को लागू करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की।

### 2.5.14 दिव्यांगों के कल्याण में लगे गै.स.सं. को अनुदान जारी करने में अत्यधिक देरी

अधिनियम की धारा 27 में प्रावधान है कि सरकार सभी दिव्यांगजनों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार आदि के क्षेत्रों में पुनर्वास की सेवाएं और कार्यक्रम चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों (गै.स.सं.) को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2017-18 से 2020-21 की अवधि को दौरान स.क.वि. द्वारा 15 गै.स.सं. को दिव्यांगों के कल्याण के लिए अनुदान (तीन किस्तों में) जारी किया गया था। पहली दो किस्तों में पिछले वर्ष जारी अनुदान का 50 प्रतिशत पिछले वर्ष के अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद जारी किया जाता है। तत्पश्चात्, पात्र अनुदान की मात्रा की गणना स.क.वि. द्वारा निरीक्षण और लाभार्थियों की संख्या के आधार पर की जाती है और अनुदान की शेष राशि तीसरी किस्त के रूप में जारी की जाती है। 15 गै.स.सं. में से छह का चयन लेखापरीक्षा के लिए किया गया था। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि स.क.वि. ने वर्ष 2020-21 के लिए किसी गै.स.सं. को सहायता अनुदान (स.अ.) जारी नहीं किया है। इसके अलावा, दो गैर सरकारी संगठनों (द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन, दिल्ली और मासूम फाउंडेशन, दिल्ली) के संबंध में कुल ₹ 4.87 लाख की सहायता अनुदान (स.अ.) की तीसरी किस्त और एक गै.स.सं. (एडब्ल्यूडब्ल्यूए आशा स्कूल दिल्ली) के संबंध में वर्ष 2019-20 के लिए ₹ 7.84 लाख का संपूर्ण स.अ. जनवरी 2022 तक जारी नहीं किया गया है।

स.अ. के भुगतान/गैर भुगतान में देरी ने इन गै.स.सं. की दिव्यांगों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने की क्षमता से समझौता किया।

गै.स.सं. को स.अ. के संवितरण/कम संवितरण में विफलता के परिणामस्वरूप भी बजट आवंटनों में 26 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच की श्रेणियों में भारी बचत हुई जिसका विवरण तालिका-2.5.9 में दिया गया है।

### तालिका-2.5.9: गै.स.सं. को स.अ. का संवितरण

(₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष	बजट आवंटन	संवितरित स.अ.	बचत	बचत का प्रतिशत
2017-18	75.00	37.29	37.71	50.28
2018-19	80.00	59.02	20.98	26.23
2019-20	89.00	15.80	73.20	82.25
2020-21	89.00	0.00	89.00	100

स्रोत: स.क.वि. रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्रदान की गई जानकारी

स.क.वि. ने कहा (अक्टूबर 2021/जनवरी 2022) कि स.अ. का संवितरण स.अ. समिति की अंतिम सिफिरिश पर निर्भर करता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में स.अ. का संवितरण नहीं होने का कारण था कि स.अ. की बैठक समय पर नहीं हो सकी क्योंकि नियमित उप-निदेशक चिकित्सकीय अवकाश पर थे। वित्त विभाग के माध्यम से विभिन्न शाखाओं से प्रस्ताव को स्थानांतरित करने के बाद, यह जनवरी 2022 तक वित्त विभाग में पड़ा हुआ था। हालांकि 2020-21 के लिए स.अ. समिति की बैठक 29 जून 2021 को हुई थी, प्रस्ताव वित्त विभाग को नहीं भेजा जा सका क्योंकि बजट अपर्याप्त

था और अतिरिक्त बजट आवंटन किया जाना बाकि था। यह भी कहा गया कि अवलोकनों को भविष्य के अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है। सख्त निगरानी और तय की गई जिम्मेदारियों के माध्यम से प्रशासनिक विलम्ब की जाँच की जानी चाहिए।

#### 2.5.15 गै.स.सं. को अल्प वित्तीय सहायता

रा.रा.क्षे.दि.स. “सामाजिक कल्याण संस्थानों/संगठनों को अनुदान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली नियम, 2008” के तहत सामाजिक कल्याण संस्थानों/संगठनों को स.अ. प्रदान करती है। नियमों के अंतर्गत आवर्ती व्यय पर स.अ. अनुमोदित मदों पर कुल व्यय का 90 प्रतिशत या ₹ 500 प्रति माह प्रति कैदी या सरकार द्वारा संशोधित जो भी कम हो, तक सीमित है। यह देखा गया है कि हालांकि ₹ 500 प्रति माह प्रति कैदी की सीमा 2008 में तय की गई थी और 12 साल से अधिक समय बीत चुका है, पर दर को संशोधित नहीं किया गया है। चूंकि जीवन यापन की लागत में वृद्धि हुई, इसलिए अधिकतम सहायता पर कैप की सीमा में संशोधन न करने से सरकार को अपने अनिवार्य कार्यों को पूरा करने में मदद करने वाले संस्थानों/संगठनों को पर्याप्त वित्तीय सहायता से वंचित रखा गया।

स.क.वि. ने अपने उत्तर में कहा (जनवरी 2022) कि दिल्ली अनुदान नियम, 2008 में सहायता बढ़ाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है और प्रक्रियाधीन है।

#### 2.5.16 आवास की वृद्धि और पुनर्वास के लिए अनुसंधान एवं विकास नहीं किया जाना

अधिनियम की धारा 28 में प्रावधान है कि सरकार उन मुद्दों जो आवास और पुनर्वास की बढ़ाएंगे और ऐसे अन्य मुद्दों जो दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है पर जनों और संस्थानों के माध्यम से अनुसंधान और विकास आरम्भ करेगी अथवा शुरू कर सकेगी। लेखापरीक्षा ने देखा कि विभाग ने अधिनियम के इन प्रावधानों के अनुसरण में कोई कार्रवाई नहीं की है।

स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि दिल्ली में संगठन इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार की योजना से सहायता प्राप्त कर रहे हैं और योजना के व्यापक प्रचार के लिए कार्रवाई शुरू की जा रही है। जवाब इस विषय पर शोध के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. के प्रयासों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी।

#### 2.5.17 दिव्यांगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण/कौशल विकास की खराब स्थिति

लेखापरीक्षा ने देखा कि विकलांगों के व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए केवल दो केंद्र, प्रशिक्षण-सह उत्पादन केंद्र (टीसीपीसी) और

शारीरिक रूप से विकलांग आश्रय कार्यशाला (एसडब्ल्यूपीएच) दोनों रमेश नगर में स्थित थे, यह दोनों केंद्र केवल पुरुषों के लिए हैं।

लेखापरीक्षा ने इन दोनों संस्थानों के अभिलेखों की जांच की और उनके कामकाज में कमियां पाईं। यो दोनों केंद्र दिल्ली के रमेश नगर स्थित 1-बी ब्लॉक के एक हॉल में चल रहे थे। समाज कल्याण विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. के अंतर्गत घरों, हाफवे/लॉन्ग स्टे हॉम्स, हॉस्टल आदि के निवासियों के लिए कपड़े की सिलाई का काम टीसीपीसी और एसडब्ल्यूपीएच में किया जाता था। प्रत्येक केंद्र में 50-50 प्रशिक्षुओं की स्वीकृति क्षमता है लेकिन इनमें से कोई भी संस्थान दिव्यांगों को प्रशिक्षण नहीं दे रहा था। इन संस्थानों में 3-4 दिव्यांग लंबे समय से दर्जी के रूप में काम कर रहे हैं और पिछले पांच वर्षों में उन्होंने कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है। साथ ही इन संस्थानों में दिव्यांगों को कौशल विकास का प्रशिक्षण देने के लिए कोई प्रशिक्षक नहीं था।

इस प्रकार, स.क.वि. ने दिव्यांगों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण पहलू को संबोधित करने के लिए कुछ नहीं किया जिससे उन्हें अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य रूप से स्वरोजगार में सक्षम बनाया जा सके। रा.रा.क्षे.दि.स. की ओर से निष्क्रियता दिव्यांगों के जीवन स्तर में सुधार में उनकी ओर से गंभीरता की कमी को दर्शाती है।

जवाब में, स.क.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि आईसीआईसीआई फाउण्डेशन के सहयोग से मानसिक रूप से बीमार महिलाओं के लिए नव किरण हाफ वे/लॉन्ग स्टे होम में और आशा किरण परिसर में भी 10 ट्रेड्स में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है यह भी कहा गया कि विभाग सन फाउण्डेशन के सहयोग से श्रवण बाधितों के लिए विशेष स्कूल के छात्रों को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। टीसीपीसी और एसडब्ल्यूपीएच के संबंध में यह कहा गया कि मूल्यांकन के बाद उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए एक व्यापक प्रस्ताव पेश किया जाएगा।

### 2.5.18 निष्कर्ष

दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम) को भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए समानता, गैर-भेदभाव, सामुदायिक जीवन, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास आदि के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (सरकार) के प्रयासों में कमी थी और लगभग सभी क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के अधिकारों को सुनिश्चित करने में गंभीर कमियां थी जहां दिव्यांगजनों को सरकार से कल्याणकारी उपायों की आवश्यकता थी, जैसे सामाजिक सुरक्षा,

स्वास्थ्य सुविधाएं, सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच, शैक्षणिक और रोजगार के अवसर आदि।

सरकार द्वारा अधिनियम के कार्यान्वयन में शुरू से ही गति का अभाव था क्योंकि राज्यों के नियमों की अधिसूचना और इस उद्देश्य के लिए संस्थानों जैसे राज्य सलाहकार बोर्ड, अनुसंधान समिति और जिला स्तरीय समितियों आदि के निर्माण में देरी हुई थी। सरकार के पास दिल्ली में दिव्यांगजनों की संख्या के बारे में कोई डेटा नहीं था क्योंकि उन्होंने दिव्यांगजनों (दि.ज.) की पहचान के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया था। इसके बजाय यह 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर था, जिसमें अधिनियम में सूचीबद्ध 21 प्रकार की अक्षमताओं में से केवल सात प्रकार की अक्षमताओं वाली जनसंख्या का डेटा था। इस प्रकार सरकार के पास दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों की योजना बनाने और तैयार करने के लिए आवश्यक डेटा नहीं था। निःशक्तता को प्रमाणित करने के लिए प्राधिकारियों को नामित करने में विलंब हुआ जिससे दिव्यांगजनों के लिए कल्याणकारी उपायों की उपलब्धता में विलंब हुआ।

दिव्यांग बच्चों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा सुविधाएं गुणवत्ता के साथ साथ मात्रा के मामले में अपर्याप्त थीं और शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएं शिक्षकों, आवासीय आवास, परिवहन सुविधा आदि की कमी से पीड़ित थीं। दिव्यांग बच्चों के लिए चार विशेष स्कूलों में से तीन के भवनों पर भी विभीन्न अन्य सरकारी कार्यालयों द्वारा कब्जा किया जा रहा था। इस वजह से इन स्कूलों में भीड़ भाड़ रही। एक अन्य स्कूल एक इमारत में चल रहा था जिसे लोक निर्माण विभाग ने असुरक्षित घोषित कर दिया था। स्कूल के सभी परिसर गंदे और अस्वास्थ्यकारी थे। स्कूलों को शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की कमी और बुनियादी ढांचे की कमी जैसे बाधामुक्त वातावरण, सुरक्षित पेयजल, शौचालय आदि का भी सामना करना पड़ा। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि दृष्टिबाधित लड़कियों के लिए कोई विशेष स्कूल नहीं थे। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में दिव्यांगजनों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष शिक्षा हेतु शिक्षकों की कमी थी।

समाज कल्याण विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दिव्यांग छात्रों के लिए चार छात्रावास संचालित किए गए, तीन, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए और एक कॉलेज जाने वाले दृष्टिबाधित लड़कों के लिए। कॉलेज जाने वाली और स्कूल जाने वाली दृष्टिबाधित लड़कियों के लिए कोई छात्रावास नहीं था। मौजूदा छात्रावासों में अस्वच्छ और गंदे परिसर, जीर्ण-शीर्ण छात्रावास भवन, सुरक्षित पेयजल, सुलभ शौचालय आदि जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी शामिल थीं। सेवा कुटीर

परिसर में दृष्टिबाधित लड़कों के लिए सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में स्कूल जाने वाले दृष्टिबाधित लड़कों के लिए छात्रावास एक पुराने और असुरक्षित भवन से संचालित हो रहा था। छात्रावास की 100 की क्षमता के मुकाबले 131 छात्रों के साथ भीड़भाड़ वाला था। कॉलेज जाने वाले दृष्टिबाधित लड़के और लड़कियों के लिए एक-एक छात्रावास का निर्माण करने का निर्णय 10 साल से अधिक पहले लिया गया था, लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया गया। बौद्धिक रूप से दिव्यांग जनों के लिए आवासों में भी भीड़भाड़ तथा मेडिकल, पैरा-मेडिकल और अन्य कर्मचारियों की कमी के साथ बेहतर प्रदर्शन नहीं हुआ।

दिव्यांगजनों को रोजगार के अवसर प्रदान करने में सरकार का दृष्टिकोण उदासीन था। दिव्यांगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा स्थापित दो संस्थानों ने पिछले 10 वर्षों के दौरान दिव्यांगों को प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया। इसके अलावा दिव्यांगों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने में लगे गै.स.सं. को देरी से और बहुत पुरानी दरों पर सहायता अनुदान प्रदान किया गया था। दरें 2008 में निर्धारित की गई थी और आज तक (अक्टूबर 2021) संशोधित नहीं किया गया है। रा.रा.क्षे.दि.स. के विभिन्न विभागों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रिक्तियों का भारी बैकलॉग था।

बजट भाषण 2019-20 और 2020-21 में दिव्यांगों के कल्याण के लिए छः योजनाओं की घोषणा की गई थी परन्तु उनमें से किसी को भी चालू नहीं किया गया था क्योंकि उनके तौर-तरीके और दिशानिर्देशों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

### 2.5.19 अनुशासन

सरकार को चाहिए कि -

- दिल्ली में सभी दिव्यांगों की पहचान करने के लिए तत्काल कार्रवाई करें ताकि अधिनियम के अंतर्गत उनको पर्याप्त सुविधाओं और सेवाओं की उपलब्धता की योजना बनाई जा सके।
- विशेष शैक्षणिक एवं अन्य संस्थानों की आवश्यकता का आकलन करें और इसे स्थापित करने तथा सरकारी स्कूलों में विशेष शिक्षा हेतु शिक्षकों सहित दिव्यांगों के लिए विभिन्न संस्थानों में शिक्षण, चिकित्सा और अन्य कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई करें।
- दिव्यांगों के लिए विशेष स्कूलों एवं अन्य संस्थानों और सभी सरकारी भवनों तथा सार्वजनिक परिवहन में पर्याप्त बुनियादी ढांचा और अन्य

सुविधाएं जैसे सुरक्षित, स्वच्छ और बाधा मुक्त वातावरण, छात्रावास सुविधाएं आदि को सुनिश्चित करें।

अधिक से अधिक दिव्यांगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करें ताकि वे रोजगार प्राप्त कर सकें और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें।

## पर्यटन विभाग

### 2.6 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पर्यटन गतिविधियों पर अनुपालन लेखापरीक्षा

#### 2.6.1 परिचय

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पर्यटन के लिए बड़ी संभावनाएं हैं क्योंकि यह न केवल देश की राजधानी है बल्कि यह अपनी विशाल सांस्कृतिक लीगेसी तथा ऐतिहासिक काल के इतिहास के कारण भी समृद्ध है। इसने साम्राज्यों को आते और जाते हुए देखा है, हर किसी की अपनी स्वयं की अलग छाप तथा वास्तुशिल्पीय चमत्कार हैं। चूंकि यह इनमें से कई साम्राज्यों के लिए सरकार की जगह थी और पर्यटकों की रुचि रखने वाले अन्य शहरों के यात्रियों के लिए प्रवेशद्वार के रूप में उपयोग की जाती है, इसमें पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने की पर्याप्त गुंजाइश है। यदि पर्यटकों को एक सुदृढ़ पर्यटन नीति के माध्यम से आवश्यकताओं की रणनीति बनाकर आकर्षित किया जा सके, तो पर्यटन में सरकार के लिए उच्च राजस्व क्षमता भी है।

पर्यटन विभाग (पर्य.वि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) का नोडल विभाग है जो पर्यटन मामलों के बुनियादी ढाँचे और समन्वय तथा आवश्यक सेवाओं और विनियमों से संबंधित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन संबंधी स्कीमों/योजनाओं के निर्माण, कार्यान्वयन और निगरानी करता है। पर्य.वि. की योजनाओं/गतिविधियों को दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है जिसे दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1975 में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा शामिल किया गया था। डीटीटीडीसी के कार्यों में पर्यटन से संबंधित जानकारी का प्रसार, पर्यटन संबंधी सेवाएँ प्रदान करना, मनोरंजन सुविधाएँ, पर्यटन बुनियादी ढाँचा और पर्यटन क्षेत्र के लिए जनशक्ति का प्रशिक्षण शामिल है। रा.रा.क्षे.दि.स., दिल्ली में सीमित पर्यटन संबंधी सेवाएं जैसे-हॉप-ऑन हॉप-ऑफ (होहो) बस सेवा, बिस्तर और नास्ता योजना तथा दिल्ली में फिल्मों की शूटिंग की सुविधा प्रदान करता है।

पर्यटन विभाग और डीटीडीसी के अलावा रा.रा.क्षे.दि.स. के पुरातत्व विभाग व दिल्ली अभिलेखागार भी सांस्कृतिक लीगेसी के संरक्षक के माध्यम से दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने में भूमिका निभाते हैं। पुरातत्व विभाग रा.रा.क्षे. दिल्ली में स्थानीय महत्व के प्राचीन स्मारकों के संरक्षण और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है और दिल्ली अभिलेखागार विभाग, दुर्लभ दस्तावेजों, पांडुलिपियों, किताबों, नक्शे और अन्य अभिलेख सामग्रियों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। नवंबर 2021 तक 65 साईट/स्मारकों का संरक्षण पुरातत्व विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. के दायरे में था। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों के रूप में घोषित किया जाता है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारत सरकार (भा.पु.स.-भा.स.) द्वारा बनाए रखा जाता है। हालांकि स्थानीय महत्व के प्राचीन स्मारकों का संरक्षण तथा अनुरक्षण संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

### 2.6.2 लेखापरीक्षा क्षेत्र तथा कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा यह आकलन करने के लिए की गई थी कि क्या रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए की गई पहल पर्याप्त व प्रभावी थी। रा.रा.क्षे.दि.स. के पर्यटन विभाग, डीटीडीसी एवं पुरातत्व विभाग के 2017-18 से 2020-21 की अवधि के अभिलेखों की जाँच की गई। लेखापरीक्षा ने इन विभागों/डीटीडीसी द्वारा प्रबंधित विभिन्न स्मारकों और स्थलों का संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन भी किया।

### लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

#### 2.6.3 पर्यटन नीति और दीर्घकालिक/रणनीतिक/मास्टर प्लान का अभाव

(i) पर्यटन के विकास के समग्र दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी पर्यटन नीति से निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता है:

- पर्यटन विकास की स्थिति बनाना एवं उसे बनाए रखना।
- पर्यटन स्थल के रूप में दिल्ली की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना एवं बनाए रखना।
- दिल्ली के मौजूदा पर्यटन उत्पादों में सुधार करना और बाजार की नई जरूरतों को पूरा करने के लिए इनका विस्तार करना।
- विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण।
- सतत और प्रभावी विपणन तथा विज्ञापन योजनाओं और कार्यक्रमों का विकास करना।

(ii) पर्यटन मंत्रालय (पर्य.मंत्रा), भारत सरकार (भा.स.) द्वारा राष्ट्रीय पर्यटन नीति (एनटीपी) 2002 को देश में मुख्य आर्थिक विकास इंजन के रूप में 'पर्यटन' को स्थान देने के उद्देश्य से तैयार किया गया था।

हालांकि रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दिल्ली की समृद्ध सांस्कृतिक लीगेसी और ट्रांजिट हब के रूप में इसके लाभप्रद स्थान के बावजूद एनटीपी के अनुरूप पर्यटन विकास के समग्र दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए कोई पर्यटन नीति नहीं बनाई गई है। इसके अतिरिक्त पर्यटन को बढ़ावा देने में शामिल मुख्य संस्थाओं पर्य.वि. अथवा डीटीडीसी द्वारा कोई दीर्घकालिक/रणनीतिक योजनाएँ तैयार नहीं की गई हैं।

पर्य.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि डीटीडीसी ने जनवरी 2022 में एक प्रारूप नीति प्रस्तुत की है जो उच्च अधिकारियों के समक्ष विचाराधीन थी। उत्तर इस तथ्य की पुष्टि करता है कि किसी पर्यटन नीति को अभी तक (जनवरी 2022) अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इस संबंध में सुस्त रवैये ने राजस्व और विदेशी मुद्रा के एक महत्वपूर्ण स्रोत के लिए दिशाहीन दृष्टिकोण तथा दिल्ली को एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का मौका खो दिया है।

### (iii) पर्यटक डेटा सूचना का अभाव

पर्यटन मंत्रालय (पर्य.मं) भा.स. विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आने वाले घरेलू और विदेशी पर्यटकों की संख्या का संकलन करती है। इसे संबंधित राज्य सरकारों द्वारा साझा की गई जानकारी से संकलित किया जाता है जो होटलों और अन्य प्रतिष्ठानों से जो यात्रियों को आवास उपलब्ध कराते हैं, से एकत्र की जाती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि रा.रा.क्षे.दि.स. ऐसा डेटा एकत्र नहीं करता है और इसलिए कोई भी डेटा पर्य.मंत्रा. भा.स. के साथ साझा नहीं किया गया। आंकड़ों के अभाव में रा.रा.क्षे.दि.स. के पास विद्यमान और संभावित पर्यटकों और उनकी आवश्यकताओं के बारे में महत्वपूर्ण सूचना का विश्लेषण करने तथा बाजार की गहरी समझ के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने की रणनीति विकसित करने का ठोस आधार नहीं होता है।

इस प्रकार पर्यटन नीति के साथ-साथ किसी भी दीर्घकालिक रणनीतिक मास्टर प्लान के अभाव में और पर्यटकों के आगमन के संबंध में सूचना एकत्र करने की विफलता रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा 'पर्यटन' क्षेत्र की पूर्ण उपेक्षा को दर्शाता है।

इस मुद्दे को 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र (सा.क्षे.उ.) पर प्रतिवेदन में भी पैराग्राफ 2.2.3.1 के तहत उजागर किया गया था। हालांकि, सरकार द्वारा पिछले सात वर्षों के दौरान लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर कोई अनुपालन नहीं किया गया था।

रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा 'पर्यटन' क्षेत्र की उपेक्षा इस तथ्य से स्पष्ट है कि पिछले चार वर्षों अर्थात् अप्रैल 2017 से मार्च 2021 की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा कोई नई पर्यटन संबंधी परियोजना शुरू नहीं की गई है। यहां तक कि लेखापरीक्षा द्वारा मौजूदा सुविधाओं/परियोजनाओं/स्मारकों/पर्यटक स्थलों के संचालन व रखरखाव में भी कई पहलुओं पर कमियाँ पाई गई हैं जिसकी चर्चा आगे के पैराग्राफों में की गई है।

#### **2.6.4 राज्य महत्व के प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों तथा अवशेषों के लिए सलाहकार परिषद का गठन न होना**

दिल्ली प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और पुरातत्व स्थल व अवशेष अधिनियम, 2004 के अनुसार सरकार को राज्य महत्व के प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों एवं पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों से संबंधित नीति के मामलों पर सलाह देने के उद्देश्य से एक सलाहकार परिषद का गठन करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अधिनियम के प्रारम्भ होने के 17 वर्षों के बाद भी अभी तक सलाहकार परिषद का गठन किया जाना था। यह राज्य महत्व के स्मारकों के संरक्षण और रखरखाव में सरकार की ओर से लापरवाही को दर्शाता है।

पुरातत्व विभाग ने कहा (जनवरी 2022) कि दिल्ली पुरातत्व सलाहकार परिषद के गठन का प्रस्ताव पहले ही अगस्त 2020 में प्रस्तुत किया जा चुका है तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

#### **2.6.5 'पर्यटन' पर नगण्य/नाममात्र व्यय**

पर्यटन विभाग तथा डीटीडीसी द्वारा 2017-18 से 2020-21 वर्षों के दौरान किए गए व्यय का ब्यौरा तालिका 2.6.1 में वर्णित है।

तालिका-2.6.1- व्यय के विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	कुल योग
<b>पर्यटन विभाग (पर्य.वि.)</b>					
वेतन एवं मजदूरी पर व्यय	1.45 (9.91)	1.72 (10.12)	1.85 (4.57)	1.79 (6.83)	6.81 (6.92)
डीटीटीडीसी तथा डीआईएचएमसीटी <sup>17</sup> को जारी सहायता अनुदान (स.अनु.)	13.18 (90.09)	15.28 <sup>18</sup> (89.88)	13.19 <sup>19</sup> (32.55)	24.43 <sup>20</sup> (93.17)	66.08 (67.18)
अन्य गतिविधियों पर व्यय	0.00	0.00	25.48 <sup>21</sup> (62.88)	0.00	25.48 (25.90)
<b>कुल व्यय</b>	<b>14.63</b>	<b>17.00</b>	<b>40.52</b>	<b>26.22</b>	<b>98.37</b>
<b>डीटीटीडीसी (पर्यटन से संबंधित)</b>					
<b>कुल आय</b>	<b>62.51</b>	<b>48.12</b>	<b>135.55<sup>22</sup></b>	<b>30.60</b>	<b>276.78</b>
वेतन एवं मजदूरी पर व्यय	17.23 (26.83)	15.42 (31.72 )	15.17 (12.25 )	11.72 (27.40)	59.54 (21.31)
पर्यटन तथा उससे संबंधित अन्य गतिविधियों पर व्यय	46.98 (73.17)	33.18 (68.28)	108.62 <sup>23</sup> (87.75)	31.06 (72.60)	219.85 (78.69)
<b>कुल व्यय</b>	<b>64.21</b>	<b>48.60</b>	<b>123.79</b>	<b>42.78</b>	<b>279.39</b>
लाभ/हानि (-)	(-) 1.70	(-) 0.48	11.76	(-) 12.18	(-) 2.61

नोट : कोष्टक में आंकड़े वर्ष के दौरान कुल व्यय की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

तालिका 2.6.1 से यह देखा जा सकता है कि:

- (i) पर्य.वि. ने 2017-18, 2018-19 तथा 2020-21 के दौरान ₹ 14.63 करोड़ तथा ₹ 26.22 करोड़ के बीच की रेंज में नाममात्र व्यय किया। 2019-20 के दौरान व्यय बढ़कर ₹ 40.52 करोड़ हो गया जो मुख्यतः दिल्ली सदन के लिए भूमि खरीद पर ₹ 25.48 करोड़ का भुगतान करने के कारण था जो पर्यटन गतिविधियों से संबंधित नहीं है।
- (ii) पर्य.वि. ने 2017-21 की अवधि के दौरान संबंधित वर्ष में अपने कुल व्यय का 32.55 से 93.17 प्रतिशत के बीच की रेंज में पर्यटन संबंधी गतिविधियों के लिए डीटीटीडीसी और डीआईएचएमसीटी को स.अनु. जारी किया।

<sup>17</sup> होटल मैनेजमेंट एवं केटरिंग टेक्नोलोजी का दिल्ली इंस्टीट्यूट

<sup>18</sup> डीआईएचएमसीटी को ₹ 5.42 करोड़ का स.अनु. शामिल है

<sup>19</sup> डीआईएचएमसीटी को ₹ 0.46 करोड़ का स.अनु. शामिल है

<sup>20</sup> डीआईएचएमसीटी को ₹ 2.50 करोड़ का स.अनु. शामिल है

<sup>21</sup> दिल्ली सदन के निर्माण के लिए भूमि कि खरीद हेतु व्यय (दिल्ली सदन को विभिन्न उद्देश्यों के लिए आने वाले गणमान्य व्यक्तियों/अधिकारियों के ठहरने के लिए विश्वसनीय तथा किफायती आवास प्रदान करने हेतु विकसित किया जाना है)

<sup>22</sup> मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना (एमएमटीवाईवाई) से ₹ 64.39 करोड़ की आय शामिल है।

<sup>23</sup> राराक्षेदिस के राजस्व विभाग से प्राप्त ₹ 81.45 करोड़ की निधियों में से एमएमटीवाईवाई पर ₹ 61.25 करोड़ का मुख्य व्यय किया गया। एमएमटीवाईवाई दिल्ली सरकार की एक प्रतिष्ठित योजना है जो उन वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार की गई है जो स्वयं दिल्ली से बाहर तीर्थ यात्रा करने में सक्षम नहीं है। दिल्ली सरकार की ओर से यात्रा के संचालन के लिए डीटीटीडीसी को नोडल एजेंसी के रूप में चुना गया था।

डीटीडीसी पर्य.वि.से प्राप्त स.अनु. से पर्यटन गतिविधियों पर व्यय करता है जैसे राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भागीदारी, विज्ञापन तथा प्रचार प्रसार, मेले तथा त्योहारों का आयोजन, पर्यटक सूचना केन्द्र (टीआईसी) को सुदृढ़ करना, प्रवेश द्वारों का सौंदर्यीकरण। हालांकि रा.रा.क्षे.दि.स./डीटीडीसी द्वारा इन प्रचार गतिविधियों पर किए गए व्यय के लिए रा.रा.क्षे.दि.स./डीटीडीसी द्वारा कोई प्रभावी विश्लेषण नहीं किया गया है।

(iii) 2019-20 के दौरान ₹ 108.62 करोड़ का व्यय अधिक था क्योंकि डीटीडीसी ने 2018-19 के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. से प्राप्त ₹ 81.45 करोड़ की निधियों में से ₹ 61.25 करोड़ का व्यय तथा उस पर एमएमटीवाईवाई के अंतर्गत खर्च किया गया एवं ₹ 3.22 करोड़ का जीएसटी बुक किया जो रा.रा.क्षे.दि.स. में पर्यटन गतिविधियों से संबंधित नहीं था। इस प्रकार डीटीडीसी द्वारा वेतन एवं मजदूरी को छोड़कर पर्यटन संबंधी गतिविधियों पर 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 वर्षों के दौरान क्रमशः ₹ 46.98 करोड़, ₹ 33.18 करोड़, ₹ 44.15 करोड़ तथा ₹ 31.06 करोड़ का नाममात्र व्यय किया गया। पर्यटन संबंधी गतिविधियों पर वेतन एवं मजदूरी पर ₹ 11.72 करोड़ (2020-21) तथा ₹ 17.23 करोड़ (2017-18) के बीच की रेंज में व्यय किया गया।

(iv) डीटीडीसी ने पर्यटन संबंधी गतिविधियों पर 2017-21 के दौरान सभी वर्षों में हानियां वहन की, वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 11.76 करोड़ के लाभ को छोड़कर जो मुख्य रूप से एमएमटीवाईवाई से आय (₹ 3.15 करोड़) तथा सावधि जमाओं पर अर्जित ब्याज (₹ 3.43 करोड़) के कारण था।

(v) 2017-21 के दौरान डीटीडीसी द्वारा पर्यटन गतिविधियों पर व्यय डीटीडीसी के कुल व्यय का केवल 3.11 से 8.80 प्रतिशत था।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पर्य.वि./डीटीडीसी द्वारा दिल्ली में पर्यटन गतिविधियों पर नाममात्र व्यय किया गया। यह यह भी दर्शाता है कि रा.रा.क्षे.दि.स. पर्यटन से अधिक राजस्व उत्पन्न नहीं कर सका।

#### 2.6.6 डीटीडीसी के लिए 'पर्यटन' प्राथमिकता वाला क्षेत्र नहीं होना

डीटीडीसी को भारत में आनेवाले घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए एक पर्यटक स्थल के रूप में दिल्ली के समग्र विकास और उन्नति के लिए

स्थापित किया गया था। बाद में डीटीटीडीसी को पर्यटन से संबंधित ढांचागत कार्य भी सौंपे गये। डीटीटीडीसी के नागरिक चार्टर के अनुसार निगम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- पर्यटन संबंधी सूचना का प्रसार करना;
- पर्यटक संबंधी सेवाएँ प्रदान करना;
- मनोरंजन सुविधाएँ प्रदान करना;
- पर्यटन के बुनियादी ढाँचे का विकास करना; तथा,
- पर्यटन के लिए जनशक्ति को प्रशिक्षित करना।

लेखापरीक्षा ने पर्यटन संबंधी प्रभागों/गतिविधियों पर जनशक्ति की तैनाती और व्यय का विश्लेषण किया और पाया कि 'पर्यटन' डीटीटीडीसी के लिए भी निम्न प्राथमिकता वाली गतिविधि थी।

**जनशक्ति:** डीटीटीडीसी में (जनवरी 2021 को) 535 कर्मचारियों में से केवल 119 अर्थात् 22 प्रतिशत पर्यटन-संबंधी कार्य के लिए तैनात थे जबकि शेष 416 कर्मचारियों में से कॉर्पोरेट कार्यालय (99 कर्मचारी), शराब प्रभाग (288 कर्मचारी) तथा इंजीनियरिंग प्रभाग (29 कर्मचारी) में तैनात थे।

**व्यय:** लेखापरीक्षा अवधि के दौरान पर्यटन गतिविधियों पर व्यय कुल व्यय के 3.11 से 8.80 प्रतिशत कि रेंज में था जबकि शराब गतिविधियों पर व्यय 87.23 से 93.79 प्रतिशत की रेंज में था।

इस प्रकार 'पर्यटन' डीटीटीडीसी के लिए निम्न प्राथमिकता वाला क्षेत्र बन गया जबकि इसकी स्थापना पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कि गई थी परंतु यह अन्य क्षेत्रों जैसे शराब<sup>24</sup> की खुदरा बिक्री की ओर मुड़ गया।

डीटीटीडीसी ने कहा (जनवरी 2022) कि 2020-21 के दौरान ₹ 1273 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 1200 करोड़ भारत निर्मित विदेशी शराब तथा देशी शराब से संबंधित है। अतः शेष ₹ 73 करोड़ में से लगभग 89 प्रतिशत (₹ 65 करोड़) पर्यटन संबंधी गतिविधियों पर व्यय किया गया। उत्तर सही नहीं है क्योंकि पर्यटन गतिविधियों पर व्यय की प्रतिशतता की गणना के लिए शराब प्रभाग (जिसमें अधिकतर जनशक्ति तैनात थी) के व्यय के अपवर्जन ने सही तस्वीर नहीं दर्शायी।

<sup>24</sup> रा.रा.क्षे.दि.स. की आबकारी नीति 2021 के अनुसार भारत में निर्मित विदेशी शराब एवं विदेशी शराब 16 नवंबर 2021 से डीटीटीडीसी से हटा लिया गया है।

## 2.6.7 प्रमुख आगमन स्थलों पर पर्यटक सूचना केंद्र स्थापित न होना

पर्यटकों को पर्यटक सूचना केन्द्रों (प.सू.के.) के माध्यम से पर्यटन स्थलों, रहने-खाने की सुविधायें, परिवहन सुविधायें इत्यादि से संबंधित सूचना का प्रचार प्रसार किया जा सकता है। सही सूचना का अभाव और दलालों का अस्तित्व पर्यटन क्षेत्र में एक बड़ी चुनौती रही है।

डीटीटीडीसी, शहर और दिल्ली के आसपास के दूसरे स्थानों के बारे में सूचना<sup>25</sup> प्रदान करके पर्यटकों की सुविधा के लिए सात<sup>26</sup> पर्यटक सूचना केंद्र/काउंटर/डेस्क चला रहा है (जून 2021)।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि दिल्ली में कई महत्वपूर्ण आगमन स्थलों पर प.सू.के. उपलब्ध नहीं थे जैसे दिल्ली हवाईअड्डे का अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) कश्मीरी गेट इत्यादि। आगे यह भी पाया गया कि अप्रैल 2017 से मार्च 2021 तक चार वर्षों की अवधि के दौरान प.सू.के. की वास्तविक आवश्यकता का मूल्यांकन नहीं किया गया।

विभाग ने कहा (जनवरी 2022) की डीटीटीडीसी विदेशी पर्यटकों की सुविधा के लिए अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा पर एक विस्तृत प.सू.के. (पर्यटन सूचना केंद्र) को फिर से शुरू करने की योजना बना रहा था। इसके अतिरिक्त पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, आई.एस.बी.टी. कश्मीरी गेट इत्यादि में अवसर और संसाधनों की उपलब्धता पर प.सू.के. शुरू किए जाएंगे।

## 2.6.8 प्रदान की गई पर्यटन-संबंधी सेवाओं में कमियाँ

रा.रा.क्षे.दि.स., रा.रा.क्षे. दिल्ली में सीमित पर्यटन संबंधी सेवाएँ प्रदान करता है जो हॉप-ऑन हॉप-ऑफ (होहो) बस सेवा, बिस्तर और नाश्ता योजना और दिल्ली में फिल्मों की शूटिंग के लिए सुविधा प्रदान करता है। हालांकि इन सेवाओं को भी कुशलतापूर्वक प्रबंधित नहीं किया गया था और लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ पायी गईं:

### 2.6.8.1 होहो बस सेवा

पर्यटकों को आराम से एवं लचीले तरीके से दर्शनीय स्थलों की यात्रा के माध्यम से दिल्ली और इसकी लीगेसी का पता लगाने के उद्देश्य से होहो बस सेवा 2010 में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में 10 वर्षों की

<sup>25</sup> सूचना टेलिफोन पर प्रश्नों के उत्तर देने के साथ-साथ ग्राहकों से मिलने के लिए प्रदान की जाती है।

<sup>26</sup> कर्नाट प्लेस (दो प.सू.के.), जनपथ, टर्मिनल-1, घरेलु हवाई अड्डा दिल्ली, दिल्ली हाट-आई.एन.ए. (दो प.सू.के.) एवं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन।

अवधि के लिए शुरू की गई थी। यात्री मार्ग में कहीं भी इन बसों पर चढ़ या उतर सकते हैं जो दिल्ली के विभिन्न पर्यटन स्थलों को कवर करता है।

होहो बस सेवा से संबंधित सभी परिचालन गतिविधियों की स्थापना ऑपरेटर द्वारा डीटीटीडीसी के परामर्श के पश्चात की गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ साथ होहो बस सेवा के परिचालन हेतु रूट, बसों की आवृत्ति, प्रभारित किराया, किराया संग्रह तंत्र तथा वाणिज्यिक प्रबंधन शामिल होता है। यह सेवा जुलाई 2020 में बंद कर दी गई थी, हालांकि बस सेवा को फिर से शुरू करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। जून 2019 में 25 नई होहो बस सेवा चलाने का प्रस्ताव शुरू किया गया था लेकिन इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

लेखापरीक्षा में होहो बस सेवा के परिचालन में 10 वर्षों की अवधि के दौरान निम्नलिखित कमियाँ पाई गईं:

- डीटीटीडीसी द्वारा निगरानी का अभाव था। मई 2011 में होहो बस सेवा पर सवारियों की साप्ताहिक प्रगति की रिपोर्ट संकलित करने के लिए प्रबंधक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। हालांकि डीटीटीडीसी द्वारा ऐसी कोई रिपोर्ट संकलित नहीं की गई थी।
- डीटीटीडीसी को 5 फरवरी 2016 को ऑपरेटर से बसों के जीपीएस लिंक मिले। हालांकि इसमें बसों की आवृत्ति और मार्ग पर बसों की सही संख्या की जांच के लिए लिंक का उपयोग नहीं किया गया।
- मूल रूप से परिकल्पित 14 बसों की तुलना में बसों की संख्या कम होती जा रही थी तथा 2017-18 से केवल पांच बसे ही चालू थीं। डीटीटीडीसी ने बस सेवा के बारे में न तो सवारियों की प्रतिक्रिया लेने के लिए और न ही सवारियों द्वारा की गई शिकायतों को दर्ज करने हेतु कोई तंत्र तैयार किया।
- होहो बस सेवा ने अपनी शुरुआत से हानियाँ उठाईं तथा डीटीटीडीसी को देय ₹ 2.65 करोड़ के कुल देय में से 12 प्रतिशत का राजस्व हिस्सा होने के कारण ऑपरेटर ने ₹ 1.48 करोड़ का भुगतान नहीं किया था।
- जून 2019 में डीटीटीडीसी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार दिल्ली में विद्यमान होहो बस सेवा की खराब प्रतिक्रिया के कारण नीचे दिए गए अनुसार थे:
  - क) बसें केवल बीटेन ट्रैक पर चल रही थीं और दिल्ली के कई दिलचस्प पर्यटक आकर्षण छूट गए;
  - ख) अपने ऑन-बोर्ड प्री-रिकॉर्डिंग/लाइव कमेंट्री के माध्यम से यात्रियों की रुचि बनाए रखने में सक्षम नहीं;

ग) अगले पर्यटन स्थल के लिए होहो बस पकड़ने के लिए लंबी प्रतीक्षा अवधि (न्यूनतम 45 मिनट प्रतीक्षा अवधि);

घ) उन स्थल/स्मारकों पर जहाँ बस रुकने वाली है, बैठने की सुविधा के साथ हॉल्टिंग प्वाइंट/बस स्टॉप का अभाव;

ड) बस सेवा में बोर्ड पर पेशेवर प्रशिक्षित स्वयंसेवक नहीं थे; तथा

च) सूचना संचार तथा प्रोद्योगिकी सक्षम स्मार्ट सेवा का अभाव।

हालांकि, लेखापरीक्षा को प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति उपलब्ध नहीं कराई गई।

इस प्रकार जुलाई 2020 के पश्चात रा.रा.क्षे.दि.स. ने दिल्ली आने वाले पर्यटकों के लिए कोई समर्पित बस सेवा प्रदान नहीं की। डीटीडीसी यात्रियों की संख्या और बसों की आवृत्तियों की निगरानी की कमी के कारण सेवा की गुणवत्ता और सेवा की बेहतरी के प्रयासों का आकलन नहीं कर सका।

पर्य.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि 9 जुलाई 2020 को होहो बस सेवा के प्रचालन के विद्यमान अनुबंध की समाप्ति पर कोविड-19 महामारी के कारण बस सेवा के लिए नई निविदाओं के लिए प्रक्रिया करना संभव नहीं था। बस सेवा की निगरानी के संबंध में डीटीडीसी ने कहा कि इस पर परियोजना प्रबंधन यूनिट (पीएमयू) के माध्यम से निगरानी की गई जिसमें डीटीडीसी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ ऑपरेटर शामिल थे।

मौजूदा अनुबंध की समाप्ति के संबंध में उत्तर को जून 2019 में डीटीडीसी द्वारा आरंभ की गई 25 नई बसों के प्रस्ताव की समीक्षा को इस आलोक में देखा जाना चाहिए जो महामारी की शुरुआत से पहले पूरी हो सकती थी। बस सेवा की निगरानी के संबंध में उत्तर तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि कोई भी सूचना जैसे एक माह के दौरान बस सेवा का लाभ उठाने वाले यात्रियों की संख्या, बस में सुविधाएं, बस स्टाफ का प्रशिक्षण और शिक्षा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई।

#### 2.6.8.2 बिस्तर और नाश्ता योजना

बिस्तर और नाश्ता योजना उन पर्यटकों को जो पारंपरिक भारतीय गृह संस्कृति का आनंद लेना चाहते हैं और परिवारों के समर्थन और सुरक्षा का विश्वास हासिल करते हैं व सुखद यादों के साथ वापस जाना चाहते हैं, पर्यटन विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा अनुमोदित बजट आवास प्रदान करती है। अनुमोदित बेड एवं ब्रेकफास्ट प्रतिष्ठानों की सूची पर्य.वि., रा.रा.क्षे.दि.स. की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पर्य.वि. ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि, प्रदान की गई सेवाएँ निर्धारित मानदंडों के अनुसार थीं, प्रतिष्ठानों के आवधिक निरीक्षण के लिए कोई तंत्र स्थापित नहीं किया।

पर्य.वि. ने कहा (जनवरी 2022) कि यादृच्छिक एवं औचक जांच करने का निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि उनके द्वारा इस अधिनियम और नियमों के तहत बनाए गए प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है।

### 2.6.8.3 फिल्म शूटिंग के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस

रा.रा.क्षे.दि.स. ने शूटिंग हेतु फिल्म निर्माताओं को अनुमति के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस के लिए डीटीटीडीसी को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया (जून 2012)। बाद में डीटीटीडीसी के अंदर एक फिल्म शूटिंग सुविधा प्रकोष्ठ बनाया गया था जिसका उद्देश्य था कि डीटीटीडीसी दिल्ली में फिल्म शूटिंग के लिए अनुमति की सिंगल विंडो क्लीयरेंस की सुविधा के लिए फिल्म निर्माताओं और हितधारक एजेंसियों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करेगा। फरवरी 2020 में फिल्म निर्माण सुविधा के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस तंत्र हेतु नीति दस्तावेज तैयार करने के लिए एक एजेंसी का चयन किया गया। एजेंसी ने अंतिम प्रारूप अगस्त 2020 में प्रस्तुत किया।

हालांकि नोडल एजेंसी के रूप में डीटीटीडीसी की नियुक्ति के नौ वर्षों से अधिक बीत जाने के बाद भी डीटीटीडीसी फिल्म निर्माताओं के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि कोई तंत्र तैयार नहीं किया गया।

डीटीटीडीसी ने कहा (जनवरी 2022) कि जब कोई फिल्म निर्माता/प्रोड्यूसर दिल्ली में फिल्म शूटिंग की अनुमति प्राप्त करने हेतु उनको प्रस्ताव करता है, डीटीटीडीसी उन्हें विभिन्न प्राधिकरणों से पत्रों के जरिए अनुमति प्रदान करने हेतु सहायता करती रहती है। उत्तर पुष्टि करता है कि डीटीटीडीसी फिल्म निर्माताओं को सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्रदान करने में विफल रहा।

### 2.6.8.4 विषय-आधारित पर्यटक सर्किट शुरू नहीं हुए

पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने देश में विषय आधारित पर्यटक सर्किट के एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन योजना<sup>27</sup> शुरू की (2014-15) जिसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य को ₹ 100 करोड़ तक का अनुदान प्रदान किया जाना था।

इस योजना के कार्यान्वयन के लिए सचिव (पर्यटन), रा.रा.क्षे.दि.स. तथा प्र.नि. और मु.का.अ., डीटीटीडीसी की एक बैठक, सचिव (पर्यटन) के साथ स्वदेश

<sup>27</sup> केन्द्रीय प्रायोजित योजना

दर्शन योजना के अंतर्गत प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए आयोजित की गयी (जुलाई 2016)। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत दिल्ली के सात लीगेसी मार्गों के विकास के लिए धनराशि उपलब्ध करायी जा सकती है, जिसमें महरौली नोड और आध्यात्मिक सर्किट पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ कुतुब मेट्रो स्टेशन को कुतुब मीनार से जोड़ने वाले एलिवेटेड वॉकवे का निर्माण किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि रा.रा.क्षे.दि.स. ने देर से कार्रवाई शुरू की। प्रस्ताव की तिथि (जुलाई 2016) से तीन वर्षों के बाद भी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आदि तैयार करने के लिए सलाहकार को नियुक्त नहीं किया जा सका (मार्च 2020)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि पर्यटन विभाग ने नवंबर 2017, अप्रैल 2018 एवं जून 2018 में डीटीडीडीसी से मामले को देखने और इस पर नवीनतम स्थिति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। हालांकि अभिलेख में डीटीडीडीसी का कोई उत्तर नहीं पाया गया। इस प्रकार रा.रा.क्षे.दि.स., भा.स. के अनुदानों का लाभ उठाने में असमर्थ रही क्योंकि किसी प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिया गया तथा भारत सरकार को प्रस्तुत नहीं किया गया था।

पर्यटन विभाग ने कहा (जनवरी 2022) कि नवंबर 2019 में सलाहकार की नियुक्ति के लिए आरएफपी जारी किया गया था लेकिन केवल एक बोली प्राप्त हुई इसलिए निविदा को रद्द कर दिया गया और दिसंबर 2019 में एक नई निविदा प्रक्रिया शुरू की गई। परंतु कोविड 19 महामारी के कारण अगस्त 2020 तक बहुत अधिक प्रगति नहीं की जा सकी। बाद में जुलाई 2021 में पर्यटन मंत्रालय ने सूचित किया कि स्वदेश दर्शन योजना समीक्षाधीन है और योजना के तहत नई परियोजनाओं की मंजूरी चल रही समीक्षा के परिणाम के अधीन थी।

पर्य.वि. का उत्तर स्वयं इंगित करता है कि योजना की अवधि जो मार्च 2020 तक थी, के अंत में प्रक्रिया बहुत देर से शुरू की गई थी और उसके बाद की गई किसी भी कार्रवाई की कोई प्रासंगिकता नहीं थी।

इस प्रकार विभाग के नीरस रवैये और धीमी गति के दृष्टिकोण के कारण दिल्ली में थीम आधारित पर्यटन सर्किट में सुधार करने तथा भा.स. से ₹ 100 करोड़ का अनुदान प्राप्त करने का अवसर समाप्त हो गया।

### 2.6.9 पर्यटन से संबंधित स्थलों/बुनियादी ढांचे का खराब रखरखाव

रा.रा.क्षे.दि.स. के पुरातत्व विभाग के पास दिल्ली के रा.रा.क्षे. में इसके अधिकार क्षेत्र में 65 स्मारक हैं जिनका उचित रूप से संरक्षण एवं रखरखाव किया जाना है। इसके अलावा कुछ पर्यटन स्थान जैसे दिल्ली हाट, गार्डन ऑफ फाइव सेंसिस

आदि भी डीटीटीडीसी द्वारा स्थापित किए गए हैं। लेखापरीक्षा ने उपलब्ध सुविधाओं और उनकी स्थिति का आकलन करने के लिए 18 स्मारकों<sup>28</sup> एवं दो अन्य स्थानों (भलस्वा झील और गार्डन ऑफ फाइव सेंसिस) का संयुक्त निरीक्षण<sup>29</sup> किया (जून 2021)। संयुक्त निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा पाई गई कमियों को परिशिष्ट 2.8 में इंगित किया गया है।

#### 2.6.9.1 संरक्षित स्मारकों का खराब रखरखाव एवं अनुरक्षण

**स्मारकों के संरक्षण के बाद उनके रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं होना:** लेखापरीक्षा ने पाया कि इमामबाड़ा, बवाना जेल, तथा गार्डन बगीची जीर्ण-शीर्ण अवस्था में थे। विभाग ने ना तो इन स्मारकों के रखरखाव स्वयं करने की कोई व्यवस्था की ना ही उन्होंने किसी निजी एजेंसी को दिन-प्रतिदिन के रखरखाव के लिए नियुक्त किया। विभाग ने इमामबाड़ा (2014-16 के दौरान ₹ 26.34 लाख), और बवाना जेल (2016-20 के दौरान ₹ 49.50 लाख) के संरक्षण पर ₹ 75.84 लाख खर्च किए। उच्च व्यय के बावजूद ये स्मारक जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पाए गए। फोटोग्राफ सं.1 व 2 इमामबाड़ा तथा बवाना जेल की स्थितियों को दर्शाता है:

#### फोटोग्राफ - I



**इमामबाड़ा की जीर्ण-शीर्ण अवस्था (फोटोग्राफ 22.06.2021 को सुबह 11.15 पर लिया गया)**

<sup>28</sup> पुरातत्व विभाग के प्रबंधन प्रतिनिधि (18 स्मारकों के लिए) एवं डीटीटीडीसी (दो अन्य स्थलों के लिए) के साथ लेखापरीक्षा दल द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया।

<sup>29</sup> सराय (बदरपुर गांव), महल (महिपालपुर गांव), कटरा (घरेलू हवाई अड्डे के पास मेहराम नगर), गौतम नगर मकबरा (एम्स के पास), गोल गुंबद (लोधी रोड के पास), मस्जिद (लोधी गार्डन), कोस मीनार (नरेला), दारा शिकोह लाइब्रेरी (मोरी गेट), जेल बवाना (बवाना), इमामबाड़ा (नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास कुतुब रोड, घुड़शाला (महरौली पुरातत्व पार्क), महरौली पुरातत्व पार्क में दो मकबरे, बारादरी (साधना इनक्लेव, शेख सराय), झरना (मेहरौली), विद्रोह स्मारक (हिंदू राव अस्पताल के पास उत्तरी रिज), सराय (नेशनल जूलॉजीकल पार्क, प्रगति मैदान), गार्डन बगीची (दिल्ली गोल्फ क्लब)।

**फोटोग्राफ - 2**



**बवाना जेल में सीपेज (फोटोग्राफ 17.06.2021 को दोपहर 1.15 पर लिया गया)**

**फोटोग्राफ - 3**



**दिल्ली गोल्फ क्लब स्थित बगीची उद्यान स्मारक की जीर्ण-शीर्ण अवस्था  
(फोटोग्राफ 22.06.2021 को दोपहर 1.15 पर लिया गया)**

फोटोग्राफ - 4



दिल्ली गोल्फ क्लब स्थित बगीची उद्यान स्मारक के बाहरी प्लास्टर का टूट कर गिरना और बदरंग बाहरी दीवार (फोटोग्राफ 22 जून 2021 को दोपहर 1.20 पर लिया गया)

- स्मारक सूचना-पट्ट स्थापित ना होना : लेखापरीक्षा ने पाया कि दो स्मारकों (कटरा और बगीची उद्यान) पर स्मारक सूचना-पट्ट गायब थे। एक स्मारक (सराय) में सूचना-पट्ट झाड़ियों से ढका हुआ पाया गया था।

फोटोग्राफ - 5



राष्ट्रीय जूलॉजिकल पार्क स्थित स्मारक सराय में झाड़ियों से ढंका स्मारक सूचना पट्ट (फोटोग्राफ 23.06.2021 को सुबह 11.45 पर लिया गया)

विभाग ने कहा (जनवरी 2022) कि पुरातत्व विभाग द्वारा कटरा और गार्डन बगीची में संरक्षण कार्य शुरू किया गया था जो रक्षा संपदा कार्यालय द्वारा उठाए गए अनुमति के मुद्दे के कारण पूरा नहीं किया जा सका। इन स्मारकों पर सांस्कृतिक सूचना बोर्ड इनका संरक्षण कार्य पूरा होने के बाद लगाए जाएंगे। नेशनल जूलौजिकल पार्क में सराय नामक स्मारक के संरक्षण कार्य का पहला चरण पूरा हो गया है। इसके संरक्षण के दूसरे चरण के पूरा होने के बाद, प्रमुख स्थान पर एक नया बोर्ड स्थापित किया जाएगा।

- **सुरक्षा का अभाव :** सुरक्षा ना केवल स्मारकों के रखरखाव के लिए बल्कि वहां जाने वाले आंगतुकों के लिए भी महत्वपूर्ण है। लेखापरीक्षा ने देखा कि नमूना जांच किए गए 18 स्मारकों में से किसी में भी सुरक्षा यंत्र जैसे सीसीटीवी कैमरे, अग्निशामक उपकरण नहीं थे (संदर्भ परिशिष्ट 2.8)। विभाग ने अपने उत्तर में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा कहा (जनवरी 2022) कि सीसीटीवी कैमरे एवं अग्निशामक उपकरणों की स्थापना के लिए एक व्यवहार्य अध्ययन किया जाएगा।
- **शौचालय की अनुपलब्धता :** लेखापरीक्षा ने देखा कि नमूना जांच किए गए 18 स्मारकों में से किसी में भी शौचालय उपलब्ध नहीं थे।
- **दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ नहीं :** लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन स्मारकों में से कोई भी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ नहीं था, क्योंकि किसी भी स्मारक में व्हीलचेयर और ब्रेल लिपि में जानकारी उपलब्ध नहीं थी। यह दिव्यांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1996 का उल्लंघन था। विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा इस मुद्दे पर व्यवहार्य रिपोर्ट तैयार करने का आश्वासन दिया।
- **द्वार बंद मिले :** संयुक्त निरीक्षण के दौरान दो स्मारकों (बवाना जेल और विद्रोह स्मारक) के प्रवेश द्वार बंद पाए गए यद्यपि इन्हें जनता के लिए खुला बताया गया था।

फोटोग्राफ - 6



बवाना जेल के द्वार पर ताला पाया गया  
(फोटोग्राफ 17.06.2021 को दोपहर 13.15 पर लिया गया)

फोटोग्राफ - 7



विद्रोह स्मारक के द्वार पर ताला  
(फोटोग्राफ 26.08.2021 को दोपहर 2.49 पर लिया गया)

2.6.9.2 दो अन्य पर्यटक स्थलों में पाई गई कमियां

- क) भलस्वा झील: वर्ष 1992 में ग्राम पंचायत द्वारा दिल्ली की जनता को मनोरंजक नौका विहार उपलब्ध करने के लिए भलस्वा झील डीटीडीडीसी को सौंप दी गई थी। डीटीडीडीसी ने इस सुविधा को विकसित किया तथा बनाए रखा। लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि भलस्वा झील में पर्यटकों के आकर्षण की अच्छी संभावना थी फिर भी पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए झील पर कोई सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध नहीं था।

ख) **गार्डन ऑफ फाइव सेंसिस:** गार्डन ऑफ फाइव सेंसिस फरवरी 2003 में डीटीटीडीसी द्वारा विकसित एक पार्क है जो लगभग 20 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। गार्डन की अवधारणा पर्यावरण के प्रति किसी की संवेदी प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से की गई है। गार्डन में रंग, सुगंध एवं बनावट के संयोजन के साथ स्पर्श, गंध, दृष्टि, ध्वनि तथा पर्यावरण के प्रति जागरूकता है। लेखापरीक्षा ने पाया कि गार्डन ऑफ फाइव सेंसिस में कोई गाइड उपलब्ध नहीं थे।

### 2.6.9.3 पीतमपुरा और जनकपुरी के दिल्ली हाट में खाली स्टॉल

दिल्ली हाट, आईएनए को कारीगरों के लिए विपणन स्थान प्रदान करने के लिए खोला गया था (मार्च 1994) जहां विभिन्न राज्यों को उनके क्षेत्रीय शिल्प और व्यंजनों को लोकप्रिय बनाने के लिए स्टॉल (खादय स्टॉल और शिल्प स्टॉल) आवंटित किए गए हैं। तत्पश्चात पीतमपुरा (अप्रैल 2008) और जनकपुरी (जुलाई 2014) में दिल्ली हाट खोले गए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पीतमपुरा और जनकपुरी में दिल्ली हाट पर प्रति दिन 487 से 1,023 के बीच नाममात्र ग्राहकों की भीड़ देखी गई, जिसके लिए 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान खाली स्टॉलों (65 से 78 प्रतिशत) के उच्च प्रतिशत को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जैसा कि **परिशिष्ट 2.9** में वर्णित है।

दिल्ली हाट, पीतमपुरा (डीएचपीपी) में 2016 से खादय स्टॉल गिराए गए थे (नीचे दिये गए फोटोग्राफ के अनुसार) लेकिन मलबा/निर्माण सामग्री आज तक (29.09.2021) नहीं हटाई गई थी। यह भी ग्राहकों की संख्या कम होने का कारण है।

### फोटोग्राफ 8 तथा 9



21.09.2021 को डीएचपीपी में स्क्रेप सामग्री



21.09.2021 को डीएचपीपी में स्क्रेप सामग्री

पर्य.वि. ने तथ्य को स्वीकारते हुए कहा (जनवरी 2022) कि दिल्ली हाट जनकपुरी और पीतमपुरा में ग्राहकों की कम भीड़ कई बाजारों/वाणिज्यिक बाजारों/मॉल से घिरे हुए क्षेत्रों के कारण थी क्योंकि ऐसे आंगुतुकों के पास खरीददारी और भोजनालयों के लिए अधिक विकल्प होते हैं। यह खादय और शिल्प स्टालों के व्यवसाय को कम व्यवहार्य तथा घाटे में चलने वाला बना देता है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि डीटीडीसी/पर्य.वि. ने जनकपुरी दिल्ली हाट के बाजार तथा वित्तीय व्यवहार्यता का आकलन व्यवसाय योजना की तैयारी, वाणिज्यिक स्थानों के टैरिफ का निर्धारण इत्यादि के पश्चात मेगा पर्यटन परियोजना के रूप में किया था।

पर्य.वि. ने डीएचपीपी में मलबे के संबंध में उत्तर दिया (जनवरी 2022) कि मलबे को हटा दिया गया है और संरचना का पुननिर्माण किया जा रहा है। तथ्य यह है कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के पश्चात ही मलबे को हटाया गया था।

#### 2.6.10 प्रशिक्षण

रा.रा.क्षे.दि.स. ने दिल्ली इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैंटरिंग टेक्नोलाजी (संस्थान) की स्थापना की (1983)। लेखापरीक्षा ने पाया कि अप्रैल 2017 से संस्थान ने कोई बाजार सर्वेक्षण नहीं किया जिससे कौशल की आवश्यकता अनुसार इसके पाठ्यक्रम बनाये जा सकें।

संस्थान 2018-19 में चार विदेशी भाषाओं<sup>30</sup> और 2019-20 में दो विदेशी भाषाओं<sup>31</sup> में पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत करता था हालांकि इनमें से कोई भी पाठ्यक्रम किसी परिषद/बोर्ड से संबद्ध नहीं था। प्रत्येक पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या 25 थी जिसके प्रति 2018-19 तथा 2019-20 के दौरान क्रमशः 74 और 117 छात्रों ने नामांकन किया था। हालांकि संस्थान ने पर्यटन पर प्रशिक्षण के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया है।

संस्थान ने आतिथ्य क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं के कौशल विकास के लिए एक योजना 'आत्मनिर्भरता की ओर' तैयार की (मई 2015)। हालांकि छह वर्ष बीत जाने के बाद भी यह योजना अमल में लाई जानी थी।

#### 2.6.11 निष्कर्ष

एक सफल पर्यटन नीति क्षमता तथा विद्यमान और संभावित पर्यटकों की आवश्यकता की गहरी समझ पर आधारित होती है। डेटा तथा अनुसंधान ऐसी

<sup>30</sup> फ्रेंच, स्पेनीश, जर्मन एवं जापानीज

<sup>31</sup> स्पेनीश एवं फ्रेंच

नीति का आधार बनते हैं। पर्यटन विभाग और डीटीटीडीसी ने न तो कोई पर्यटन नीति बनाई, न ही कोई डेटा बनाया और न ही दिल्ली आने वाले पर्यटकों के प्रकार तथा आवश्यकताओं पर कोई शोध किया। पर्यटन के लिए अंतर-मंत्रालयी परामर्श और सहयोग की आवश्यकता होती है क्योंकि पर्यटक सूचना, परिवहन, सुरक्षा, आश्रय तथा उपयुक्त पैकेज की तलाश में रहते हैं। पुरातत्व विभाग ने रा.रा.क्षे.दि.स. को अन्य विभागों की विशेषज्ञता से वंचित करते हुए एक सलाहकार परिषद का गठन नहीं किया। नीति, डेटा तथा अनुसंधान के अभाव के कारण दिशाहीन दृष्टिकोण उत्पन्न हुआ। चार वर्षों की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कोई नई परियोजनाएं/योजनाएं शुरू नहीं की गई थी। डीटीटीडीसी ने 2017-21 की अवधि के दौरान ₹ 279.39 करोड़ का नाममात्र व्यय किया। डीटीटीडीसी राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के अपने प्राथमिक उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सका। इसका ध्यान मुख्यतः पर्यटन के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों पर पाया गया। निगरानी के अभाव के कारण पर्यटकों के लिए योजनाएं विफल हो गईं। होहो बस सेवा वांछित परिणाम प्राप्त करने में विफल रही तथा जुलाई 2020 में बंद कर दी गई। अधिकतर प्रस्तावित योजनाएं कार्यान्वित नहीं की गईं थी तथा परिणामस्वरूप भा.स. से ₹ 100 करोड़ का अनुदान प्राप्त नहीं किया जा सका। स्मारकों/पर्यटक स्थलों का रखरखाव तथा अनुरक्षण खराब था। नमूना जाँच किए गए स्मारकों की स्थिति जर्जर पाई गई थी और कुछ में मूलभूत सुविधाओं जैसे शौचालयों, रोशनी तथा सूचना बोर्डों का अभाव था। रा.रा.क्षे.दि.स. दिल्ली में पर्यटन के विकास के लिए कोई सफल नीतिगत योजना बनाने में विफल रही। डीटीटीडीसी का अधिक उपयोग पर्यटन के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था और अधिक राजस्व अर्जित नहीं किया जा सका।

#### 2.6.12 अनुशंसाएं

पर्यटकों को आवश्यक सुविधाओं के साथ सूचना, सुरक्षा, आश्रय, आसानी से सुलभ परिवहन तथा स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित पर्यटन स्थलों की आवश्यकता होती है। एक उपयुक्त पर्यटन नीति इन प्रसंगों को एक संरचित तरीके से संबोधित करती है। सरकार को चाहिए कि:-

- पर्यटन नीति को ठोस डेटा तथा अनुसंधान के आधार पर तथा उस क्षेत्र के विशेषज्ञों की सहायता से तैयार करे। दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक कार्रवाई की योजनाओं को रोड मैप तथा लक्ष्यों के साथ निर्धारित किया जाना चाहिए। ऐसे स्थलों के विकास के लिए पर्यटक का व्यवहार, उनकी आवश्यकताओं तथा मनमोहक स्थलों और उसके अनुकूल प्रयास एक ठोस नीति की आधारभूत आवश्यकताएं हैं।

- सामयिक अंतर-मंत्रालयी परामर्श तथा सलाहकार बोर्ड का गठन करें ताकि पर्यटकों की सभी आवश्यकताओं जैसे परिवहन, सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सूचना, सफाई, स्वच्छता सुविधाओं, सुरक्षित तथा किफायती होटल तथा रेस्तरां, स्मारिक दुकानें, सुलभ क्लीनिक, सांस्कृतिक मनोरंजन इत्यादि उपलब्ध करवाई जा सकें।
- पर्यटकों की आवाजाही तथा गतिविधियों की निगरानी हेतु एक कंप्यूटरीकृत एकीकृत डेटाबेस विकसित करें तथा उसे लक्षित योजनाओं के साथ एकीकृत करें। प्रमोशनल रणनीतियों, आकर्षक एवं सूचनाप्रद वेबसाइट, पेम्फलेट्स, ऑल-राउंड पैकेजों की आवश्यकता को एक उचित समयसीमा के अंदर संबोधित किया जाना चाहिए।
- डीटीडीडीसी के पर्यटन डिविजन को मजबूत करने के लिए बंद शराब डिविजन में पूर्व में तैनात जनशक्ति को तैनात करने की योजना बनाना। स्टाफ को उपयुक्त प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- स्मारकों/पर्यटन स्थलों के उचित अनुरक्षण एवं इसकी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए एक प्रभावी निगरानी तंत्र बनाना।
- राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय उत्तम पद्धतियों का अध्ययन करना तथा दिल्ली में आने वाले पर्यटकों के व्यवहार को देखते हुए उचित मनोरंजन नीतियों के साथ उपयुक्तता से उनको कार्यान्वित करें।

### प्रशिक्षण निदेशालय: केंद्र शासित प्रदेश सिविल सेवा

#### 2.7 ₹ 168 लाख की राशि के प्रशिक्षण भत्ते का अनियमित भुगतान

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए प्रशासनिक कार्य हेतु के.शा.प्र.सि.से. में पदस्थापित कर्मचारियों को प्रशिक्षण भत्ता प्रदान करने के परिणामस्वरूप ₹ 168 लाख के प्रशिक्षण भत्ते का अनियमित भुगतान हुआ।

चौथे वेतन आयोग के वेतनमान की शुरुआत के परिणामस्वरूप कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), भारत सरकार ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 12017/2/86-प्रशि. (टी.एन.पी.) दिनांक 31 मार्च 1987 के द्वारा प्रशिक्षण संस्थानों में संकाय सदस्यों की स्थिति में सुधार के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश जारी किए। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, “जब कोई सरकारी कर्मचारी, एक स्थायी संकाय सदस्य के अलावा, एक संकाय सदस्य के रूप में सरकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान में शामिल होता है, तो उसे मूल वेतन का 30 प्रतिशत की दर पर प्रशिक्षण भत्ता दिया जाएगा।” यह प्रशिक्षण भत्ता अन्य को नहीं बल्कि केवल उस प्राध्यापक को देय था जिसका

कार्य प्रशिक्षण/शिक्षण देना है। प्रशिक्षण भत्ते की दर समय-समय पर संशोधित की जाती रही है। प्रशिक्षण भत्ते पर अवकाश वेतन और सेवानिवृत्ति के समय देय अवकाश नकदीकरण के लिए भी विचार किया गया था।

2008-09 से 2020-21 तक (सितम्बर 2020 तक) के वेतन रिकॉर्ड की जांच से पता चला कि के.शा.प्र.सि.से. ने अपने उन कर्मचारियों को ₹ 166 लाख का भुगतान किया था जो नियमित वेतन के साथ प्रशिक्षण भत्ते पाने हेतु संकाय सदस्य नहीं थे। इसके अतिरिक्त, के.शा.प्र.सि.से. ने इन कर्मचारियों को अतिरिक्त एलटीसी अवकाश नकदीकरण और सेवानिवृत्ति अवकाश नकदीकरण के ₹ 2.05 लाख का भुगतान किया था। इस प्रकार के.शा.प्र.सि.से. में पदस्थापित कर्मचारियों को प्रशिक्षण भत्ते के रूप में दिया गया कुल ₹ 168 लाख का भुगतान अनियमित था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नवम्बर 2003 में के.शा.प्र.सि.से. ने पूर्वव्यापी प्रभाव से 11 पदों<sup>32</sup> के धारण करने वाले कर्मिकों को 15 प्रतिशत विशेष प्रशिक्षण भत्ते (वि.प्र.भ.) के भुगतान के लिए वित्त विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. की सहमति मांगी थी जिसमें कहा गया था कि यह कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन के रूप में कार्य करेगा और के.शा.प्र.सि.से. में तैनाती के लिए प्रतिभाशाली अधिकारियों और कर्मचारियों को भी आकर्षित करेगा। वित्त विभाग ने अप्रैल 2004 में प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की जो 01 जनवरी 1988 से प्रभावी था।

उपरोक्त 11 पदों के संबंध में वि.प्र.भ. देने हेतु के.शा.प्र.सि.से. का प्रस्ताव शुरू से ही अनियमित था क्योंकि ये प्रशासनिक पद थे जबकि डीओपीटी के दिशानिर्देशों के अनुसार कर्मचारी जो केवल प्राध्यापक के रूप में प्रशिक्षण संस्थान में नियुक्त होते हैं, वे ही प्रशिक्षण भत्ते के योग्य थे। वित्त विभाग ने भी प्रस्ताव पर सहमति देने में गलती की क्योंकि उसने डीओपीटी के आदेशों की सही व्याख्या नहीं की।

के.शा.क्षे.सि.से. ने कहा (सितम्बर 2021) कि जिन अधिकारियों को प्रशिक्षण भत्ता दिया जा रहा था, वे प्रशिक्षण मॉड्यूल की तैयारी, प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुभव साझा करने वाले सत्र तथा परिचयात्मक एवं समापन सत्र जैसी गतिविधियों में शामिल कार्यात्मक कर्मचारी/सदस्य थे और इसलिए प्रशिक्षण भत्ते के लिए पात्र थे।

के.शा.क्षे.सि.से. द्वारा अपने जवाब में कर्मचारियों को दिए जा रहे प्रशिक्षण भत्ता के समर्थन में दिए गए कारण मान्य नहीं हैं। जिन कर्मचारियों को

<sup>32</sup> सचिव एवम् निदेशक (प्रशिक्षण), संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण), उपनिदेशक (प्रशिक्षण), सहायक निदेशक (प्रशिक्षण), सहायक प्रशासनिक अधिकारी, वरि-नि.स., श्रेणी i से iv (डीएएसएस) एवं श्रेणी iii आशुलिपिक।

प्रशिक्षण भत्ता दिया जा रहा है, उन्हें प्रशिक्षण के लिए समन्वय कार्य सहित प्रशासनिक कार्यों के लिए सं.शा.क्षे.सि.से. में तैनात किया गया है। कार्यात्मक संकायों के संबंध में डीओपीटी के किसी भी आदेश में कोई प्रावधान नहीं है। डीओपीटी के दिनांक 31 मार्च 1987 के कार्यालय ज्ञापन का सार यह है कि एक स्थायी संकाय सदस्य के अलावा केवल एक प्रशिक्षण संस्थान में एक संकाय सदस्य के रूप में शामिल होने वाले कर्मचारी ही प्रशिक्षण भत्ते के लिए पात्र हैं। केवल प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया का हिस्सा होने का अर्थ संकाय का सदस्य होना नहीं हो सकता।

**प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय-नेताजी सुभाष प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय**

**2.8 ₹ 66.25 लाख की राशि का अनियमित व्यय**

नेताजी सुभाष प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के अनुमोदन के बिना सहायक रजिस्ट्रार के दो पदों के सृजन के परिणामस्वरूप वेतन एवं भत्ते पर ₹ 66.25 लाख का अनियमित व्यय हुआ।

नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (ने.सु.प्रौ.वि.) एक स्वायत्त निकाय है जो पूरी तरह से रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा वित्त पोषित है। प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय के कार्यालय ज्ञापन (29 अगस्त 2002) के संदर्भ में, नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान (जिसे बाद में ने.सु.प्रौ.वि. के रूप में बदल दिया गया) को सहायता प्रतिमान (स.प्र.) में निहित प्रावधानों के अतिरिक्त रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विशिष्ट निर्देशों का पालन करना आवश्यक था। स.प्र. के पैरा-VI में कहा गया है कि रा.रा.क्षे.दि.स. की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, संस्थान के विकास की रूपरेखा में उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्थान यूजीसी/एआईसीटीई के मानदंडों/दिशानिर्देशों के ढांचे के भीतर विभिन्न श्रेणियों के तहत पदों का सृजन कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ने.सु.प्रौ.वि. (पूर्व में सु.प्रौ.सं.) ने रा.रा.क्षे.दि.स. की पूर्वानुमति लिए बिना छठे के.वे.आ. के अनुसार ₹ 5,400 के ग्रेड-पे में सहायक रजिस्ट्रार के दो अतिरिक्त पद सृजित किए (मार्च 2016)। इनमें से एक पद अप्रैल 2016 से अप्रैल 2021 तक प्रचलन में था और इस अवधि के दौरान इस पद के प्रति वेतन भत्तों पर ₹ 66.25 लाख का व्यय किया गया। सहायक रजिस्ट्रार का अन्य पद, हालांकि इसे सृजित किया गया था परन्तु भरा नहीं गया था, इस प्रकार पद के प्रति कोई व्यय नहीं किया गया। चूंकि ये पद सरकार के अनुमोदन के बिना सृजित किए गए थे इसलिए इनके प्रति वेतन भत्तों पर किया गया ₹ 66.25 लाख का व्यय अनियमित था।

ने.सु.प्रौ.वि. ने उत्तर में कहा (नवम्बर 2021) कि इन दो पदों को छात्रों की संख्या में वृद्धि और नए संकाय की भर्ती के कारण उत्पन्न अतिरिक्त कार्य को पूरा करने के लिए सृजित किया गया था और पदों का सृजन सीनियर प्रोग्रामर और वरिष्ठ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के एक-एक रिक्त पद को परिवर्तित करके किया गया था। यह भी कहा गया कि इन पदों के सृजन के लिए कार्योत्तर अनुमोदन का प्रस्ताव माननीय उपराज्यपाल को प्रस्तुत किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि स.प्र. में विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि पदों का सृजन रा.रा.क्षे.दि.स. के पूर्व अनुमोदन से होना चाहिए और ये पद रा.रा.क्षे.दि.स. की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना सृजित किए गए थे जो कि अनियमित था।

## शहरी विकास विभाग

### 2.9 दिल्ली जल बोर्ड द्वारा ₹ 114.01 लाख की निधि का अवरोध एवं ₹ 25.42 लाख के ब्याज की हानि

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को सड़क जीर्णोद्धार प्रभारों के गलत भुगतान के कारण ₹ 114.01 लाख की निधि का अवरोध हुआ एवं परिणामस्वरूप ₹ 25.42 लाख के ब्याज की हानि हुई।

शहरी विकास विभाग (यूडीडी) के कार्यालय आदेश दिनांक 10 मार्च 2016 के अनुसार, यह निर्णय लिया गया था कि भविष्य में सभी अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्यों को करने का कार्य एक मात्र एंजेसी दिल्ली राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम को ही सौंपा जायेगा।

“दिल्ली में केशोपुर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कैचमेंट एरिया के अंतर्गत आने वाली कॉलोनियों के भूपेंद्र सिंह नगर ग्रुप में 250 मि.मी. से 500 मि.मी. व्यास के डीडब्ल्यूसी एचडीपीई औसत व्यास के इंटरनल एंड पेरिफेरल सीवर लाइन उपलब्ध कराने और बिछाने” का कार्य, कार्य आदेश दिनांक 01 अगस्त 2017 को दिल्ली जल बोर्ड के तहत ₹ 3.01 करोड़ की लागत पर एक ठेकेदार को सौंप दिया था। तीन अनाधिकृत कॉलोनियों अर्थात् धर्मपुरी कॉलोनी, रवि नगर एक्सटेंशन और आरजेडसी-ब्लॉक विष्णु गार्डन में कार्य क्रियान्वित किया जाना था।

सड़क जीर्णोद्धार (आरआर) प्रभार से संबंधित फाइलों की जांच से पता चला कि 21 मार्च 2018 को दि.ज.बो. द्वारा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) के पास ₹ 1,14,00,937/- की राशि इस कार्य के लिए आरआर प्रभार के रूप में जमा की गई थी। चूंकि अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य डीएसआईआईडीसी द्वारा किए जाने थे, इसलिए एसडीएमसी को कोई आरआर प्रभार का भुगतान

नहीं किया जाना था। अतः आरआर प्रभार के रूप में एसडीएमसी के पास जमा की गई राशि गलत थी और इसके कारण ₹ 114.01 लाख की धनराशि अवरूद्ध हो गई। आरआर प्रभार की वापसी का दावा दि.ज.बो. द्वारा 12 फरवरी 2019 के पत्र के द्वारा किया गया था, लेकिन दि.ज.बो. द्वारा इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया गया और एसडीएमसी से रिफंड अभी भी प्रतीक्षित है।

दि.ज.बो. ने कहा (सितम्बर 2021) कि क्रियान्वयन के दौरान एसडीएमसी के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर कार्य को रोक दिया गया था क्योंकि सड़क स्वामित्व वाली एजेंसी होने के कारण उनसे कार्य की अनुमति नहीं ली गई थी। इसके अतिरिक्त, एसडीएमसी ने ₹ 114.01 लाख के आरआर प्रभार की मांग की जिसका भुगतान कार्य निष्पादन की अनुमति प्राप्त करने के लिए किया गया था। हालांकि, कार्य के क्रियान्वयन के दौरान एसडीएमसी ने बताया कि क्षेत्र की सड़कें उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं तथा राशि दि.ज.बो. को वापस कर दी जाएगी। लेकिन अभी तक (अगस्त 2021) एसडीएमसी द्वारा राशि वापस नहीं की गई है।

हालांकि, मार्च 2016 के यूडीडी कार्यालय के आदेश के मद्देनजर, जिसमें यह कहा गया था कि सभी अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य डीएसआईआईसी को सौंपे जाएंगे, इसलिए डीजेबी को आरआर प्रभार का भुगतान करने से पहले एसडीएमसी की मांग के संबंध में यूडीडी से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए था।

इस प्रकार, दिल्ली जल बोर्ड द्वारा अनुचित आरआर प्रभारों के भुगतान के परिणामस्वरूप ₹ 114.01 लाख की निधि अवरूद्ध हुई तथा ₹ 25.42 लाख<sup>33</sup> के ब्याज की हानि हुई। एस.डी.एम.सी. द्वारा तीन वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी राशि वापस नहीं की गई है।

## महिला एवं बाल विकास विभाग

### 2.10 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की कामकाजी महिला छात्रावासों पर अनुपालन लेखापरीक्षा

#### 2.10.1 परिचय

बड़े शहरों में रोजगार की तलाश में अपना घर छोड़ने वाली महिलाओं को जिन मुख्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनमें से एक सुरक्षित और सुविधाजनक आवास की कमी है। कामकाजी महिला छात्रावासों (का.म.छा.) के

<sup>33</sup> 21 मार्च 2018 से 30 जून 2021 तक की अवधि के लिए 6.8% प्रति वर्ष की दर से परिकल्पित, जो कि 2 से 3 वर्षों की सावधि जमा के लिए एसबीआई का आधार दर है।

माध्यम से पर्याप्त संख्या में आवास उपलब्ध कराने से दिल्ली में कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास की समस्या को कम करने में काफी मदद मिलेगी।

व्यवसाय आवंटन नियम 1993 के अनुसार, महिलाओं के कल्याण सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के सामाज कल्याण के उपायों/गतिविधियों की जिम्मेदारी समाज कल्याण विभाग (स.क.वि.) की थी। नवम्बर 2007 में, महिला एवं बाल विकास के समग्र विकास हेतु अत्यावश्यक प्रोत्साहन देने के लिए तथा महिलाओं एवं बच्चों विशेषतः समाज के कमजोर वर्गों के महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए, स.क.वि. से एक अलग विभाग अर्थात् महिला एवं बाल विकास विभाग (म.बा.वि.वि.) बनाया गया था। म.बा.वि.वि. में एक महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ है जो दिल्ली में महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण से संबंधित निवारक, सुरक्षात्मक और सशक्तिकरण के उपाय करता है।

म.बा.वि.वि. के वेबसाइट के अनुसार निवारक उपायों में का.म.छा. के माध्यम से कार्यरत महिलाओं को सम्मानजनक, उचित और किफायती आश्रय प्रदान करना शामिल है, जिनके पास दिल्ली में रहने का कोई आवास नहीं है। म.बा.वि.वि. के रोहिणी और विश्वास नगर में दो कामकाजी महिला छात्रावास थे। ये छात्रावास यंग वुमन क्रिश्चियन एशोसिएशन, (वाई.डब्ल्यू.सी.ए.), दिल्ली द्वारा 'न लाभ न हानि' आधार पर चलाए जा रहे थे। समझौते के अनुसार वाई.डब्ल्यू.सी.ए. फर्नीचर और फिक्स्चर आदि के अनुरक्षण एवं रख-रखाव के लिए जिम्मेदार थे जबकि प्रमुख मरम्मत डीडब्ल्यूसीडी द्वारा की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने 2018-19 से 2020-2021 के दौरान दिल्ली में कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास प्रदान करने के लिए म.बा.वि.वि., रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा किए गए प्रयासों की जांच की। इस संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की चर्चा आगे के पैराग्राफों में की गई है।

### 2.10.2 का.म.छा. की आवश्यकता का आकलन न करना

दिल्ली में कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और किफायती आवास प्रदान करने में पहला कदम कामकाजी महिलाओं की संख्या का आकलन करना है जिन्हें आवास की आवश्यकता है ताकि पर्याप्त संख्या में का.म.छा. के निर्माण की योजना बनाकर उसे क्रियान्वित किया जा सके। योजना विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. ने बड़ी संख्या में महिलाओं के ऐसे आवास की प्रतीक्षा करने के कारण अपनी वार्षिक योजनाओं में लगातार अधिक का.म.छा. स्थापित करने

का उल्लेख किया था तथा वाइडब्ल्यू.सी.ए. दिल्ली द्वारा संचालित मौजूदा छात्रावासों के पूर्ण अधिभोग का उल्लेख किया था।

हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि म.बा.वि.वि. के पास दिल्ली में कामकाजी महिलाओं की संख्या जिन्हें आवास की आवश्यकता है, के संदर्भ में कोई डाटा नहीं है। छात्रावास की मांग करने वाली कामकाजी महिलाओं की संख्या से संबंधित जानकारी के अभाव में, म.बा.वि.वि. दिल्ली में कामकाजी महिलाओं की आवास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में का.म.छा. की योजना बनाने और उपलब्ध कराने के अपने कार्यों का निर्वहन करने की स्थिति में नहीं था।

म.बा.वि.वि. ने उत्तर में कहा (मई 2022) कि का.म.छा. के लिए भारत सरकार की योजना के तहत दिल्ली में 18 का.म.छा. संचालित हैं जिनकी निगरानी म.बा.वि.वि. द्वारा नियमित रूप से की जा रही है तथा विश्वास नगर में का.म.छा. को काम पूरा होने के बाद कार्यात्मक बनाया जाएगा।

उत्तर, दिल्ली में का.म.छा. की आवश्यकता के संबंध में जानकारी के अभाव के मुद्दे को स्पष्ट नहीं करता है।

### 2.10.3 का.म.छा. के कामकाज में पाये गये मुद्दे

म.बा.वि.वि. के पास केवल दो कार्यशील का.म.छा. एक रोहिणी और एक विश्वास नगर में था। इन्हें सितम्बर 2019/अगस्त 2020<sup>34</sup> तक वाइडब्ल्यू.सी.ए. द्वारा संचालित और प्रबंधित किया गया था, जिसके बाद वाइडब्ल्यू.सी.ए. ने इन के प्रबंधन करने में असमर्थता व्यक्त की और इन्हें बंद करना पड़ा। का.म.छा. रोहिणी एवं विश्वास नगर में क्रमशः 110 और 100 निवासियों की क्षमता थी।

#### 2.10.3.1 का.म.छा. रोहिणी

लेखापरीक्षा ने पाया कि वाइडब्ल्यू.सी.ए. दिल्ली ने का.म.छा. रोहिणी के प्रबंधन में अपनी असमर्थता के बारे में म.बा.वि.वि. को सूचित किया था (जुलाई 2019)। वाइडब्ल्यू.सी.ए. दिल्ली द्वारा 2014 से म.बा.वि.वि. की ओर से मरम्मत और रखरखाव के मुद्दों की निष्क्रियता को कारण बताया गया, जो महिला छात्रावास के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन में कठिनाइयाँ पैदा कर रहे थे। इसके अलावा, इसने सरकार द्वारा उचित पानी के कनेक्शन की कमी और सरकार द्वारा प्रति ₹ 1,000 निवासी प्रति माह की दर से चार्ज करने की भी सूचना दी थी जिसे वाइडब्ल्यू.सी.ए. द्वारा जमा किया गया था।

<sup>34</sup> इन्हें वाइडब्ल्यू.सी.ए. को उनके संचालन और प्रबंधन के लिए शुरू में तीन साल की अवधि के लिए सौंपा गया था (अगस्त-सितम्बर 2013)। बाद में इस अवधि को क्रमशः रोहिणी और विश्वास नगर में का.म.छा. के लिए सितम्बर 2019 और अगस्त 2020 तक बढ़ा दिया गया था।

चूंकि म.बा.वि.वि. द्वारा वाईडब्ल्यूसीए, दिल्ली की चिंताओं को विधिवत संबोधित नहीं किया गया था, इसलिए पूर्व में का.म.छा. रोहिणी को चलाने के लिए अनुबंध के नवीनीकरण हेतु रुचि नहीं दिखाई गई। अंततः सितम्बर 2019 में छात्रावास में 65 लोग रहते थे।

विभाग ने कहा (दिसम्बर 2021) कि वाईडब्ल्यूसीए निकटतम मेट्रो स्टेशन से खराब कनेक्टिविटी और निवासियों को प्राप्त करने में कठिनाई के कारण का.म.छा. रोहिणी का प्रबंधन करने में असमर्थ था। यह भी कहा गया था कि विभाग के संज्ञान में किसी भी मरम्मत या बुनियादी ढांचे के मुद्दों को नहीं लाया गया था।

म.बा.वि.वि. का जवाब गलत प्रतीत होता है क्योंकि वाईडब्ल्यूसीए द्वारा निदेशक, म.बा.वि.वि. को 26 जुलाई 2019 के अपने पत्र में मरम्मत और बुनियादी ढांचे के मुद्दों को स्पष्ट रूप से संज्ञान में लाया गया था।

#### 2.10.3.2 का.म.छा., विश्वास नगर

इसी तरह वाईडब्ल्यूसीए दिल्ली ने छात्रावास की भवन की बिगड़ती स्थिति जैसे दरारें, टूटी हुई टाइलों और सीपेज के बढ़ने से निवासियों के लिए खतरे को उत्पन्न कर दिया था (अप्रैल से अक्टूबर 2019)। इसके अलावा लो.नि.वि., म.बा.वि.वि. एवं वाई.डब्ल्यू.सी.ए. के अधिकारियों की संयुक्त बैठक (10 जून 2019) में छात्रावास भवन की संरचना को बुरी तरह क्षतिग्रस्त घोषित किया गया था और किसी भी बड़ी घटना से बचने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता थी। हालांकि लेखापरीक्षा ने पाया कि लो.नि.वि. एवं संपदा शाखा, म.बा.वि.वि. के बीच प्राक्कलनों को शीघ्रतापूर्वक अंतिम रूप न दिए जाने के कारण मरम्मत और नवीनीकरण कार्य शुरू नहीं हो सका (8 जून 2020)। अतः का.म.छा. विश्वास नगर के जीर्णोद्धार कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए लो.नि.वि. की ओर से निष्क्रियता के कारण अंततः अगस्त 2020 में इसे बंद करना पड़ा। बंद होने के समय छात्रावास में 78 लोग रहते थे।

विभाग ने जवाब दिया (दिसम्बर 2021) कि वह कार्य में तेजी लाने हेतु नियमित रूप से लोक निर्माण विभाग के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर रहा है।

हालांकि, तथ्य यह है कि छात्रावास भवन के डेढ़ वर्ष से अधिक समय तक बंद रहने के बाद भी जीर्णोद्धार का कार्य अधूरा था।

इस प्रकार, इन का.म.छा. के बंद होने के कारण, इन छात्रावासों में रहने वाली 143 महिलाएं वाई.डब्ल्यू.सी.ए. द्वारा नियमित रूप से उठायी गयी चिंताओं को दूर करने में सरकार की विफलता के कारण सुरक्षित और किफायती

आवास से वंचित थीं। अगस्त 2021 तक म.बा.वि.वि. के अधीन कोई का.म.छा. कार्यशील नहीं था।

#### 2.10.4 द्वारका में का.म.छा. का परिचालन नहीं होना

द्वारका में समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्धाश्रम के उद्देश्य से वर्ष 2008 में एक भवन का निर्माण किया गया था। बाद में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा का.म.छा. के लिए भवन का उपयोग करने का निर्णय लिया गया था (फरवरी 2011) मंत्री, महिला एवं बाल विकास ने सचिव (म.बा.वि.वि.) को निविदा/अभिरूचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से गैर-सरकारी संगठन का चयन कर प्राथमिकता के आधार पर द्वारका में का.म.छा. को कामकाज शुरू करने का निर्देश जारी किया था (जनवरी 2013)। मार्च 2013 में इमारत को म.बा.वि.वि. को स्थानांतरित कर दिया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि म.बा.वि.वि. द्वारा का.म.छा. को चार साल तक संचालित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और नवम्बर 2017 में म.बा.वि.वि. ने इस का.म.छा. को चलाने में दिलचस्पी दिखाने वालों को आमंत्रित किया था। तीन गैर सरकारी संगठनों से आवेदन प्राप्त हुए थे लेकिन सभी गैर सरकारी संगठनों को आयोग्य पाया गया (नवम्बर 2018) और पुनः निविदा की सिफारिश की गई थी। तत्पश्चात, विभाग ने पिछली निविदाओं को रद्द करने के तीन वर्ष से अधिक समय के बाद भी द्वारका में का.म.छा. के संचालन के लिए कोई अतिरिक्त कार्रवाई नहीं की। इस प्रकार, वर्ष 2013 में हस्तांतरित भवन पिछले आठ वर्षों से अनुपयोगी पड़ा हुआ था, जिससे भवन निर्माण पर किया गया ₹ 2.94 करोड़ का व्यय व्यर्थ रहा।

म.बा.वि.वि. ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2021 व मई 2022) कि चल रही महामारी के कारण काम की गति प्रभावित हुई थी और निविदा दस्तावेज अब मंगाए जाने के लिए तैयार है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भवन 2013 से अर्थात् कोविड महामारी से पहले आठ वर्षों तक अप्रयुक्त रहा।

#### 2.10.5 का.म.छा. के निर्माण में विलंब

मार्च 2021 तक, दिल्ली विकास प्राधिकरण से का.म.छा. निर्माण के लिए अधिगृहित पांच भूखंडों पर डीडब्ल्यूसीडी का कब्जा था। इनमें से चार, वसंत गांव, धीरपुर, तुगलकाबाद और दिलशाद गार्डन में 2001 और 2003 के बीच आवंटित किए गए थे, जबकि पीतमपुरा में एक भूखंड 2014 में आवंटित किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि म.बा.वि.वि. प्रत्येक वर्ष का.म.छा. के निर्माण के लिए बजट आवंटित कर रहा था लेकिन म.बा.वि.वि. द्वारा नये का.म.छा. के निर्माण हेतु उन वर्षों के दौरान कोई व्यय नहीं किया

गया था। म.बा.वि.वि. द्वारा का.म.छा. के निर्माण के अधिग्रहित भू-खंडों की स्थिति निम्नलिखित पैराग्राफ में वर्णित है।

#### 2.10.5.1 म.बा.वि.वि. के कब्जे वाले भूखंडों की स्थिति

- **वसंत गांव-** सितम्बर 2002 में भूखण्ड के कब्जे के बाद म.बा.वि.वि. ने 14 वर्षों के अंतराल के बाद लो.नि.वि. को प्रशासनिक स्वीकृति और व्यय स्वीकृति (प्र.स्वी. और व्य.स्वी.) तैयार करने का निर्देश दिया (जून 2016)। लो.नि.वि. ने मई 2019 में प्रशासनिक स्वीकृति और व्यय स्वीकृति प्रस्तुत की थी, लेकिन म.बा.वि.वि. द्वारा इसे अगस्त 2021 को अर्थात् दो साल से अधिक समय के बाद अनुमोदित किया गया था। म.बा.वि.वि. ने कहा (दिसम्बर 2021) कि 21 सितम्बर 2021 को हुई बैठक के बाद लोक निर्माण विभाग को रूपरेखा में संशोधन करने के लिए कहा गया है।
- **धीरपुर-** नवम्बर 2006 में भूखण्ड पर कब्जे के बाद म.बा.वि.वि. द्वारा आवंटित भूमि पर 2008 में चारदीवारी के निर्माण को छोड़कर, का.म.छा. के निर्माण के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। म.बा.वि.वि. ने कहा (दिसम्बर 2021) कि सितम्बर 2021 में लंबे समय से लंबित मुद्दों को हल करने के लिए दि.वि.प्रा. के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी।
- **तुगलकाबाद-** दि.वि.प्रा. ने 1000 वर्ग मीटर के आवंटित भूखंड के प्रति केवल 821 वर्ग मीटर की भूमि का कब्जा सौंपा (दिसम्बर 2004)। हालांकि, म.बा.वि.वि. ने जमीन के आकार में अंतर का मामला फरवरी 2015 में अर्थात् जमीन अधिग्रहण के 10 साल से अधिक समय के बाद उठाया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि दि.वि.प्रा. द्वारा वैकल्पिक भूखंड का आवंटन अभी तक नहीं किया गया था। क्योंकि म.बा.वि.वि. ने सक्रियता से मामले को दि.वि.प्रा. के समक्ष नहीं रखा क्योंकि इस संबंध में अंतिम संवाद नवम्बर 2019 में किया गया था। म.बा.वि.वि. ने उत्तर में कहा (दिसम्बर 2021) कि दि.वि.प्रा. के स.नि (भूमि) के साथ एक बैठक की गई थी और दि.वि.प्रा. के साथ कई संपर्क किए गए थे लेकिन कोई सफल/लाभदायक प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी।
- **दिलशाद गार्डन-** म.बा.वि.वि. ने नवम्बर 2014 में भूमि अधिग्रहण कर लिया और 3 वर्ष बाद, लो.नि.वि. को का.म.छा. के निर्माण के लिए ₹ 605.81 लाख के प्र.स्वी. और व्य.स्वी. हेतु भेजा (फरवरी 2017)। इसके बाद लो.नि.वि. ने सूचित किया (अप्रैल 2018) कि दि.वि.प्रा. से समय विस्तार (ईओटी) और एनओसी की आवश्यकता होगी। लेखापरीक्षा

ने पाया कि म.बा.वि.वि. ने मई 2018 में दि.वि.प्रा. से ईओटी और एनओसी की मांग की थी जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ था। म.बा.वि.वि. ने कहा (दिसम्बर 2021) कि दि.वि.प्रा. में एनओसी और ईओटी के मुद्दे अनुमोदन के प्रक्रियाधीन हैं और का.म.छा. के लिए रूपरेखा स्थानीय निकाय द्वारा अमुमोदित कर दी गई है।

- **पीतमपुरा-** दि.वि.प्रा. ने प्रारम्भ में का.म.छा. पीतमपुरा के लिए भूमि आवंटित की (सितम्बर 2001) लेकिन एक गुरुद्वारा से साइट के विवाद के कारण भूमि म.बा.वि.वि. को नहीं सौंपी गई थी। दि.वि.प्रा. ने तब एक वैकल्पिक भूमि पुनः आवंटित की (दिसम्बर 2014) और म.बा.वि.वि. ने जुलाई 2015 में वैकल्पिक भूमि का अधिग्रहण किया। प्रारंभ में, म.बा.वि.वि. ने दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (डीटीडीडीसी) को का.म.छा. के निर्माण के लिए कार्यकारी एजेंसी के रूप में नामित किया (सितम्बर 2015) और ₹ 6.47 करोड़ का भुगतान किया (जुलाई 2017)। बाद में सरकार ने लो.नि.वि. को कार्य सौंपने का निर्णय लिया (अक्टूबर 2017) तथा डीटीडीडीसी ने ₹ 6.47 करोड़ की राशि वापस की थी (जून 2020)। का.म.छा. पीतमपुरा के निर्माण में आगे कोई प्रगति नहीं हुई। म.बा.वि.वि. ने कहा (दिसम्बर 2021) कि उन्हें का.म.छा. के लिए लो.नि.वि. से ₹ 5.14 करोड़ का प्रारंभिक अनुमान प्राप्त हुआ है (मई 2019) और वे इस वर्ष प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर सकते हैं। वास्तविकता यह है कि लो.नि.वि. से प्रारंभिक अनुमान की प्राप्ति से ढाई वर्ष बीत जाने के बावजूद लो.नि.वि. को का.म.छा. का निर्माण शुरू करने के लिए प्र.स्वी. और व्य.स्वी. नहीं दी गई।

म.बा.वि.वि. ने कहा (मई 2022) कि का.म.छा. की संपत्ति के उपयोग की स्थिति की समीक्षा हेतु एक समिति बनाई गई है।

#### 2.10.5.2 दि.वि.प्रा. द्वारा आवंटित लेकिन म.बा.वि.वि. को नहीं सौंपे गये भूखंडों की स्थिति

दि.वि.प्रा. ने क्रमशः वर्ष 2001 एवं 2003 के दौरान नजफगढ़ रोड़, जनकपुरी और नरेला-1 में का.म.छा. के निर्माण के लिए भूमि आवंटित की थी।

नरेला-1 में भूखंड के संबंध में म.बा.वि.वि. ने दि.वि.प्रा. को भुगतान करने के लिए लो.नि.वि. को अधिकृत किया (दिसम्बर 2005)। लेखापरीक्षा ने पाया कि दि.वि.प्रा. को किये गये भुगतान से म.बा.वि.वि. अवगत नहीं था, क्योंकि इसने लो.नि.वि. से भुगतान का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया

था (सितम्बर 2010)। इसके अतिरिक्त, विभाग ने उत्तर दिया (मार्च 2021) कि उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार दि.वि.प्रा. को कोई भुगतान नहीं किया गया था।

लो.नि.वि. द्वारा नजफगढ़ रोड़, जनकपुरी में भूखंड के संबंध में दि.वि.प्रा. को ₹ 53.41 लाख की राशि जारी की गई थी (जून 2003) परन्तु म.बा.वि.वि. ने भूखंड का कब्जा नहीं लिया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि उक्त भूमि बाद में दिल्ली मेट्रो रेल निगम को आवंटित कर दी गई थी। तत्पश्चात् म.बा.वि.वि. ने वैकल्पिक जगह के आवंटन हेतु दि.वि.प्रा. से अनुरोध किया था (दिसम्बर 2018) परंतु इस संबंध में आगे कोई प्रगति नहीं हुई।

इस प्रकार सरकार की घोर लापरवाही के कारण दि.वि.प्रा. द्वारा इन का.म.छा. के लिए भूमि आवंटन के 18 वर्ष पश्चात् भी इन का.म.छा. के निर्माण में कोई प्रगति नहीं हुई। इसके अतिरिक्त म.बा.वि.वि. 2019/2020 में दो का.म.छा. के बंद होने के पश्चात् दिल्ली में एक भी का.म.छा. का प्रचालन नहीं कर रहा था और इस प्रकार दिल्ली में कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवास प्रदान करने की अपनी जिम्मेदारी निर्वहन करने में असफल रहा।

का.म.छा. के निर्माण में विलंब होने से आवंटित भूखंड तथा इन भूखंडों की चारदीवारी के निर्माण पर व्यय के प्रति दि.वि.प्रा. को किए गए भुगतान के कारण ₹ 2.37 करोड़ की राशि अवरूद्ध हो गई।

इसके अलावा भारत सरकार द्वारा कामकाजी महिला छात्रावास योजना के तहत का.म.छा. के निर्माण के लिए राज्य सरकार को 60 प्रतिशत का शेयर प्रदान किया जा रहा था। इस संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि म.बा.वि.वि., रा.रा.क्षे.दि.स. ने का.म.छा. के निर्माण के लिए केन्द्रीय समर्थन की मांग नहीं की।

#### 2.10.6 निष्कर्ष

रा.रा.क्षे.दि.स. एवं भारत सरकार (भा.स.) के पास का.म.छा. के निर्माण एवं प्रचालन हेतु अलग-अलग योजनाएं हैं। हालांकि यह देखा गया कि रा.रा.क्षे.दि.स. ने न तो भा.स. की योजनाओं को कार्यान्वित किया और न ही अपनी योजनाओं द्वारा दिल्ली में कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने पर ही जोर दिया। म.बा.वि.वि. ने कामकाजी महिला छात्रावासों के निर्माण और भूखंडों के निर्माण की योजनाएं होने के बावजूद भी न तो कामकाजी महिलाओं के लिए आवास की आवश्यकता का निर्धारण किया और न ही पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई का.म.छा. का निर्माण किया। लगभग 15-20 वर्ष पहले का.म.छा. के लिए भूखंड अधिग्रहित किए गये थे, लेकिन मार्च 2021 तक भी निर्माण की योजनाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा का.म.छा. के अनुरक्षण के संबंध में मुद्दों का

समाधान नहीं कर पाने की अपनी विफलता के कारण 2019/2020 में दो कार्यशील का.म.छा. भी बंद हो गए। इसके अलावा, यह का.म.छा. की स्थापना हेतु 2013 में समाज कल्याण विभाग द्वारा सौंपे गये एक भवन का उपयोग करने में भी विफल रहा।

म.बा.वि.वि. द्वारा नये का.म.छा. के निर्माण में विफलता के साथ-साथ मौजूदा का.म.छा. को बंद करने से दिल्ली की कामकाजी महिलाओं को बहुत आवश्यक सुरक्षित आवास से वंचित होना पड़ा। म.बा.वि.वि. की ओर से निष्क्रियता महिला सशक्तिकरण के प्रति सरकार की असंवेदनशीलता और इसके प्रति अपने कार्यों के एक बड़े हिस्से का निर्वहन करने में उसकी विफलता को दर्शाती है।

### 2.10.7 अनुशंसाएं

सरकार -

- दिल्ली में का.म.छा. की आवश्यकता का आकलन करने के लिए तत्काल कार्रवाई कर सकती है।
- पर्याप्त संख्या में का.म.छा. के निर्माण और/या प्रचालन के लिए कदम उठा सकती है ताकि दिल्ली में सभी जरूरतमंद कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित आवास उपलब्ध हो सके।

नई दिल्ली  
दिनांक: 10 अक्टूबर 2022

  
(समर कांत ठाकुर)  
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली  
दिनांक: 17 अक्टूबर 2022

  
(गिरीश चंद्र मुर्मू)  
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

